भण्डारण भारती

भण्डारण विशेषांक

अंक : 75

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

जन–जन के लिए भण्डारण

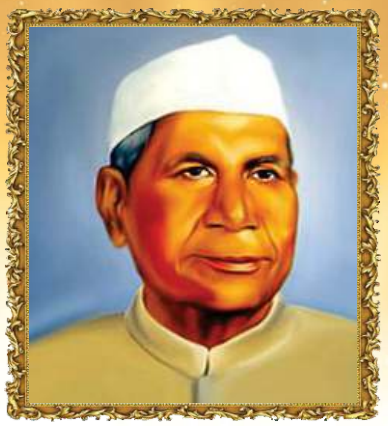

नववर्ष

स्वागत! जीवन के नवल वर्ष
आओ, नूतन–निर्माण लिये,
इस महा जागरण के युग में
जाग्रत जीवन अभियान लिये,

दीनों दुखियों का त्राण लिये
मानवता का कल्याण लिये,
स्वागत! नवयुग के नवल वर्ष!
तुम आओ स्वर्ण–विहान लिये।

संसार क्षितिज पर महाक्रान्ति
की ज्वालाओं के गान लिये,
मेरे भारत के लिये नई
प्रेरणा नया उत्थान लिये,

मुर्दा शरीर में नये प्राण
प्राणों में नव अरमान लिये,
स्वागत!स्वागत! मेरे आगत!
तुम आओ स्वर्ण विहान लिये!

युग–युग तक पिसते आये
कृषकों को जीवन–दान लिये,
कंकाल–मात्र रह गये शेष
मजदूरों का नव त्राण लिये,

श्रमिकों का नव संगठन लिये,
पददलितों का उत्थान लिये,
स्वागत!स्वागत! मेरे आगत!
तुम आओ स्वर्ण विहान लिये!

सत्ताधारी साम्राज्यवाद के
मद का चिर–अवसान लिये,
दुर्बल को अभयदान,
भूखे को रोटी का सामान लिये;

जीवन में नूतन क्रान्ति
क्रान्ति में नये–नये बलिदान लिये,
स्वागत! जीवन के नवल वर्ष
आओ, तुम स्वर्ण विहान लिये!

सोहनलाल द्विवेदी

अक्तूबर, 2020 – मार्च, 2021

मुख्य संरक्षक
अरुण कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
राकेश कुमार सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)

परामर्शदाता
अनिल माणिक राव
समूह महाप्रबंधक (कार्मिक)

मुख्य संपादक
नम्रता बजाज
प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक
महिमानन्द भट्ट
प्रबंधक (राजभाषा)

उप संपादक
रजनी सूद

सहायक संपादक
रेखा दुबे, शशि बाला,
वरुण भारद्वाज

संपादन सहयोग
विद्या भूषण

केंद्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास,
नई दिल्ली–110016

यह पत्रिका निगम की वेबसाइट
www.cewacor.nic.in
पर भी उपलब्ध है।

मुद्रक: बी. एम. ऑफसेट प्रिंटर्स,
डी–247/17, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश,

भण्डारण भारती

छमाही पत्रिका **भण्डारण विशेषांक** अंक–75

विषय			पृष्ठ संख्या
•	प्रबंध निदेशक की कलम से...		03
•	निदेशक (कार्मिक) की ओर से...		04
•	सुस्वागतम्		05
•	प्रस्तावना		06
•	संपादकीय		07
आलेख			
☞	सार्वजनिक सेवार्थ तत्पर हरदम, केंद्रीय भंडारण निगम	डॉ. मीना राजपूत	08
☞	इलायची की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों एवं ...	डॉ. राशिद परवेज	11
☞	वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक में तकनीक आधारित ...	सैम्युएल प्रवीण कुमार	14
☞	कोविड के दौरान निगम की गातिविधियाँ	अमरीश गौतम	22
☞	जीईएम (GeM) – गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस	मनीषा सब्बरवाल वाधवा	27
☞	अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और...	नम्रता बजाज	41
☞	सतर्क भारत, समृद्ध भारत	वरुण भारद्वाज	48
अन्य लेख			
☆	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निगम के बढ़ते कदम		34
☆	केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा आईजीएमआरआई		36
☆	भारत में सार्वजनिक भंडारण		37
☆	वेअरहाउस रसीद– एक नेगोशिएबल दस्तावेज		46
☆	जांच बिंदु		79
कहानी			
⬩	अचानक	अरविंद मिश्र	65
अधीनस्थ वेअरहाउस–एक परिचय			
❍	सैन्ट्रल वेअरहाउस मोहाली, करनाल–III, शाहजहांपुर, गाजियाबाद–I		52
कविताएं			
✸	केन्द्रीय भंडारण निगम का गौरव	संतराम	18
✸	नन्ही किरण	स्वीटी कुमारी	21
✸	यहाँ कौन सुनता है	विपिन कुमार सिंह	24
✸	स्वच्छ भारत	सुनीता	35
✸	उठकर फिर	निर्भय नारायण गुप्त	35
✸	अगर केंद्रीय भंडारण निगम न होता	देवराज सिंह 'देव'	40
✸	पूनम का चाँद	जितेन्द्र कुमार	45
✸	घर तरसता है मेरी शक्ल देखने को	बिकाश लाल वर्मा	49
✸	एहसास	रवि शंकर श्रीवास्तव	55
✸	भूख	राजा सिंह	69
साहित्यिकी			
❖	लिली	सूर्यकांत त्रिपाठी निराला	29
स्वास्थ्य			
✈	क्या उपवास स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है?	सुभाष चंद्र लखेड़ा	56
विविध			
➢	राजभाषा के क्षेत्र में 35 वर्ष का यादगार सफर	महिमानंद भट्ट	19
➢	मेरा अपना अनुभव निगम और वाशिम	प्रशांत कृष्णकुमार तायडे	25
➢	जीने की प्रेरणा ...	पियाल चक्रवर्ती	43
➢	वजनदार हैं शब्द	रेखा दुबे	50
➢	वृक्षारोपण का महत्व	धर्मेन्द्र कुमार	59
➢	कौए को उल्लू कैसे बनाएँ?	रोहित उपाध्याय	61
➢	मेरी प्यारी साइकिल	हर्ष कुमार गुप्ता	68
अन्य गतिविधियाँ			
⬩	सचित्र गतिविधियाँ		70

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। निगम का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाओं की मौलिकता के लिए भी संबंधित लेखक स्वयं जिम्मेदार हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम का
लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य

लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण–अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भंडारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणी संसाधक के रूप में खड़ा होना।

उद्देश्य

- वैज्ञानिक भंडारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति करना।
- भंडारण, हैंडलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट नियंत्रण सेवाओं के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाना।
- बैकिंग संस्थाओं एवं गैर–बैकिंग वित्तीय कम्पनियों के माध्यम से भंडारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भण्डारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पोर्ट हैंडलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्त पोषण, 3 पी. एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन जैसे क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वेल्यू चेन की योजना बनाना और विविधता लाना।
- भंडारण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम की योजना बनाना तथा क्रियान्वित करना।

प्रबंध निदेशक की कलम से...

केंद्रीय भंडारण निगम अपनी कार्यप्रणाली एवं अन्य गतिविधियों की झलक प्रस्तुत करते हुए गत वर्षों से 'भंडारण भारती' पत्रिका का प्रकाशन कर रहा है और 'राजभाषा विशेषांक' के बाद यह अंक **'भंडारण विशेषांक'** के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है जिसमें विभिन्न विषयों को समाहित किया गया है।

निगम वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में कार्य कर रही अपनी सहयोगी कंपनियों और एजेंसियों को निरंतर परामर्शी सेवाएं प्रदान करते हुए जीएसटी को बढ़ाने के लिए भी चयनित क्षेत्रों में वेअरहाउसिंग अवसंरचना को बढ़ावा दे रहा है। अपनी कर्त्तव्यनिष्ठा से आगे बढ़कर कोविड महामारी से मुकाबला करने के लिए निगम ने सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और अपनी विभिन्न गतिविधियों के साथ–साथ कर्मचारियों ने निष्ठा एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर देश के अनेक कार्यालयों, अस्पतालों तथा **'वन्दे भारत मिशन'** के तहत विमानों आदि में पेस्ट कंट्रोल की सुविधा प्रदान की, जो उल्लेखनीय कार्य है। निगम ने कोविड महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा और कोविड निवारण हेतु उन्हें राशि भी प्रदान की गई।

कृषि क्षेत्र के लिए भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने में निगम ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें मुख्यतः किसानों को वेअरहाउसों में वैज्ञानिक भंडारण के लिए प्रोत्साहित करना तथा उन्हें भंडारण प्रभारों में विशेष छूट प्रदान करना शामिल है। निगम के उत्थान तथा इसकी भावी योजनाओं को कारगर रूप देने के लिए इसके सभी कार्यों को डिजीटाइज़्ड किया गया है। इसके अलावा, वेअरहाउसों में खाद्यान्नों के सेंट्रल पूल स्टॉक को देखने के लिए **वेबसाइट पर डैशबोर्ड** विकसित किया गया है। हमारा निगम अपने गोदामों का अपग्रेडेशन कर रहा है तथा खाद्यान्नों के भंडारण के अलावा अन्य उत्पादों का भंडारण भी बढ़ाया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ई–कॉमर्स कंपनियां निगम के गोदामों का उपयोग करने लगी हैं।

निगम राजभाषा के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग द्वारा ई–निरीक्षण के दौरान निगम की राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी उपलब्धियों की सराहना की गई। इसके अतिरिक्त, नराकास द्वारा **''भंडारण भारती''** पत्रिका को इस वर्ष भी **''श्रेष्ठ गृह–पत्रिका का पुरस्कार''** प्रदान किया गया है तथा कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जो निगम के लिए गौरव की बात है। साथ ही, राजभाषा के कार्य में गति लाने के उद्देश्य से निगमित कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय ई–निरीक्षण भी किए गए तथा उन्हें उपयोगी सुझाव दिए गए। इस वर्ष निगमित कार्यालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिए **विशेष हिंदी कार्यशाला** का आयोजन करना भी राजभाषा के क्षेत्र में उपलब्धि है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से कार्य करने की गति बढ़ती है।

वेअरहाउसिंग की व्यापक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्परता से कार्य करना चाहिए ताकि निगम जन–जन की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सके। मैं इस पत्रिका के सफल एवं उद्देश्यपूर्ण प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

अरुण कुमार श्रीवास्तव
प्रबंध निदेशक

निदेशक (कार्मिक) की ओर से....

मुझे प्रसन्नता है कि भंडारण भारती का यह अंक **भंडारण विशेषांक** के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। इस पत्रिका के पिछले अंकों में वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक, कृषि एवं अन्य विषयों को सचित्र तथा अत्यंत सारगर्भित तरीके से प्रकाशित किया गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार की सामग्री से पाठकों का ज्ञानवर्धन होता है और उन्हें नई जानकारी मिलती है। निस्संदेह राजभाषा अनुभाग द्वारा इस पत्रिका का उच्च स्तर बनाए रखा गया है जिसके परिणामस्वरूप गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी यह पत्रिका **नराकास जैसे उच्च मंचों से पुरस्कृत की गई है।**

निगम अपने मुख्य व्यवसाय वैज्ञानिक भंडारण सहित राजभाषा नीति एवं नियमों के अनुपालन के लिए भी प्रयासरत रहा है। वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार सभी कार्यों का सफलतापूर्वक समयबद्ध अनुपालन करने की दिशा में निगम का राजभाषा अनुभाग तत्पर रहा है। वास्तव में राजभाषा का प्रयोग बढ़ाना सभी के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य भी हो जाता है। सरकारी कामकाज में आसान और आम प्रचलित शब्दों के प्रयोग पर बल देते हुए राजभाषा हिंदी का निरंतर विस्तार किया जा सकता है। मुझे खुशी है कि प्रतिवर्ष हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निगम के विभागों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को **राजभाषा शील्ड** प्रदान की जाती है। निश्चित तौर पर इस प्रकार के पुरस्कारों से सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रोत्साहित होते हैं और काम करने के प्रति उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है।

इस पत्रिका को अत्यंत व्यापक और रोचक बनाने के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी रचनाएं भेजकर इसमें अपेक्षित सहयोग देना चाहिए, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे निगम के कार्मिकों एवं अन्य संगठनों को भी हमारे कार्यों, उद्देश्यों एवं उपलब्धियों सहित अन्य व्यापारिक गतिविधियों की भरपूर जानकारी मिल सके। आशा है कि सभी के प्रयासों से यह पत्रिका भविष्य में भी अपना विशेष स्थान बनाए रखेगी।

मैं पत्रिका के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

राकेश कुमार सिन्हा
निदेशक (कार्मिक)

सुस्वागतम्

केंद्रीय भंडारण निगम, निदेशक (एम एंड सीपी) के पद पर दिनांक 29.01.2021 को कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमित कुमार सिंह जी का **हार्दिक अभिनंदन** करता है। आप इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (आईआरटीएस), 1987 बैच के अधिकारी हैं। आप इससे पूर्व भारतीय रेलवे में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत रहे। आपको रेलवे प्रचालनों एवं वाणिज्यिक कमर्शियल कार्यों, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन एवं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के प्रबंधन में 33 वर्षों का अनुभव है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कामर्स से वाणिज्य में स्नातक (बी.कॉम) एवं स्नातकोत्तर (एम.कॉम.) हैं। आपने 1997 में पश्चिम रेलवे में सीनियर डिवीजनल ऑपरेशंस मैनेजर के पद पर कार्य ग्रहण किया। इसके पश्चात् जनवरी, 2001 में आप पश्चिम रेलवे में डिप्टी चीफ ऑपरेशंस मैनेजर तथा बाद में सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर एवं डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर जैसे विभिन्न पदों पर पदोन्नत हुए। आप भारतीय रेलवे में डिप्टी चीफ ऑपरेशन्स मैनेजर तथा कॉनकोर में चीफ जनरल मैनेजर के पद पर रहे हैं।

यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि श्री अमित कुमार सिंह जी द्वारा विभिन्न विभागों में किए गए कार्य एवं उनके गहन अनुभव का पूरा लाभ निगम को प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन में निगम चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर रहेगा तथा मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

केंद्रीय भंडारण निगम परिवार निदेशक (एम एंड सीपी) के पद पर कार्यभार संभालने के लिए उन्हें अपनी **हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई** देता है।

प्रस्तावना

भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप राजभाषा हिंदी को देश की सामासिक संस्कृति के वाहक के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण इसका स्वरूप व्यापक है। भारत सरकार की नीति सदैव प्रेरणा और प्रोत्साहन की रही है ताकि प्रशासन की भाषा कामकाजी और प्रयोजनमूलक होने के साथ–साथ सहज, सरल, सुबोध और आमजन की भाषा बनी रहे।

निगम में राजभाषा हिंदी के प्रति ऐसा वातावरण तैयार किया जाना चाहिए जिसमें सभी कार्मिक अपनी स्वेच्छा से कार्य करें। इस कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए प्रत्येक कार्मिक को राजभाषा नियमों एवं आदेशों आदि की भी जानकारी होनी आवश्यक है।

हर वर्ष बेहतर कार्यनिष्पादन करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तिमाही में कार्यशाला में महत्वपूर्ण विषयों को शामिल कर राजभाषा हिंदी के प्रयोग में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जाता है तथा विभागों के आंतरिक निरीक्षण भी किए जाते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के गणमान्य सदस्यों ने भी अनेक अवसरों पर राजभाषा के कार्य–निष्पादन एवं पत्रिका प्रकाशन के कार्य की प्रशंसा की है। हमारा निगम वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में कार्य करते हुए किसानों की खुशहाली के लिए भी प्रयासरत है। इसके अलावा, कोविड–19 महामारी के दौरान भी वैज्ञानिक भंडारण एवं पैस्ट नियंत्रण के कार्य में निगम ने अहम् भूमिका अदा की है। हम वैज्ञानिक भंडारण के नैतिक दायित्व के साथ–साथ राजभाषा हिंदी को निरंतर आगे बढ़ाने में भी कृत संकल्प हैं। किसी भी वाणिज्यिक संगठन के लिए पत्रिका प्रकाशन महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि इसमें प्रकाशित सामग्री में विभाग के विभिन्न कार्यकलापों का उल्लेख होता है। विभिन्न वेअरहाउसों की जानकारी पत्रिका में प्रकाशित की जाती है ताकि सभी को निगम के बारे में अद्यतन जानकारी मिलती रहे। सरकारी काम–काज में हिंदी का प्रयोग मूल रूप से और बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। सभी के प्रयासों से हिंदी का कार्य गुणवत्तात्मक दृष्टि से जितना अधिक होगा, हिंदी को उससे और अधिक बल मिलेगा।

भंडारण भारती के इस अंक में प्रकाशित सामग्री सभी पाठकों के लिए प्रेरणाप्रद, कारगर और उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसी मेरी कामना है।

अनिल माणिक राव
समूह महाप्रबंधक (कार्मिक/प्रणाली)

संपादकीय

निगम की गृह पत्रिका भंडारण भारती का यह अंक भंडारण विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वास्तव में पत्रिका प्रकाशन का उद्देश्य तभी पूरा होता है जब उसमें निगम से जुड़ी कार्यालयीन गतिविधियों को शामिल किया जाए। खाद्यान्नों, अधिसूचित वस्तुओं आदि के वैज्ञानिक भंडारण के साथ–साथ निगम विभिन्न कार्यकलापों में आई. टी. को जोड़कर निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस अंक में भी हमने अपने स्थायी स्तंभों–साहित्यिकी, निगम के वेअरहाउसों का परिचय देने सहित सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निगम के बढ़ते कदम, कोविड के दौरान निगम की गतिविधियाँ, जीईएम (गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस), वेअरहाउस रसीद, सार्वजनिक भंडारण तथा वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक से संबंधित विषय भी प्रमुखता से प्रकाशित किए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि इन विषयों से संबंधित जानकारी से आप सभी तथा निगम में नए भर्ती हुए कार्मिकों को सारगर्भित जानकारी मिलेगी। पत्रिका के इस अंक में स्थापना दिवस, वार्षिक साधारण बैठक, उच्च अधिकारियों के लिए आयोजित कार्यशाला, निरीक्षण, निगम को प्राप्त पुरस्कार, स्वच्छता पखवाड़ा आदि की झलकियां भी प्रकाशित की गई हैं।

आप सभी के सहयोग से ही हम पत्रिका को सदैव नवीन कलेवर के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं जिससे यह पत्रिका उपयोगी, सूचनापरक एवं संग्रहणीय बन सके। हमें आशा है कि आगे भी आप सभी का मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा और निगम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा।

(नम्रता बजाज)
मुख्य संपादक

सार्वजनिक सेवार्थ तत्पर हरदम, केंद्रीय भंडारण निगम

डॉ. मीना राजपूत*

भारत कृषि प्रधान देश है और अन्न उत्पादन में हमारा देश अग्रणी रहा है। कृषि क्षेत्र में आई हरित क्रांति के बाद तो हम न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हुए हैं, अपितु निर्यात के क्षेत्र में भी हमारी पहचान बनी है। देश के अन्न उत्पादन एवं सुरक्षित भंडारण के मद्देनजर कृषि उपकरणों तथा उत्पाद और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए कृषि उपज अधिनियम, 1956 के तहत 2 मार्च, 1957 को केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य लोगों को सस्ती दर पर पर्याप्त मात्रा में उत्तम खाद्यान्न उपलब्ध कराना था, ताकि लोगों को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। देश के इस उद्देश्य की पूर्ति को केंद्रीय भंडारण निगम ने अपना मिशन बना लिया।

भांडागारों का निर्माण

कृषि सहित अन्य विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के भंडारण

के क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स सेवाएँ प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संस्था केंद्रीय भंडारण निगम के लिए किसान और व्यापारी उस समय भी अहम थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। इसी के चलते निगम उनकी सेवाओं के लिए सदैव तत्पर रहा है और उसकी इस तत्परता, कार्यकुशलता, निष्ठा तथा ग्राहकों व जमाकर्ताओं के अटूट विश्वास ने आज उसे इस मुकाम पर पहुँचाया है। निगम देश भर में 66 सीमा शुल्क बॉन्डेड वेअरहाउसों, 30 कंटेनर फ्रेट स्टेशनों/अंतर्देशी निकासी डिपो, 3 एअर कार्गो कॉम्प्लेक्स, 2 इनलैंड चेक पोस्ट, 3 तापमान नियंत्रित वेअरहाउस सहित 11.5 मी.टन भंडारण क्षमता के कुल 465 वेअरहाउस के माध्यम से 400 से अधिक अधिसूचित वस्तुओं की वैज्ञानिक भंडारण सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वेअरहाउसों की समुचित व्यवस्था की सामूहिक जिम्मेदारी को निगम अपना नैतिक दायित्व समझते हुए देश भर में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं व भंडारण की आवश्यकताओं के अनुरूप, निश्चित परिस्थितियों के अनुसार, नमी, तापमान व प्रकाश का ध्यान रखते हुए तथा भंडारण के मापदंडों के अनुसार वेअरहाउसों का सतत् निर्माण कर रहा है, ताकि भंडारण की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

सार्वजनिक भंडारण सुविधा

हरेक के लिए स्वयं के वेअरहाउसों का निर्माण करना, उसे सुविधाओं से युक्त बनाना बहुत खर्चीला होता है, इसलिए अपने साधनों से अपने लिए अलग से वेअरहाउसों का निर्माण नहीं किया जा सकता। अपने माल के संग्रहण/संचयन के लिए सार्वजनिक वेअरहाउसों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। निगम, भंडारण सुविधा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण व व्यापार सहायक सेवा प्रदान कर उत्पादक एवं उपयोगकर्ता के बीच सेतु का कार्य कर रहा है। केंद्रीय भंडारण निगम की मानकीकृत भंडारण सुविधाओं का लाभ उठाकर निश्चित रूप से समय, साधन, धन की बर्बादी से बचा जा सकता है और अपने माल को सुरक्षित रखा जा सकता है।

माल संग्रहण या संचयन की सुविधा

भंडारण का अर्थ ही है बड़ी मात्रा में समुचित तरीके से अतिरिक्त वस्तुओं को उत्पादन के समय से लेकर उनके वास्तविक उपयोग अथवा खरीद के समय तक संग्रहण/संचयन करना, सुरक्षित रखना और

*वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यलय, मुंबई

आवश्यकतानुसार उन्हें उपलब्ध कराना। अनाज, कपास, तिलहन का उत्पादन साल के विशेष मौसम में होता है, परंतु इनकी आवश्यकता साल भर रहती है। उत्पादन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इनकी एक निश्चित मात्रा सदैव उपलब्ध रखने के लिए इन्हें स्टॉक में रखना पड़ता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सके। इसके अलावा, कृषि उत्पादन एक विशेष स्थान पर होता है, किंतु उनकी खपत पूरे देश में होती है, इसलिए इन वस्तुओं को भंडारित करने के साथ इनके खपत वाले स्थान के निकट रखना भी जरूरी होता है, ताकि आवश्यकतानुसार शीघ्र आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। निगम की विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध उत्तम भंडारण सेवाओं का लाभ उठाकर अपने माल को आसानी से संग्रहित किया जा सकता है।

वैज्ञानिक पद्धति से भंडारण और परिरक्षण

निगम के वेअरहाउसों में माल मानक बोरियों/टीन के डिब्बों/ड्रमों में उचित रूप से बांस या लकड़ी के तख्त का मंच बनाकर, फर्श से 20–25 सें.मी. की ऊँचाई पर और दीवार से कम–से–कम 75 से.मी. की दूरी पर बड़े ही सलीके से साधारण/क्रास/ब्लॉक विधि से चट्टे लगाकर रखा जाता है, जिससे माल सही ढंग से रखा रहे और माल के निरीक्षण के लिए गोदाम के सभी हिस्सों में माल तक पहुँचना, माल की गिनती करना और पूर्ण जाँच करना सुनिश्चित किया जा सके।

हानि से सुरक्षा

निगम के आवश्यक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वेअरहाउसों में माल संरक्षित रहता है और माल की मात्रा या गुणवत्ता की प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि नहीं होती। माल की समुचित देखभाल सहित उसकी सुरक्षा व चोरी से बचाव के उपाय किए जाते हैं। गर्मी, सर्दी, नमी, कीड़े–मकोड़े, कीट–पतंगे, चूहे, पक्षी आदि से होने वाली अनाज की हानि को न्यूनतम या नगण्य किया जाता है। जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कोल्ड स्टोरेज व वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। 24 घंटे की पहरेदारी से माल को चोरी होने से बचाया जाता है।

अधिक लाभकारी मूल्य

ग्रामीण स्तर पर अनाज के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था होने से किसान अपनी मेहनत की उपज को औने–पौने दाम में बेचने को विवश नहीं होता। निगम के वेअरहाउसों में कृषि उत्पादों का सुरक्षित भंडारण कर अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।

स्वच्छता व गुणवत्ता

माल की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए माल की मात्रा, समय और सीमा के संदर्भ में आकलन कर रक्षित किया जाता है। निगम के वेअरहाउसों में अनाज रखने से जहाँ किसानों को पैदावार का पूरा लाभ मिलता है, वहीं लोगों को स्वच्छ व गुणवत्ता युक्त अनाज उपलब्ध होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है।

कीमतों में स्थिरता

बाजार में वस्तुओं का मूल्य स्थिर रखने के लिए भी उनके भंडारण की आवश्यकता पड़ती है। माँग और पूर्ति की स्थिति के अनुसार वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होते रहते हैं। वस्तुओं की अनुपलब्धता की स्थिति में बाजार में वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, अधिक उत्पादन तथा आपूर्ति से

वस्तुओं की कीमतें गिरने व कम होने की संभावना रहती है। अतिरिक्त माल की भंडारण सुविधा आपूर्ति में संतुलन एवं स्थिति पर नियंत्रण कर कीमतों में स्थिरता रखने में मदद करती है। माँग व पूर्ति की समानता से कृषि उत्पादों के मूल्य नियंत्रित रहते हैं और मूल्यों में स्थिरता बनी रहती है।

वित्त प्रबंधन

निगम द्वारा किसानों को निगम के वेअरहाउसों में अनाज भंडारण पर 30% की विशेष छूट के साथ नेगोशिएबल भंडारण रसीद प्रदान की जाती है, जो प्रमाणित करती है कि माल भांडागार में जमा है। यह रसीद गिरवी रख कर किसान बैंक या

अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं अग्रिम प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार, जल्दी से माल बेचे बिना ही ऋण लेकर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में सहायता

कृषि भारतीय अर्थ–व्यवस्था की रीढ़ है। भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 50% योगदान कृषि का है। कृषि उत्पादन के भंडारण में सहयोग के माध्यम से निगम भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषीय और अधिसूचित वस्तुओं, के लिए सहायता कर रहा है।

किसान विस्तार सेवा योजना

फसल के बाद की हानि को न्यूनतम करने के लिए निगम में किसान विस्तार सेवा योजना 1978–79 से लागू है। इस योजना के तहत निगम के प्रशिक्षित व विषय विशेषज्ञ कार्मिकों द्वारा गांव–गांव जाकर किसानों को अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक भंडारण विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे कृषि उपज के समय कीट–पतंगों से होने वाली फसल की बर्बादी को रोक सकें।

इसके अलावा, निगम क्लिअरिंग व फारवर्डिंग, रख–रखाव व परिवहन, प्रधूमीकरण जैसी अन्य अनुषंगी सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है। यही नहीं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए निगम भंडारण अवसंरचना के लिए विभिन्न एजेंसियों को परामर्शी सेवाएं भी उपलब्ध कर रहा है।

अपनी कड़ी मेहनत और लगन से निगम इस क्षेत्र में नित्य नई ऊँचाई छू रहा है। निगम की पारदर्शी व लाभकारी विभिन्न नई परियोजनाओं से निश्चित ही भंडारण क्षमता बढ़ेगी, संरचना मजबूत होगी और अपने ग्राहकों के साथ निगम का जुड़ाव और अधिक घनिष्ठ होगा।

आयात–निर्यात कार्गो वेअरहाउसिंग

भारतीय कंटेनर ट्रैफिक के बढ़ने से सीएफएस और आईसीडी जैसी ट्रांजिट सुविधाओं की मांग बढ़ी है, जो ब्रेक बल्क कार्गो के कंटेनरीकरण के लिए सेवाएं प्रदान करती है और कस्टम गतिविधियों को भी संभालती है। सीएफएस और आईसीडी सुविधाएं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का एक अभिन्न अंग है, भारत उभरते हुए देशों के साथ बढ़ रहे व्यापार का अनुभव करने की स्थिति में है, जो इस बाजार को आकर्षक क्षेत्र बना रहा है, जिससे आयात–निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में परिसंपत्ति की बढ़ोत्तरी होती है। मुख्य रूप से कंटेनरीकृत कार्गो में वृद्धि कस्टम क्लीयरेंस गतिविधियों में सुधार, अन्य लॉजिस्टिक्स गतिविधियों की तुलना में उच्च मार्जिन और डैडिकेटिड फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण के कारण बाजार विस्तार के लिए तैयार है। सरकार की पहल ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति, मैरीटाइम एजेंडा विजन, 2020 के माध्यम से पोर्ट क्षेत्र का विकास, लॉजिस्टिक्स पार्क और फ्री ट्रेड वेअरहाउस जोन (एफटीडब्ल्यूजेड) के निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित करने की नीतियों के साथ जहाज निर्माण में निवेश के रूप में स्थान, नियोजित परिसंपत्तियों और कम लागत वाली बेहतर सेवाओं के संदर्भ में कंटेनर लॉजिस्टिक बाजार के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया है।

इलायची की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों एवं सूत्रकृमियों का प्रबन्धन एवं फसलोत्तर भंडारण

डॉ. राशिद परवेज़*

परिचय

इलायची महत्वपूर्ण मसालों में से एक है जो मसालों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में सर्वोच्च स्थान रखती है। इलायची का विश्व व्यापार में एक समय भारत का एकाधिकार था। परन्तु पिछले कुछ दशकों में, इलायची के उत्पादन में कमी आयी है। यही कारण है, भारत इलायची उत्पाद में अन्य देशों के मुकाबले पीछे रह गया है। इसके कई कारण हैं, जिनमें रोगों, कीटों तथा सूत्रकृमि द्वारा इलायची की फसल को होने वाले नुकसान में प्रमुख भूमिका है। इलायची की खेती के लिए अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ प्रायः कीटों तथा सूत्रकृमियों के आक्रमण में सहायक सिद्ध होती हैं। जिन बगीयों तथा पौधशालाओं में फसल सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं अपनाये जाते है, उनमें यह समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है।

इन हानिकारक रोगों, कीटों एवं सूत्रकृमियों के बारे में जानकारी न होना इस समस्या को और भी भयावह बना देता है। अतः प्रस्तुत लेख में इलायची की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट एवं सूत्रकृमि तथा उनके प्रबन्धन का वर्णन किया गया है।

कीट

इलायची थ्रिप्स *(सायोथ्रिप्स कारडमोमी)*

इलायची थ्रिप्स इलायची के सबसे अधिक हानिकारक कीट है। इसका आपतन इलायची उत्पादन करने वाले लगभग सभी क्षेत्रों में होता है। थ्रिप्स बन्द पर्ण धुरी, पर्ण कोश, पुष्प सह पत्र एवं पुष्प ट्यूब के अन्दर बढ़ती है। वयस्क तथा लार्वे पत्ते, प्ररोह तथा कैप्स्यूल को हानि पहुंचाते हैं। पुष्प गुच्छों पर रोग बाधा होने पर पुष्प तथा अपरिपक्व कैप्स्यूल झड़ जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में हानि 80% तक अंकित की गई है। गरमी के मौसम में (फरवरी – मई) थ्रिप्स की संख्या अधिक तथा मानसून के प्रारंभ में कम होती है। मैसूर तथा वाषुका प्रकार थ्रिप्स के अधिक सुग्राह्य होते है।

प्रबन्धन

- छायादार वृक्षों की शाखाएं काटकर छाया को नियमित करना चाहिए।
- इलायची पौधों के पत्तों को वर्ष में तीन बार काट छांट करके (मानसून की शुरूआत में, मानसून के मध्य काल में तथा मानसून के बाद वाले काल में) कीटों के प्रजनन को कम करना चाहिए।
- कीटनाशक जैसे, क्विनालफोस (0.025%) का मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त तथा सितम्बर में छिड़काव करना चाहिए।
- कर्नाटक में फिप्रोनिल (0.005%) या स्पिनोसाद (0.0135%) का फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल, मई, सितम्बर तथा अक्तूबर में छिड़कना प्रभावी होता है। मधुमक्खी के परागण के समय छिड़काव नहीं करना चाहिए।

प्ररोह एवं कैप्स्यूल भेदक *(कोनोगीथस पंक्टिफरालिस)*

प्ररोह एवं कैप्स्यूल भेदक पौधशाला तथा खेतों में फसल को हानि पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। इसका लार्वा प्स्यूडोस्टम का रस चूसकर, उसके आन्तरिक कीड़ों को खा लेता है। फलस्वरूप डेड हार्ट लक्षण अंकित होते हैं। पुष्प गुच्छों पर आक्रमण करने तथा उसके अन्दर प्रवेश करने वाला भाग सूख जाता है। लार्वा भी कैप्स्यूल भेद कर बीजों को खाने से कैप्स्यूल नष्ट हो जाता है। पूरे वर्ष इस कीट का आपतन रहता है, लेकिन जनवरी, फरवरी, मई, जून तथा सितम्बर, अक्तूबर माह में अधिक आपतन होता है।

*प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि संभाग, भाकृअनुप–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली–110 012

प्रबन्धन

- कीट बाधित सकेर्स को सितम्बर – अक्तूबर माह में अलग करना चाहिए।
- वयस्क, जो साधारणतया पत्तों के नीचे दिखाई पड़ते हैं उनको संचित करके नष्ट करना चाहिए।
- फरवरी – मार्च तथा सितम्बर – अक्तूबर में पुष्प गुच्छ एवं नये प्ररोह के समय क्विनालफोस (0.075%) का दो बार छिड़काव करना चाहिए।

रूट ग्रब (जड़ भक्षण)

रूट ग्रब इलायची की पौधशाला तथा खेतों में हानि पहुंचाने वाला प्रमुख कीट है। यह कीट जड़ एवं प्ररोह को खाकर हानि पहुंचाते हैं। कभी कभी यह कीट पूरी जड़ को नष्ट कर देते है। फलस्वरूप, पौधे पीले होकर कमजोर हो जाते हैं। अत्यधिक संक्रमित पौधों की मृत्यु हो जाती है। इसके वयस्क का प्रभाव अप्रैल तथा सितम्बर में होता है। इस कीट के प्रभाव के दो काल होते हैं, पहला अप्रैल –जुलाई तथा दूसरा जनवरी में होता है।

प्रबन्धन

- अप्रैल – मई तथा सितम्बर – अक्तूबर माह में, वयस्क बीटल को संचित करके नष्ट करना चाहिए।
- फोरेट 10 जी (प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर) को 20 – 40 ग्राम प्रति क्लम्ब की दर से या क्लोरपिराइफोस (0. 075%) को वर्ष में दो बार मई – जून तथा अगस्त – सितम्बर में वयस्क तथा कीटों के अंडे देने वाले समय में समकालिक पर डालना चाहिए।
- जड़ खाने वाले कीट के प्रभावी नियन्त्रण के लिए कीटनाशक डालने से पहले मृदा को इकट्ठा करना अनिवार्य होता है।

अप्रधान कीट

कैप्स्यूल भेदक

कैटरपिलेर्स पुष्प तथा कैप्स्यूल को भेद कर खाते हैं। इससे प्रभावित होकर कैप्स्यूल खराब होकर अन्त में गिर जाते हैं। यह कीट मानसून काल में अति प्रभावशाली होता है।

प्रबन्धन

- अधिक छाया वाले स्थानों की छाया को नियमित करना चाहिए।
- कीटनाशक जैसे, क्विनालफोस (0.025%) को मार्च, अप्रैल, मई, अगस्त तथा सितम्बर में छिड़कना चाहिए।

जड़ एवं प्रकन्द भेदक

जड़ एवं प्रकन्द भेदक के लार्वे फ्रास के साथ सुरंग बनाकर जड़ों को भेदता है। कीट आक्रमण के कारण जड़ को हानि पहुंचाती है तथा कीटों के अत्यधिक आक्रमण के कारण कीट बाधित क्लम्ब सूख जाता है। कीटबाधा मुख्यतः प्रमुख पौधशाला में अधिक होती है।

प्रबन्धन

कीट बाधित अपरिपक्व प्रकन्दों को नष्ट करना तथा कीटनाशक, जैसे, फोरेट (प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर) या क्लोरपिराइफोस से उपचार करने से कीटों को नियन्त्रित कर सकते हैं।

हैयरी केटरपिलर

हैयरी केटरपिलर का आपतन कभी कभी बहुत अधिक दिखाई पड़ता है जो पौधों के पतझड़ द्वारा इलायची के गंभीर नाश का कारण होता है। यह केटरपिलर साधारणत संघचारी है तथा दिन में छायादार वृक्षों के तने पर जमा होते हैं। जीवन चक्र की पहली अवस्था में यह छायादार वृक्ष को खाते हैं।

प्रबन्धन

- दिन में छायादार वृक्षों के तने पर जमा होने वाले डेयरी कैटरपिलर के जमाव को संचित करके नष्ट कर देना चाहिए।
- वयस्क डेयरी कैटरपिलर को रात में प्रकाड ट्रेप की सहायता से इन कीटों को संचित करके नष्ट करना चाहिए।
- लार्वा को कीटनाशक क्विनालफोस (0.05%) का छिड़काव करके नियन्त्रित करना चाहिए।

प्ररोह मक्खी

प्ररोह मक्खी के लार्वे नये इलायची पौधों के प्ररोह को खाने से डेड हार्ट का कारण बनता है। अक्तूबर – नवंबर तथा

मार्च – अप्रैल माह में कीट आपतन अधिक होता हे। सामान्यतः नये खेतों में नये पौधे, जो अपर्याप्त छाया में उग रहे है, उस पर कीट आक्रमण अधिक होता है।

- कीट बाधित प्ररोहों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट करना चाहिए।
- क्विनालफोस (0.05%) का छिड़काव करके इन कीटों का नियन्त्रण करना चाहिए।

सूत्रकृमियां

सूत्रकृमियां, विशेषकर जड़ गांठ सूत्रकृमि (मेलोयिडोगाइन इनकोग्निटा तथा एम. जावानिका) पौधशालाओं तथा खेतों में हानि पहुंचाते हैं। यह इलायची की जड़ों को नुकसान पहुंचाकर उपज को 32–47% तक कम करते हैं। इसके लक्षण पौधों पर वृद्धि रोध, पीलापन, टिलरिंग कम होना, पर्णाग्र का शुष्कन, पर्ण आकार की कमी आदि है। सूत्रकृमि बाधित पौधों के पुष्पण में देरी होती है तथा अपरिपक्व फल गिरने से उपज में कमी आती है। छायादार वृक्ष जैसे, एरिथ्रीना इन्डिका, ई. लिथोस्पोर्मा तथा रेतीली मिट्टी सुत्रकृमियों को बढ़ाने के लिए आदर्श होते है।

प्रबन्धन

पौधशाला प्रबन्धन

पौधशाला में पोटिंग मिश्रण को मीथाइल डाई ब्रोमाइड (प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर) से 3 – 7 दिन तक उपचारित करना चाहिए। यह कार्य सरकारी विशेषज्ञों, पौध संरक्षण सलाहकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की देख रेख में करना चाहिए। कारबोफ्युरान तथा फोरेट के स्थान पर कारबोसल्फान (1 मि. ली./ली. पानी) का भी प्रयोग कर सकते हैं।

खेत प्रबन्धन

- सूत्रकृमि रहित बीजपौधों का रोपण करना चाहिए।
- अनावृत क्षेत्रों में मल्चिंग करना चाहिए।
- जैविक खाद जैसे, नीम केक को क्लम्ब के आकार के अनुसार वर्ष में दो बार 250 – 1000 ग्राम की दर से नियमित तौर पर डालने पर सूत्रकृमियों की हानि से बचा जा सकता है।
- कारबोफ्युरान/फोरेट (प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़ कर) 15 – 50 ग्राम की दर से पौधे के आधारीय भाग में वर्ष में दो बार मई/जून तथा सितम्बर में उपचारित करना चाहिए।
- मानसून के पूर्व सूत्रकृमिनाशकों तथा मानसून के मध्यकाल में नीम केक का प्रयोग करके सूत्रकृमि की समस्या को कम कर सकते हैं।

फसलोत्तर भंडारण

इलायची को उसके आकार और गुणवत्ता के आधार पर भंडारित किया जाता है। इलायची को उसके हरे रंग को कायम रखने के लिए 10% से कम आर्द्रता मे भंडारित किया जाता है। इसे 300 गज वाली काली पॉलिथीन बैग मे रख कर भंडारित करते है। सूखी इलायची को लकड़ी के बक्से में कमरे के सामान्य तापमान मे भंडारण करने के लिए संस्तुत किया जाता है।

निष्कर्ष

इलायची की फसल को हानि पहुंचाने वाले कीटों एवं सूत्रकृमियों के प्रभाव से बचाया जा सकता है। यदि हम उनका समय रहते उपचार करें तो न केवल इन समस्याओं से बचा जा सकता है, बल्कि इलायची के उत्पादन में भी बढ़ोत्तरी होगी। अतः जब उत्पादन बढ़ेगा तब किसानों का लाभ भी बढ़ेगा और उसके साथ–साथ हमें अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

आभार

लेखक निदेशक, उपनिदेशक (अनुसंधान), अध्यक्ष, सूत्रकृमि संभाग, भाकृअनुप – भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली का उनके सहयोग एवं मार्ग दर्शन के लिये आभार व्यक्त करता है।

वेअरहाउसिंग और लॉजिस्टिक में तकनीक आधारित क्रांति–भाग 2

सैम्युएल प्रवीण कुमार*

भंडारण भारती के अंक–74 में उक्त विषय से संबंधित पांच प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी दी गई थी। शेष पांच प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी यहां प्रस्तुत है।

1. क्लाउड टेक्नोलॉजी

अन्य उद्योगों के साथ, क्लाउड स्टोरेज वेअरहाउसिंग की उत्पादकता में क्रांति ला रहा है क्योंकि यह तात्कालिक और स्व–अद्यतन प्रणाली रखरखाव, बुनियादी ढांचे और प्रबंधन प्रणालियों के रखरखाव से जुड़ी श्रम लागतों में कटौती करती है। क्लाउड प्रौद्योगिकियां भी उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं और सभी कर्मचारियों द्वारा उपयोग की जा सकती हैं। यदि अत्यधिक कुशल तकनीकी कर्मचारी छोड़कर चले भी जाते हैं तो कंपनियां अपेक्षाकृत कम असुरक्षित महसूस करती हैं। यह तकनीक कई प्रकार के उपयोगी संसाधन लाती है जो न केवल समग्र लागत का उपयोग करती है, बल्कि लागत को भी बचाती है। इस तकनीक को किसी भी भौतिक हार्डवेयर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता नहीं होती है और उपयोगकर्ता इसे सब्सक्रिप्शन शुल्क के बजाय उपयोग आधारित शुल्क के रूप में उपयोग कर सकता है।

क्लाउड टेक्नोलॉजी के लाभ

➢ स्थिरता और संसाधन उपयोग

यह तकनीक उपयोगकर्ताओं के लिए भंडारण की बेहतर विश्वसनीयता की पेशकश करने वाले प्लेटफॉर्म पर संसाधनों का उपयोग करके सर्वोत्तम स्थिरता प्रदान करती है।

➢ डेटा सुरक्षा

एक एकल क्लाउड सर्वर में संग्रहित डेटा की एक बड़ी मात्रा होने के बाद भी, यह सबसे अच्छा डेटा बैकअप और अपने संसाधनों की सुरक्षा प्रदान करता है तथा जब भी वे इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो यह उपयोगकर्ताओं के लिए आसानी से उपलब्ध है।

➢ रिसोर्सिज का फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट

सॉफ्टवेयर अपडेशन और अपग्रेडेशन, इच्छुक एप्लिकेशन को एकीकृत करने के लिए मैन्युअल चरणों की आवश्यकता के बिना स्वचालित रूप से और जल्दी होता है।

➢ उच्च गति और लचीलापन

क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं ग्राहकों के लिए काम करने के लिए आसानी से उपलब्ध हैं और उच्च गति के प्राप्त एवं उपयोग की क्षमता इन संसाधनों को कहीं भी और कभी भी काम कराती हैं।

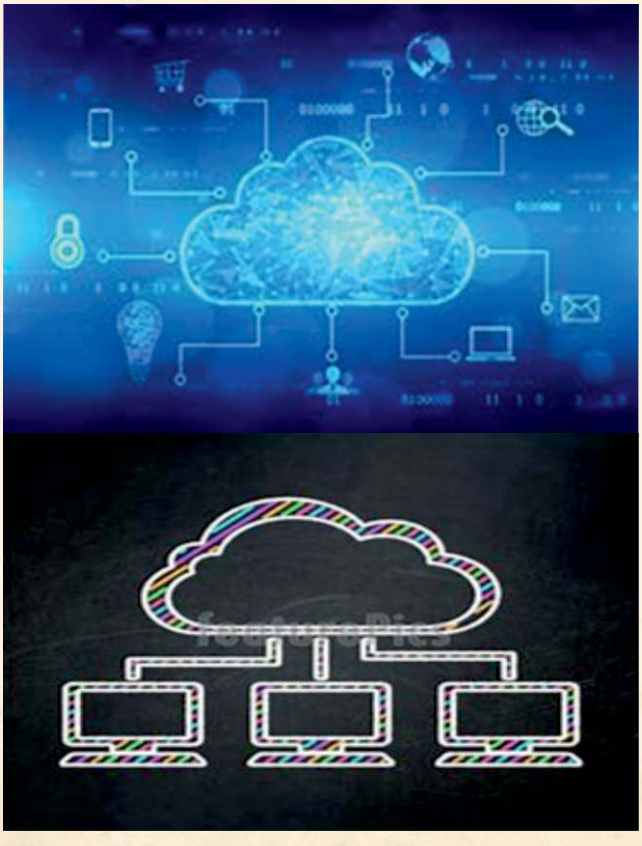

*महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), केंद्रीय भंडारण निगम, निगमित कार्यालय,नई दिल्ली

2. ऑन–डिमांड वेअरहाउसिंग

''वेअरहाउसिंग–उवरैजेशन'' ऑन–डिमांड वेअरहाउसिंग का नवनिर्मित प्रयोग यह उपयोग आधारित शुल्क आधार पर वेअरहाउसिंग सेवाओं और स्थान को लेने का एक उभरता हुआ तरीका है। वेअरहाउसिंग की यह विधि ग्राहकों के लिए स्थान, लागत और आपूर्तिकर्ता को अधिक विकल्प तथा लचीलापन प्रदान करती है। जब नए वेअरहाउसिंग स्थानों के लिए आवश्यक हो तो आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में प्रदान करती है।

ऑन–डिमांड वेअरहाउसिंग और पूर्ति प्रदाता बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं– लॉजिस्टिक के लिए एयर बी.एन.बी एक प्रकार यह अवधारणा अतिरिक्त गोदाम क्षमता वाली कंपनियों को अपना स्थान भरने की सुविधा देती है और विक्रेताओं को एक दीर्घकालिक अनुबंध में प्रवेश किए बिना अस्थायी या मौसम के अनुसार भंडारण की आवश्यकता वाले स्थान प्रदान करती है। ग्राहकों को या तो गोदामों के मालिक होने के लिए एक पूर्ण विकल्प के रूप में, या स्थान, लागत और आपूर्तिकर्ता को अधिक विकल्प और लचीलापन देता है, आंशिक प्रतिस्थापन के रूप में जब नए वेअरहाउसिंग स्थान आवश्यक हो जाते हैं।

व्यापारी अपने इच्छित स्थान में वेअरहाउस स्थान की उपलब्धता के लिए एक प्रदाता प्लेटफार्म पर खोजते हैं। ई–कॉमर्स विक्रेताओं के लिए यह एक तरीका है कि वह ग्राहक के पास इन्वेंट्री रखकर तेजी से वितरण प्राप्त करें। आर्थिक रूप से, ऑन–डिमांड वेअरहाउस आम तौर पर उपयोगकर्ताओं को अल्पकालिक परिवर्तनीय लागतों के साथ दीर्घकालिक पट्टे से जुड़ी निश्चित लागतों को बदलने में सक्षम बनाता है, जिससे एक अधिक चुस्त आपूर्ति श्रृंखला सक्षम होती है जो मांग में उतार–चढ़ाव के कारण ऊपर–नीचे हो सकती है।''

ऑन–डिमांड वेअरहाउसिंग को अपनाते समय सबसे बड़ा नुकसान लॉजिस्टिक्स कंपनियों को यह होता है कि वे स्थान के लिए बाजार की दरों में उतार–चढ़ाव के अनुसार प्रदर्शित होती रहती हैं, जो अक्सर बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेल, प्रमुख सड़कों और शहरी केंद्रों के पास के स्थानों पर अधिक होती हैं।

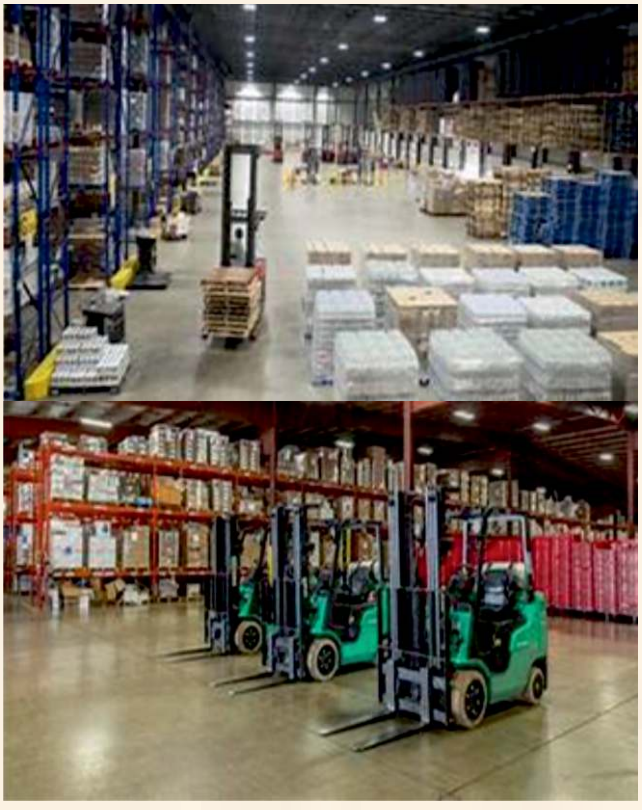

3. इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)

लॉजिस्टिक दृश्य पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) की प्रौद्योगिकियां नई नहीं हैं और कई वेअरहाउस में पहले से ही वेअरबल्स, सेंसर और रेडियो–फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग (RFID) जैसे उपकरण उपयोग किए जाते हैं। अन्य इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों के लिए संगत जानकारी देते हुए यह प्रौद्योगिकियां मानवीय त्रुटि और मैनुअल श्रम की आवश्यकता को कम करती हैं। वेअरहाउस प्रबंधकों को ऑर्डर पूर्ति की सूचना वास्तविक समय पर मिलती है, जिससे वे सामान को अधिक कुशलता से संसाधित कर सकते हैं।

सुरक्षा चिंताओं ने इनमें से कुछ प्रगति को अपनी क्षमता तक पहुंचने से रोक दिया है, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा सेंसर प्रौद्योगिकी को बड़े लॉजिस्टिक्स ऑपरेशनों में लागू करने की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई उभरती हुई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। अधिक कुशल एन्क्रिप्शन की अनुमति देने वाले माइक्रोचिप्स नवाचारों में से एक हैं जो वेअरहाउसिंग में इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपनाने के बारे में सुरक्षा चिंताओं को कम करेगा, और भविष्य में काफी दक्षता बढ़ाएगा।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लाभ

➢ **बेहतर पारदर्शिता**

आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता न केवल आंतरिक संचालन को सुव्यवस्थित करने का एक तरीका है, बल्कि ग्राहकों के साथ जुड़ने की एक शक्तिशाली रणनीति भी है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स गोदाम प्रबंधकों को वास्तविक समय में वेअरहाउस और आपूर्ति श्रृंखला डेटा एकत्र करने और ग्राहकों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। इस तरह, एक खरीदार निराश नहीं होगा यदि एक वांछित उत्पाद उपलब्ध नहीं है तथा सामान वापस उपलब्ध होने पर सिस्टम एक संदेश भी भेजेगा।

➢ **अनुमानित रखरखाव**

एक अनुमानित रखरखाव प्रणाली उपकरण की खराबी के शुरुआती संकेतों का पता लगाती है, जिससे स्टोर प्रबंधकों को अतिरिक्त मशीनरी तैयार करने और डाउनटाइम से बचने की अनुमति मिलती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स डाउनटाउन और मशीन की मरम्मत के खर्च को कम करने में सक्षम बनाता है, जिससे गोदाम प्रबंधन को काफी सुविधा होती है।

➢ **बेहतर अंतिम प्रणाली वितरण**

अंतिम–खाद्यान्न वितरण यातायात, ड्राइवरों के कौशल और ईंधन लागत पर अत्यधिक निर्भरता के कारण सभी वितरण लागतों का 30% से अधिक कवर करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ, डिलीवरी ट्रक सभी उपलब्ध स्थान का उपयोग करके पूरी तरह से अधिक कुशलता से ऑर्डर एकत्र कर सकते हैं।

➢ **रियल टाइम प्रोडक्ट ट्रैकिंग**

गोदाम प्रबंधन के लिए आईओटी समाधान उत्पाद स्थानों, परिवहन की स्थिति, पैकेजिंग की प्रमाणिकता, आदि पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करते हैं। त्वरित अपडेट के लिए स्टोर प्रबंधक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि परिवहन के दौरान कोई इन्वेंट्री रह गई है और यह सुनिश्चित करें कि आपूर्ति श्रृंखला विक्रेता जिम्मेदारी से वितरण कर रहे हैं।

4. कंपोजिट पैनल टेक्नोलॉजी

आने वाले वर्षों में वेअरहाउसों के निर्माण की तकनीक में बदलाव आएगा। एकल–विंडो प्रौद्योगिकी को पारंपरिक तरीकों और सामग्रियों से बदलने के लिए तैयार किया गया है। कम्पोजिट पैनल टैक्नोलॉजी एक उच्च निष्पादन वाली निर्माण प्रणाली है, जो समग्र निर्माण में नई सामग्री के उपयोग के माध्यम से पारंपरिक निर्माण विधियों या प्रणालियों पर बेहतर इन्सुलेशन, संरचनात्मक शक्ति और स्थायित्व प्रदान करती है। वेअरहाउसों के निर्माण और रखरखाव में तेज विकास समग्र पैनलों में नई सामग्री के उपयोग के माध्यम से अधिकतम इन्सुलेशन, हवा–की कमी और स्थायित्व का अनुकूलन करने के लिए निर्धारित हैं। नवीनतम पैनल प्रौद्योगिकी लगभग 20% तक वेअरहाउस ऊर्जा दक्षता में सुधार कर सकती हैं। ठंडे और फ्रोजन फूड जैसी भंडारण में जहां सही तापमान बनाए रखना महत्वपूर्ण संसाधन है। रीत भंडारण, सुविधाएं लागत और उत्सर्जन बचत विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगी। कम्पोजिट पैनल टेक्नोलॉजी का लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन पर वैश्विक प्रभाव पड़ना तय है, इससे न केवल स्थिरता में वृद्धि होती

है, बल्कि वेअरहाउस के निर्माण समय और लागत में भी कमी आ सकती है।

5. ब्लॉक चेन तकनीक

ब्लॉकचेन एक वितरित लेजर तकनीक है जो पार्टियों के बीच सुरक्षित तरीके से रिकॉर्ड लेनदेन का आदान–प्रदान करती है। इसे और अधिक सीधे शब्दों में कहें तो यह डेटा के ब्लॉक हैं जो एक चेन है, इसलिए ब्लॉकचेन शब्द, जो सभी कंप्यूटरों द्वारा एक नेटवर्क में साझा किया जाता है, उन्हें संबंधित पार्टियों तक पहुंच योग्य बनाता है।

ब्लॉकचेन की तीन मुख्य विशेषताएं है– सरल उपयोग, सुरक्षा और जवाबदेही। ब्लॉकचेन, सभी पार्टियों द्वारा साझा किया जा रहा है, इसमें शामिल सभी लोगों के लिए डेटा सुलभ है। डेटा को प्रत्येक कंप्यूटर पर स्टोर किया जाता है ताकि यह विकेंद्रीकृत और वितरित दोनों तरह से हो सके। यह उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि हैकर्स को केवल एक लेन–देन बदलने के लिए एक ही समय में सभी लिंक किए गए कंप्यूटरों पर डेटा तक पहुंचने और बदलने की आवश्यकता होगी। प्रथक रूप में जानकारी हेतु ब्लॉकचेन नेटवर्क में प्रत्येक जवाबदेही सुनिश्चित रहती है।

वेअरहाउस में ब्लॉकचेन की भूमिका

गोदाम सहित आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक हितधारक के बीच निर्बाध सहयोग द्वारा लॉजिस्टिक में उत्कृष्टता प्राप्त की जाती है। कई संस्थाओं के विभिन्न जटिल तकनीकों से जुड़े होने के कारण कम सहयोग और सीमित पारदर्शिता होती है। ब्लॉकचेन डेटा सुरक्षा और आसान संपर्क की गारंटी देते हुए संबंधित पार्टियों को एक ही डेटा प्लेटफॉर्म पर लिंक करेगा। जब आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) के साथ जोड़ा जाता है, तो इसे संयुक्त लेजर में नए डेटा को स्वचालित रूप से अपडेट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, परिवहन में मीट को 4^{0} सेल्सियस या उससे कम तापमान बनाए रखना चाहिए। ब्लॉक चेन और आईओटी के साथ, डेटा को संरक्षित और सुलभ रखते हुए आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण पर इसके तापमान की जांच करना और रिकॉर्ड करना संभव है। यह संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के लिए जांच को आसान बनाता है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियां खाद्य की स्थिति की रिपोर्ट करती हैं।

ब्लॉकचेन के साथ, वेअरहाउस इन्वेंट्री प्रबंधन सटीक रूप से मांग का पूर्वानुमान लगा सकता है और जिससे हमेशा अपेक्षित मांग को पूरा करने के लिए सही प्रकार और स्टॉक की मात्रा की आवश्यकता होती है। बिक्री में जोखिम की कमी को कम करते हुए इस तकनीक ने राजस्व और लाभप्रदता को अनुकूलित करना संभव बनाया है।

निष्कर्ष

यह एक तथ्य है कि सीडब्ल्यूसी ने क्लाउड प्रौद्योगिकी को छोड़कर कुछ हद तक उपरोक्त प्रौद्योगिकी लाइनों को अभी नहीं अपनाया है। लेकिन यह समय की मांग है कि प्रौद्योगिकी संचालित वेअरहाउसिंग पर सीडब्ल्यूसी की व्यावसायिक विचार–प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव होगा, जो आने वाले भविष्य के दशक को परिभाषित करेगा। लेकिन यह निश्चित है कि अब से 5–6 वर्षों में, ड्रोन, रोबोट, ऑन–डिमांड वेअरहाउसिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कम्पोजिट पैनल टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जैसे शब्द वेअरहाउसिंग प्रचालन में उनके व्यापक उपयोग के माध्यम से केन्द्रीय भंडारण निगम में आम शब्दों के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे।

केन्द्रीय भंडारण निगम का गौरव

संतराम*

निगमों में छवि अनोखी, देखो इसके गुणवत्ता काम ।
भारत का गौरव है ये, केन्द्रीय भंडारण निगम इसका नाम ।।
धीरे–धीरे जाना सभी ने, कितना है निगम का मान ।
किसानों पर प्यार बरसाए, व्यापारियों को करे धनवान ।।

ऑनलाइन सेवा इसकी, तुरंत हो इसके निपटान ।
पाने वाला खुश हो जाता, देख निगम के स्वच्छ भुगतान ।।
पारदर्शिता है इसकी भारी, नित खुश होते सब जमाकर्ता ।
करें तारीफ पुरजोर इसकी, बार–बार आने का मन करता ।

पी.सी.एस. सेवा इसकी निराली, चारों तरफ होता है गुणगान ।
साथी विभाग फायदा उठाएं, कर्मचारी पाएं भारी सम्मान ।।
प्रतियोगिता निगम हमेशा करता, हौंसले इसके मिलते उत्तम ।
मंत्रालय इस पर गौरव करता, सूची में हर वर्ष पाए ये सम्मान ।

कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी इसके, मेहनत करते हैं दिन–रात ।
खुश होता प्रबन्धन इसका, गर्व करते स्वयं देकर सौगात ।।
निगम कितनों के भाग्य संवारे, करता सबका उत्थान ।
धन्यवाद उनकी मेहनत को, बनाई भारत में निगम की शान ।।

*वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक (सा0), सैन्ट्रल वेअरहाउस, बेस डिपो, पठानकोट

राजभाषा के क्षेत्र में 35 वर्ष का यादगार सफर

महिमानंद भट्ट*

सच कहते हैं, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। अब देखते ही देखते जीवन का ऐसा सुंदर पड़ाव आ गया जिसकी हर दिशा मनचाहे सफर की ओर चलने के लिए तैयार है। आज से 35 वर्ष पूर्व जब मैंने केन्द्रीय भंडारण निगम में राजभाषा की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित किया था तो सोचा भी न था कि यह सफर एक विशाल अनुभव से भरा पूर्णतः सफल और परिपक्व सफर होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय का कॉमर्स का छात्र होने के बावजूद राजभाषा की सेवा करना मेरे लिए संयोगवश ही था।

केन्द्रीय भंडारण निगम में आने से पूर्व लगभग 04 वर्ष तक मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कार्य किया। छात्र जीवन के दौरान मेरा परिचय उस समय के जाने–माने साहित्यकारों से होने के कारण उन्होंने मेरे जीवन को नई दिशा दी और यह गुरूमंत्र दिया कि जहां भी काम करो वहां सिर्फ काम–काम और काम को अपनी पहचान बनाओ, तथा उस काम का अच्छा परिणाम भी लाने का प्रयास करो। मैंने सदैव इस मंत्र को अपनाते हुए बेहतर से बेहतर काम करने का यथासंभव प्रयास किया जिसका मुझे प्रतिफल भी प्राप्त हुआ और जिसकी आज मुझे पूर्ण संतुष्टि भी है। निःसंदेह 35 वर्ष से अधिक की यात्रा में अपने कार्यालय और अन्य कार्यालयों के अधिकारियों का मार्गदर्शन राजभाषा के सफर में कई मायनों में मेरे लिए प्रेरणादायक रहा है।

निगम में मेरी प्रारंभिक ज्वाइनिंग क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में हुई। वहां 7 वर्ष से अधिक समय तक जो कार्य किया वह आज भी मन–मस्तिष्क में उभर कर सामने आता है। राजभाषा के लिए एक सुंदर वातावरण तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं साथियों के सहयोग से हमने कई उच्च स्तरीय आयोजन कर अपने कार्यालय का नाम राजभाषा के क्षेत्र में रोशन किया । क्षेत्रीय कार्यालय से निगमित कार्यालय में स्थानांतरण होने के बाद राजभाषा के क्षेत्र में जो उपलब्धियाँ हासिल हुईं, वह सर्वविदित हैं, किंतु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि मेरी सेवा अवधि में सभी साथियों के सहयोग से निगम ने राजभाषा के क्षेत्र में जो शानदार सफलताएं हासिल की है, वे हमेशा याद रहेंगी ।

किसी भी संगठन के लिए पत्रिका प्रकाशन कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह संगठन की विभिन्न गतिविधियों की झलक एवं उसके कार्यों, उद्देश्यों को अन्य संस्थाओं तक पहुंचाने की भूमिका अदा करती है। राजस्थान विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पी.जी. डिप्लोमा तथा संपादन में 'विशेष उपाधि' प्राप्त होने का फायदा मुझे निगम की पत्रिका के संपादन कार्य में हुआ। मेरी सेवा अवधि में निगम की पत्रिका 'भंडारण भारती' के अभी तक 74 अंक प्रकाशित हो गए हैं और यह 75 वां अंक है। इस पत्रिका का 50 वां अंक वर्ष 2013 में राजभाषा अधिनियम, 1963 को 50 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित किया गया था, उसके बाद विशेषांक के रूप में कई अंक प्रकाशित हुए। भंडारण भारती पत्रिका से पूर्व 'हिन्दी स्मारिका' वार्षिक पत्रिका के भी कई अंक प्रकाशित हुए। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी अंकों में मेरे कार्यालयीन हिंदी, हिंदी साहित्य, पत्रकारिता, व्यंग्य, कविताएं, सूचना प्रौद्योगिकी, पब्लिक रिलेशंस, जीवन के विभिन्न आयाम, भंडारण, अनुवाद, यात्रा

*प्रबन्धक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

संस्मरण आदि विषयों पर कई लेख प्रकाशित हुए और प्रशंसा के साथ पुरस्कृत भी हुए।

निःसंदेह पत्रिका प्रकाशन के क्षेत्र में भी निगम ने निरंतर अपने पग आगे बढ़ाए। इस पत्रिका के रंग, रूप और स्तर को बनाए रखने का जितना प्रयास किया जा सकता था, किया गया। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, इस संकल्प को लेते हुए वर्ष 2018 में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से पहली बार सर्वश्रेष्ठ पत्रिका प्रकाशन हेतु 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' का प्राप्त होना हमारे निगम के लिए गौरव और सम्मान की बात थी। आज यह पत्रिका लगातार अपना सर्वोच्च स्थान बनाए हुए है जिसके परिणामस्वरूप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली से भी इसे लगातार हर वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए पहले 'इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार' दिए जाते थे। निगम एक बार नहीं कई बार इस पुरस्कार को प्राप्त करने का पात्र बना। इसके बाद, अपने प्रशासनिक मंत्रालय से भी निगम को राजभाषा के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त होते रहे।

मार्च, 2007 में निगम के 50 वें 'स्थापना दिवस' के अवसर पर 'भारत में वैज्ञानिक भंडारण–एक विवेचन' नामक पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक भंडारण से संबंधित विभिन्न विषयों पर अति–महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित हुए। यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी साबित हुई एवं विशिष्ट अवसरों पर लगाई गई प्रदर्शनी में गणमान्य व्यक्तियों सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने इसकी सराहना भी की। अब मैं थोड़ी चर्चा राजभाषा के मुख्य पहलूओं के बारे में करना चाहूंगा। राजभाषा के कई क्षेत्र हैं जिसमें से कार्यान्वयन, शिक्षण–प्रशिक्षण, अनुवाद और प्रकाशन कार्य आदि प्रमुख हैं। इन क्षेत्रों के अलावा हिंदी दिवस, कार्यशाला, बैठक का बेहतर ढंग से आयोजन करना आदि भी विशेष महत्व रखता है। मुझे खुशी है कि मंत्रालय से लेकर कई उपक्रमों में मुझे कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया और इसका फीडबैक भी सराहनीय रहा। केन्द्रीय भंडारण निगम में इन आयोजनों के अलावा दो बार राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलनों का भी सफलतापूर्वक आयोजन करना हमारे लिए गर्व की बात थी।

निःसंदेह राजभाषा का कार्य अपने आप में एक तकनीकी स्तर का कार्य होता है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं के गहन ज्ञान के साथ–साथ लेखन क्षमता की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शब्द और वाक्य निर्माण की कला, लेखन कला का अच्छा होना राजभाषा अधिकारी की विशेष योग्यता होती है। विभिन्न अवसरों पर उच्च अधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले भाषणों में शब्द एवं वाक्य निर्माण को युक्तिसंगत एवं सारगर्भित रूप से प्रस्तुत करना एक कला होती है। मेरा मानना है कि राजभाषा अधिकारी को इस कला में पारंगत होना चाहिए ताकि उच्च अधिकारियों के लिए विशिष्ट अवसरों हेतु संबोधन एवं भाषण तैयार करने में आसानी हो सके और उनके समक्ष राजभाषा की सुंदर छवि भी बनी रहे ।

राजभाषा में कार्य करने के लिए सहायता के रूप में शब्दावली का अत्यंत महत्व होता है। निगम की 'भंडारण शब्दावली' अपने इस उद्देश्य को पूरा कर रही है। यह शब्दावली सभी को आसानी से उपलब्ध हो सके और इसका पूर्ण उपयोग हो सके। इस आशय को ध्यान में रखते हुए राजभाषा अनुभाग द्वारा निगम की वेबसाइट के 'राजभाषा टैब' में इसे अपलोड किया गया है। निश्चित रूप

से इन प्रयासों से हमारे निगम में राजभाषा का प्रयोग बढ़ा है। मुझे खुशी है कि अब इस शब्दावली का वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के माध्यम से मानकीकरण कार्य भी शुरू किया जा रहा है।

कार्यालय कार्य–पद्धति पर चर्चा करूँ तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि किसी भी कार्य को करने के लिए पांच विशेषताएं होनी चाहिए। पहली संस्कारशीलता, दूसरी–व्यवहार कुशलता, तीसरी–संस्थान की हित–साधना, चौथी– त्वरित औचित्यपूर्ण निर्णय क्षमता और पांचवी–नवाचार के प्रति उत्साह। इन पांचों विशेषताओं को साथ लेकर चलने से सदैव ही बेहतर परिणाम आते हैं और कार्य स्थल पर कार्य का स्वच्छ वातावरण भी बनता है। यह सत्य है कि हर किसी का काम अलग होता है और उसे करने का तरीका भी अलग होता है। इन 35 वर्षों की यात्रा में मैनें अपने क्षेत्र–विशेष में कार्य करने वाले व्यक्तियों से कुछ–न–कुछ नया सीखा अर्थात् मुश्किलों का हल परिश्रम से कैसे ढूंढा जा सकता है, जीवन में सकारात्मकता किस प्रकार हमारे दृष्टिकोण को बदल सकती है और बेहतर समय–प्रबंधन हमारे तनाव को कम करने में किस प्रकार सहायक होता है आदि–आदि।

किसी कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए कई यात्राएं तय करनी पड़ती है। राजभाषा के क्षेत्र में कई बार कुछ कार्यों को चुनौतियों के रूप में भी स्वीकार किया और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। 35 वर्षों की यात्रा का सफर बहुत लंबा होता है। इस सफर के न जाने कितने अन्य प्रसंग मन–मस्तिष्क में समाए हुए हैं, जिन सभी का उल्लेख करना संभव नहीं है। अब तो नये तरीके से एक और बेहतर नये जीवन की नई शुरूआत हो रही है जिसका रास्ता पहले से निर्धारित है किंतु यह जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि जन–जन के भंडारण के साथ–साथ जन–जन की राजभाषा हिंदी के लिए पूर्ण भाव से समर्पित होना चाहिए। इसे अपने मन–कर्म और वचन से अपनाना चाहिए क्योंकि भाषा कोई भी हो उसकी वृद्धि प्रयोग पर ही निर्भर करती है। राजभाषा का काम भी ऐसा है जो हमारी इच्छाशक्ति एवं दृष्टिकोण पर काफी निर्भर करता है। बस, इसके लिए एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। निःसंदेह भाषा के माध्यम से हम अपने देश की संस्कृति को गहराई से जान सकते हैं तथा अपने राष्ट्रीय मूल्यों को अपनी भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रख सकते हैं। हिंदी भाषा हमारे देश की पहचान है और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हमें हर दृष्टि से इसे आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी कामना है कि निगम में भंडारण के साथ–साथ राजभाषा रूपी वृक्ष भी सदा फलता–फूलता रहे और इसका आकार सदैव वट वृक्ष की भांति बढ़ता रहे।

नन्ही किरण

स्वीटी कुमारी*

एक नन्ही किरण, जो आई मेरे आँगन
भर लाई उम्मीदों की गागर।

उस स्वप्निल भोर सवेरे में,
जहाँ थी बिखरीं सुनहरी किरण।
फिर बुझी प्यास थी नयनों की
मीठी मातृत्व की बूँदों से।।

मीठी सी मुस्कान दबाए कोई
छुपा बैठा था मेरे आंचल में।
भीग रहा था आंचल अब तो
एहसासों की बारिश में।।

घरवालों ने फिर कयास लगाए
है राधे रानी या नन्द लाल।
मतलब क्या है इन बातों का
अब कहती दुनिया सारी है।।

रोशन हो सब दीप यहाँ,
और हर घर–आँगन में उजियारा हो।
चाहे आएं राधे रानी
या फिर हों नन्द लाल।।

राहें नहीं कठिन हैं उनकी
जब हम खोलें मन के द्वार ।
चुन लें हर फूल जो
मिला हो हमें बन उपहार।।

*प्रबन्धक (सामान्य), सैन्ट्रल वेअरहाउस, नैनी

कोविड के दौरान निगम की गतिविधियाँ

योद्धाओं के हौसलों को, आओ मिलकर और बढ़ाते हैं।
सहयोग, समर्पण, दृढ़ विश्वास से, कोरोना को हराते हैं।

अमरीश गौतम*

मानव जीवन इस संसार की एक बहुमूल्य देन है जिसे हम सब अपने–अपने तरीके से मिलजुल कर व्यतीत करते हैं किंतु अचानक वर्ष, 2020 के आरम्भ में कोरोना रूपी वायरस ने एक छोटे काले बादल का रूप लेकर धीरे–धीरे एक शहर, एक देश और महाद्वीपों से होते हुए पूरे विश्व को अपने काल ग्रास में ले लिया। इस विश्वव्यापी संकट के बीच जब संपूर्ण विश्व में लॉकडाउन लग गया, उन गंभीर परिस्थितियों में भी निगम ने अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हुए न केवल अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाहन किया बल्कि अपने पिछले वित्त वर्ष के कारोबार के टर्नओवर को मात्र 10 महीने में पूर्ण कर एक नया आयाम स्थापित किया।

मानव जीवन के लिए प्रकृति का अनुपम उपहार खाद्यान्न है जिसे संजोकर रखना किसी भी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। खाद्यान्नों का संरक्षण हमें आने वाले कल के लिए तसल्ली प्रदान करता है, जिसे निगम बखूबी निभा रहा है। भारत के भविष्य के लिए 'उपजाओ, संभाल कर रखो, खुशहाल बनो'' के मूल मंत्र को अपनाते हुए जन–जन के लिए भंडारण से करोड़ों लोगों का भविष्य सुरक्षित है।

निगम ने शुरूआती दौर से ही कोविड वॉरियर के रूप में युद्धस्तर पर कार्य किया। निगम ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना सामाजिक दायित्व जरूरतमंदों को खाद्यान्न पहुंचा कर बखूबी निभाया। लॉकडाउन में भी केंद्रीय भंडारण निगम ने अपने सभी दफ्तर खोले। कोविड मरीज/होम आइसोलेशन/कार्यालय परिसर की साफ–सफाई के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की जानकारी निगमित कार्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दी गई। निगम की बायोमैट्रिक मशीन से उपस्थिति दर्ज करना बंद किया गया ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे। सभी कार्मिकों की उपस्थिति हैंडी एच आर तथा चेहरे की पहचान द्वारा दर्ज करना लागू किया गया। इस दौरान निगम में फ्लैक्सी आवर्स लागू किए गए ताकि एक समय में ज्यादा कार्मिक कार्यालय में उपस्थित न रहें। कार्यालय परिसर में प्रवेश के समय सैनेटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की गई। सभी कार्मिकों के लिए ''आरोग्य सेतु ऐप'' प्रयोग में लाना अनिवार्य किया गया। कार्यालय परिसर को कार्मिकों के प्रवेश से पहले पूरी तरह से सेनेटाइज किया गया। कार्मिकों की सुरक्षा के लिए हैंड सेनेटाइजर, मास्क, फेस शील्ड तथा ग्लव्स इत्यादि की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की गई। परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन को सेनेटाइज किया गया।

25 मार्च, 2020 से ही निगम में ई–ऑफिस लागू किया गया। इससे ज्यादातर कार्मिकों द्वारा वर्क–फ्रॉम–होम किया गया। लॉकडाउन के दौरान सभी अनुबंधित श्रमिकों को समय पर पूर्ण भुगतान किया गया। कार्मिकों तथा उनके परिवार को इलाज हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। अपने कर्मचारियों की स्वास्थ्य की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए निगम ने नियमित कर्मचारियों को मास्क, फेसशील्ड, ऑक्सीमीटर, नेबुलाइजर

*उपमहाप्रबंधक (प्रशासन) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

जैसे सामानों की ख़रीद के लिए 10 हजार रुपए दिए। निगम ने अपने नियमित तथा अनुबंध आधार पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का समय–समय पर कोविड तथा एंटीबॉडी टेस्ट कराया। इसी का परिणाम है कि आज निगम कोरोनामुक्त है।

कोरोना काल में जब सारा देश इस बीमारी से जूझ रहा था, इस दौरान निगम के कार्मिकों की अभूतपूर्व निष्ठा, समर्पण और कड़ी मेहनत को मैं नमन करता हूं। देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्यान्न की कमी न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निगम ने सप्लाई चेन के रूप में कार्य किया जिससे संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक अन्न पहुंचाने की सरकार की पहल को अंजाम दिया गया। नतीजा यह रहा कि पूरे देश में किसी भी राज्य को फूडग्रेन या इंडस्ट्रियल सामानों की किल्लत से नहीं जूझना पड़ा। इसके अलावा कोविड काल में निगम ने कई ऐसी शानदार और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं, जिन्होंने निगम के पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए।

निगम ने 2020 में अपना वार्षिक फूडग्रेन स्टोरेज का लक्ष्य आठ महीने में ही पूरा कर लिया। वर्ष 2019 में लगभग 300 करोड़ रुपए के मुकाबले इस वित्तीय वर्ष में निगम को अनुमानित 600 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद है। कोविड के दौरान लान्च की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निगम ने रिकॉर्ड 34.78 लाख मीट्रिक टन अनाज की हैंडलिंग तथा 184.64 लाख मीट्रिक टन पीडीएस अनाज के स्टॉक का प्रबंध किया गया। निगम के 127 केंद्रों पर 3478 रेलवे रैक्स के जरिए 46.09 लाख मीट्रिक टन फूडग्रेन का संचालन किया गया। 25 कंटेनर फ्रेट स्टेशन या इनलैंड क्लिअरेंस डिपो पर 293550 कंटेनरों का संचालन किया गया। कोविड काल में ही निगम ने 51 हजार मीट्रिक टन भंडारण सुविधा तैयार करके वैंडर्स को दीं और कई तैयार की जा रही हैं। वर्चुअल हायरिंग की शुरुआत करके निगम ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की तथा एचआर के डिजिटाइजेशन की ओर बड़ा क़दम उठाया और इसी साल कई बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ाए। इनमें मुख्यतः ई–ऑफिस, डब्ल्यूएमएस, एचआरएमएस, टेली, आईसीडी सॉफ्टवेअर और सीसीटीवी कैमरा आधारित निगरानी सिस्टम हैं। CWC BRAVE WARRIORS ने कोविड के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत 2700 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स में डिसइंफैक्शन का काम किया। कोविड की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को भारत लाने में इन एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। इस अभूतपूर्व संकटकाल में राष्ट्रीय कर्तव्य निभाते हुए निगम के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ 77 लाख रुपए का योगदान दिया।

निःसंदेह निगम ने कृषि क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। केंद्रीय भंडारण निगम ने अपने उत्थान तथा भावी योजनाओं को कारगर रूप देने के लिए विभिन्न आई टी क्षेत्रों में भी कदम बढ़ाया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और यह निगम अपने चहुंमुखी विकास के साथ राष्ट्र की सेवा में तत्परता से कार्य करते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है।

केंद्रीय भंडारण निगम ने हर चुनौती को स्वीकार

किया है और तय किया कि वह 24 घंटे और सातों दिन काम करेंगे। निगम द्वारा चार M को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। पहला Material यानी सामग्री, दूसरा Manpower यानी जनशक्ति, तीसरा Machines यानी उपकरण और चौथा Money यानी पैसा मुहैया कराया जाएगा।

निगम ने कोविड से जंग के दौरान लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज, सप्लाई और ट्रांसपोर्ट के काम में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती और कार्यालयों, कार्यस्थलों, काम की जगहों और परिसरों में नियमित सैनेटाइजेशन भी किया।

वायरस से कर्मचारियों के बचाव के लिए निगम की ओर से प्रोटेक्टिव गियर की सप्लाई की गई। निगम परिसरों और रेल हैड पर काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को नियमित तौर पर डिसइन्फैक्ट किया गया, जो अभी तक जारी है। निगम के कर्मचारी रेलवे, एयरपोर्ट्स, बैंकों, एम्स, आईआरसीटीसी, गेल जैसे संस्थानों और स्थानों पर कोविड के बचाव के लिए सैनिटाइजेशन की सुविधा दे रहे हैं, ताकि देश वायरस से इस जंग को पूरी तरह जीत सके। निगम ने अपने वैंडर्स को लॉकडाउन के दौरान 80 फीसदी तक भुगतान तुरंत किए। इसी दिशा में बड़ा कदम था– स्टोरेज टैरिफ में बढ़ोत्तरी को एक साल के लिए स्थगित करना।

इस वर्ष निगम की वार्षिक साधारण बैठक, सर्तकता सप्ताह तथा नव वर्ष के कार्यक्रम भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए गए। इसके साथ ही 02 मार्च, 2021 को निगम का स्थापना दिवस भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया ताकि सरकार द्वारा सामाजिक दूरी के लिए जारी दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा सके।

केंद्रीय भंडारण निगम के कदम यहीं नहीं रुके हैं। इस आर्थिक और सामाजिक संकट से निकलने के बाद निगम देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए कुछ अहम क़दम उठाने जा रहा है। कोविड से जंग के दौरान निगम ने जाना कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। केवल मजबूत इरादे की आवश्यकता है। केंद्रीय भंडारण निगम अपने मजबूत इरादों के साथ हर संकट को अवसर में बदलने में जुटा है, इस नारे के साथ कि

केंद्रीय भंडारण निगम न थका है, न थकेगा,
देश के विकास का पहिया न रुका है न रुकेगा।

यहाँ कौन सुनता है ?

–विपिन कुमार सिंह*

भीड़ के इस कोहराम में, सपने वो बुनता है,
मैं कहता हूँ आपसे साब, यहाँ कौन सुनता है ?

गाड़ियों के शोर, धरने के भाषणों का एक नया,
सिलसिला रोज चलता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

घरों के बाहर, चबूतरे पर, हर शाम लगती बैठक को वो,
अधखुला दरवाजा रोज तकता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

नुक्कड़ पर चाय की दुकान में, होती चर्चाओं में,
अख़बार वो पलटता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

शहर से गांव को जाती लंबी–सी ट्रेन में अपनी
कटी जेब को टटोलता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

न्यूनतम मजदूरी नियम लाने की मांग, निजी कंपनियों में,
वो रोज ही करता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

इन सबों की तरह वो भी हर रात काली कर, डायरी भरता है,
पर मैं कहता हूँ ना साब, यहाँ कौन सुनता है?

हर सुबह आँखों में तरक्की के ख़्वाब लिए,
गलियों में घूमता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

दूधवाले की घंटी और अखबार वाले की बोली,
मोहल्ले का ट्रांसफार्मर रोज सहता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

फ्री डाटा के इस युग में, हर कोई समाज सुधारने की,
बात करता है, पर सच में यहाँ कौन सुनता है?

अस्पतालों के ए.सी युक्त कमरों में, मरीजों के हित हेतु,
नरम सोफे वो तोड़ता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

लाखों की डिग्री लेकर, सरकारी इम्तहानों के अनगिनत,
फॉर्म वो रोज ही भरता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

अपने ही घर में उगी मूंगफली को, दूसरे के चूल्हे पर,
हर शाम भूनता है, पर यहाँ कौन सुनता है?

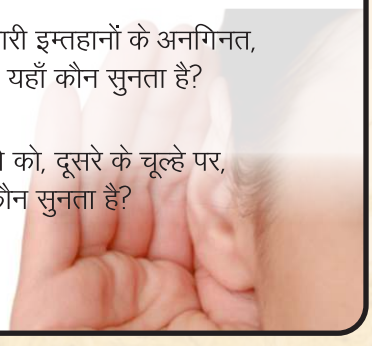

*सहायक प्रबंधक (लेखा), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

मेरा अपना अनुभव–निगम और वाशिम

प्रशांत कृष्णकुमार तायडे*

हमारे भारत देश में अनाज भंडारण की परंपरा बहुत पुरानी है। हम सबको पता है कि प्राचीन काल से भारतीय किसानों, प्रशासकों एवं व्यापारियों द्वारा अनाज भंडारण की स्वदेशी विधियों को अपनाया जा रहा है। भंडारण संरचना को धीरे–धीरे इस प्रकार विकसित किया गया जिसके कारण अनाज के भंडारण में लगने वाले कीट, कृन्तक तथा चिड़ियों से अनाज के बचाव में सफलता प्राप्त हुई। प्रारंभ में कृषकों द्वारा ही भारत में अनाज भंडारण की तकनीक विकसित की गई। हमारे देश में भूमिगत या जमीन के नीचे के भंडार कम लागत एवं सुरक्षा के कारण अधिक लोकप्रिय रहे। हमारे गांवों में इसी तरह अनाज का भंडारण किया जाता था, आज भी वह भंडारण व्यवस्था वैसे ही है। आधुनिक विकसित भंडारण संरचना के अंतर्गत नमी, कीट एवं कृन्तक से अनाज शत–प्रतिशत सुरक्षित रहता है तथा उसे कई महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, गुणवत्ता में भी कमी नहीं आती। आधुनिक भंडारण संरचना आवश्यकता के अनुसार विकसित की गयी है।

अनाज भंडारण की बात इसलिए कर रहा हूँ कि 2017 से मेरी तैनाती सैंट्रल वेअरहाउस, वाशिम, महाराष्ट्र में हुई। यह एक पी.ई.जी. केंद्र है, जिसकी क्षमता 30,000 मी.टन है और सौ प्रतिशत आरक्षण भारतीय खाद्य निगम का है। इस केंद्र पर भारतीय खाद्य निगम का अनाज (गेंहू और चावल) भंडारित किया जाता है। सामान्य रूप से इस तरह के केंद्र में हमारे केंद्रीय भंडारण निगम का केवल एक ही कर्मचारी तैनात रहता है और इसी कर्मचारी को सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना होता है।

सभी गतिविधियों का यानी रेक उतराई से लेकर अनाज के भंडारण तक जैसे– माल का चट्टा लगाना, माल की सुरक्षा का ध्यान रखना, कीट नियंत्रण उपचार करना, समय–समय पर माल की जांच करना, भौतिक सत्यापन करना, गिरे हुए अनाज को साफ करके बोरियों में भरवाना, माल की सुपुर्दगी करना, समय–समय पर धर्मकांटे की मरम्मत तथा जांच करना, गोदामों की साफ–सफाई करवाना, सभी तरह के दस्तावेज तैयार रखना, उच्च अधिकारियों द्वारा समय–समय पर मांगी जाने वाली जानकारी प्रस्तुत करना, डब्लू.एम.एस. एवं डी.ओ.एस. की प्रविष्टियाँ करना, गोदाम परिसर स्वच्छ रखना, पानी की व्यवस्था आदि।

अब इन सभी गतिविधियों की विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जो भी स्कंध खाली होता है, उसकी तुरंत सफाई की जाती है। उसके बाद ही उस स्कंध पर नया माल भंडारित किया जाता है। बोरियों के चट्टे लगाते समय थोड़ा पुराना किंतु उपयोगी तरीका हम अपनाते थे, चट्टे के नीचे बैम्बू मैट तथा पॉलिथीन शीट बिछाई जाती थी और उस पर नीम के पत्तों के रस का छिड़काव किया जाता था एवं चट्टे लगाने के बाद निचली बोरियों पर भी उसका छिड़काव किया जाता था। इससे कीट लगने का खतरा बहुत कम होता था और अन्य रसायन की भी बचत होती थी। माल को भंडारित करते समय उचित तरीके से चट्टे लगाना भी महत्वपूर्ण होता है। केंद्रीय भांडागार, वाशिम में रेक का माल भंडारित करते समय उचित निर्देश समय–समय पर दिये जाते थे, क्योंकि एक ही समय पर 15 से 18 स्कंधों का कार्य चलता था और एक ही कर्मचारी द्वारा सभी स्कंधों का पर्यवेक्षण करना असंभव था।

*अधीक्षक सैन्ट्रल वेअरहाउस, जलगांव

माल को भंडारित करने के बाद तकनीकी कर्मचारी को उचित निर्देश दिये जाते थे जिससे किसी भी स्कंध को यदि कीट लगता तो तुरंत रोगनिरोधी उपचार किए जाते थे। आप सभी को यह बताने में बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय खाद्य निगम के नागपुर विभाग में सबसे स्वच्छ तथा कीटमुक्त स्थिति के लिए सभी निरीक्षण अधिकारियों द्वारा इस केंद्र की विशेष प्रशंसा की जाती थी। भारतीय खाद्य निगम के अपने गोदाम होने के बावजूद उनके ही अधिकारियों द्वारा भंडारण के लिए केंद्रीय भंडारण निगम के गोदाम का चयन करना एवं हमारे काम की प्रशंसा करना यह हमारे निगम के लिए विशेष गौरव की बात है।

रेक उतराई का कार्य करते समय सफाई कर्मचारियों को अपने विश्वास में लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि 15 से 20 वैगन का कार्य एक ही समय पर चलता है। वैगन खाली होने के बाद नीचे गिरे हुए अनाज को साफ करके बोरियों में भरना, खुला गुड शेड होने के कारण माल चोरी होने से बचाना। इन सब कामों के लिए काफी आदमियों की जरूरत होती है, इसलिए रेक उतराई के कार्य में शामिल सभी व्यक्तियों को अपने विश्वास में लेना आवश्यक हो जाता है, जिससे सरकारी अनाज का नुकसान बहुत कम होता है। रेल मार्गस्थ हानि को कम करने के लिए मैंने एक सुझाव उच्च अधिकारियों को दिया था। उस पर आगे चलकर यदि कुछ सकारात्मक निर्णय सामने आए तो बहुत फायदेमंद होगा। सुझाव यह था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी ट्रकों में जो बेड/चादर रहती है वह पूर्ण रूप से बंद रहती है, उसे पतरे से बंद किया जाता है, जिससे अनाज का जो भी रिसाव होता है उसे पूर्ण रूप से रोका जा सकता है। यदि परिवहन और रख–रखाव निविदा निकालते समय इस तरह का अनुच्छेद या धारा को समाविष्ट किया जाए तो काफी मात्रा में अनाज के नुकसान को बचाया जा सकेगा।

भंडारित माल को सुरक्षित रखने हेतु उचित वातायन आवश्यक होता है। दरवाजों की सही स्थिति, उचित खिड़कियाँ तथा आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जैसे टर्बो को लगाना, कुछ जगह पर पारदर्शक शीट लगाना आदि। भंडारित माल को सुरक्षित रखने हेतु कीट निरोधक उपचार किए जाते हैं। 'उपचार से निदान अच्छा' के सिद्धांत के आधार पर ही रोग निरोधक उपाय किया जाता है। यह अनाज को सुरक्षित रखने का एक आवश्यक उपाय है, जिससे कीटों को समाप्त करने हेतु उपचारी – उपचार न करने पड़े। हर रोज गोदाम में साफ–सफाई की जाती एवं नीचे गिरे अनाज को साफ करके तुरंत ही संबंधित स्कंध की बोरियों में भरा जाता। माल की सुपुर्दगी करते समय काफी मात्रा में अनाज गिर जाता है, ऐसे में मशीन द्वारा सफाई करके माल को वितरित किया जाता।

गोदाम परिसर स्वच्छ रखने हेतु विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। पिछले साल (2020–21) में लगभग 300 से अधिक पौधों का रोपण किया गया, जिसमें नीम, अडूसा और अन्य पौधे शामिल हैं। केंद्रीय भंडारण निगम के गोदामों के परिसर में काफी खुली जगह होती है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। मोबाइल टावर लगाने से अच्छा किराया मिल सकता है या सोलर प्लांट के लिए जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है, यदि कुछ सोलर प्लेट निगम द्वारा खरीदे जाते हैं तो उससे उत्पन्न होने वाली बिजली उसी वेअरहाउस में उपयोग में लायी जा सकती है जिससे बिजली का खर्चा कम होगा।

भविष्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनाज सुरक्षा हेतु अधिक–से–अधिक गोदामों की आवश्यकता है। केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा सकारात्मक कार्य की शुरुआत भी हो चुकी है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड और केंद्रीय भंडारण निगम में जिस तरह समझौता हुआ उसी तरह जीवन बीमा निगम, बैंक के साथ समझौता किया जा सकता है तथा खाद, सीमेंट और ई–कॉमर्स जैसी कंपनियों का माल भंडारित किया जा सकता है। यदि सड़क से लगकर वेअरहाउस है और खुली जगह है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है क्योंकि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक मैकेनिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स का बोल वाला रहने वाला है। यदि इस सेक्टर से हम किसी भी तरह जुड़ सकते हैं, जैसे उन्हें जगह उपलब्ध कराना या कच्चे माल को भंडारित करना इत्यादि तो यह सब भविष्य में लाभदायक हो सकता है। संपूर्ण देश में केंद्रीय भंडारण निगम के वेअरहाउस होने का लाभ निगम को निश्चित रूप से होगा।

जीईएम (GeM) – गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस

मनीषा सब्बरवाल वाधवा*

जीईएम (GeM) भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन मंच है। यह पहल 9 अगस्त, 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सरकारी खरीददारों के लिए एक खुला और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्लेटफॉर्म का स्वामित्व GeM SPV (स्पेशल पर्पस व्हीकल) के पास है, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली, गैर–लाभकारी कंपनी है।

जीईएम (GeM) एक कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस और कैशलेस ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जिसने 2016 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाई एंड डिस्पोजल (DGS&D) की जगह ली थी। प्लेटफॉर्म का उद्देश्य समावेश के साथ–साथ सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और गति को बढ़ाना है। यह खरीद के सभी तरीके प्रदान करता है, **जैसे, सीधी खरीद, ई–बोली, रिवर्स ई–नीलामी के साथ बोली और सीधी रिवर्स नीलामी।** यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तर की अर्थव्यवस्थाओं, किफायती मूल्य के निर्धारण और सर्वोत्तम पद्धतियों के प्रसार को सक्षम बनाता है। सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 149 के अनुसार मंत्रालयों या सरकारी विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद GeM पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं या सेवाओं से ही की जानी अनिवार्य है।

जीईएम (GeM) की विशेषताएं

- **पारदर्शिता:** GeM विक्रेता पंजीकरण, ऑर्डर प्लेसमेंट और भुगतान प्रसंस्करण में मानव इंटरफेस को काफी हद तक समाप्त कर देता है। खुले मंच के रूप में GeM, सरकार के साथ व्यापार करने के इच्छुक वास्तविक आपूर्तिकर्ताओं को सहज प्रवेश की सुविधा देती है। हर कदम पर खरीददार, उसके संगठन के प्रमुख, भुगतान करने वाले अधिकारियों और विक्रेताओं दोनों को एसएमएस और ई–मेल सूचनाएं भेजी जाती हैं।
- **मेक इन इंडिया के समर्थन की क्षमता:** GeM पर, उन सामानों के चयन के लिए फिल्टर हैं जो प्रीफ्रेंशियल मार्केट एक्सेस (PMA) के अनुरूप और लघु उद्योग (SSI) द्वारा निर्मित हैं। यह सरकारी खरीददारों को मेक इन इंडिया और एसएसआई वस्तुओं को आसानी से खरीदने में सक्षम बनाते हैं। सुगम्य एमआईएस प्रशासकों और नीति निर्माताओं को पीएमए और एसएसआई सोर्सिंग पर सरकारी नियमों को आसान और प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम बनाता है।
- **दक्षता:** जीईएम (GeM) पर सीधी खरीद मिनटों में की जा सकती है और पूरी प्रक्रिया किफायती मूल्य का निर्धारण करने के लिए ऑनलाइन, एंड टू एंड इंटीग्रेटेड और ऑनलाइन टूल के साथ की जा सकती है। उच्च मूल्य की खरीद के लिए, सरकारी क्षेत्र के भीतर प्रचलित ई–प्रोक्योरमेंट सिस्टम की तुलना में जीईएम पर बोली/रिवर्स नीलामी (आरए) सुविधा सबसे पारदर्शी और कुशल है। बोली/आरए बनाने के लिए, खरीददार को अपने स्वयं के तकनीकी विनिर्देश बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्हें जीईएम पर मानकीकृत किया गया है।
- **सुरक्षा एवं बचाव:** जीईएम GeM एक पूरी तरह सुरक्षित प्लेटफार्म है तथा क्रेता एवं विक्रेता द्वारा विभिन्न स्तरों पर जीईएम पर सभी दस्तावेज ई–हस्ताक्षरित होते हैं। आपूर्तिकर्ता का पूर्व रिकॉर्ड पैन कार्ड/आधार डेटाबेस के माध्यम से ऑनलाइन तथा स्वतः सत्यापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सेबी द्वारा आपूर्तिकर्ता के थर्ड पार्टी मूल्यांकन करने हेतु क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें जीईएम पर व्यापार करने के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं की सत्यता के बारे में जानने में और अधिक मजबूती मिलेगी। जीईएम पर

*सहायक महाप्रबंधक (क्रय), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

उच्च मूल्य की बोलियों के लिए ई–बैंक गारंटी को शुरू किया जा रहा है।

खरीदारों के लिए जीईएम (GeM) के लाभ

- वस्तुओं या सेवाओं की अलग–अलग श्रेणियों के लिए उत्पादों की समृद्ध सूची प्रदान करता है।
- खोज, तुलना, चयन और खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराता है।
- आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन सेवाएं और वस्तुएं खरीदने में सक्षम बनाता है।
- पारदर्शिता और सहज खरीदारी प्रदान करता है।
- निरंतर विक्रेता रेटिंग प्रणाली सुनिश्चित करता है।
- खरीददारी, आपूर्तियों की निगरानी और भुगतान के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल अद्यतन डैशबोर्ड।
- वापसी नीति का सरल प्रावधान।

सरकारी खरीददारों द्वारा सीधी ऑनलाइन खरीद के लिए जीईएम पोर्टल का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगाः

- जीईएम पर किसी भी उपलब्ध आपूर्तिकर्ता के माध्यम से अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और डिलीवरी अवधि को पूरा करने पर 25,000/– रु. तक। खरीद प्राधिकारी दरों की तर्कसंगतता को प्रमाणित करेंगे।
- जीईएम पर कम–से–कम तीन विभिन्न निर्माताओं में से उपलब्ध विक्रेताओं के बीच न्यूनतम मूल्य वाले जीईएम विक्रेता के माध्यम से अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और वितरण अवधि को पूरा करते हुए 25,001/– रु. से अधिक और 5,00,000/– रु. तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए जाने पर खरीददार द्वारा जीईएम पर उपलब्ध ऑनलाइन बोली और ऑनलाइन रिवर्स नीलामी के लिए टूल्स का उपयोग किया जा सकता है। खरीद प्राधिकारी दरों की तर्कसंगतता को प्रमाणित करेंगे।
- जीईएम पर उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन टूल का उपयोग करके अनिवार्य रूप से बोलियां प्राप्त करने के बाद अपेक्षित गुणवत्ता, विनिर्देश और डिलीवरी अवधि को पूरा करते हुए न्यूनतम मूल्य वाले आपूर्तिकर्ता के माध्यम से 5,00,000/– रुपये से अधिक। खरीद प्राधिकारी दरों की तर्कसंगतता को प्रमाणित करेंगे।

विक्रेताओं के लिए जीईएम (GeM) के लाभ

- सभी सरकारी विभागों तक सीधी पहुंच।
- न्यूनतम प्रयासों के साथ मार्केटिंग के लिए वन–स्टॉप शॉप।
- उत्पादों/सेवाओं पर बोलियों/रिवर्स नीलामी के लिए वन–स्टॉप शॉप।
- विक्रेताओं के लिए उपलब्ध नई उत्पाद सुझाव सुविधा।
- गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार की स्थितियों के आधार पर मूल्य को बदला जा सकता है।
- आपूर्तियों की बिक्री और निगरानी तथा भुगतान के लिए विक्रेता अनुकूल डैशबोर्ड।
- खरीद प्रक्रिया में निरंतरता और एकरूपता।

GeM पर 'विक्रेता' ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) या उनके अधिकृत चैनल पार्टनर/पुनर्विक्रेता (जिनकी खुले बाजार और ई – बाजार में अपने उत्पाद को बेचने के लिए ओईएम का कोई सामान्य प्राधिकरण/ डीलरशिप हो) होंगे।

लिली

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का जन्म 1896 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था। आपके जन्म की तिथि को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं। निराला जी के काहानी संग्रह 'लिली' में उनकी जन्मतिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। 'निराला' अपना जन्म–दिवस वसंत पंचमी को ही मानते थे। 'निराला' जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। तदुपरांत हिन्दी, संस्कृत तथा बांग्ला का अध्ययन आपने स्वयं किया। विषम परिस्थितियों में भी आपने जीवन से समझौता न करते हुए अपने तरीके से ही जीवन जीना बेहतर समझा। निराला ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का हिन्दी में अनुवाद भी किया। 'निराला' सचमुच निराले व्यक्तित्व के स्वामी थे। निराला का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है।

लिली एक लघु प्रेम कथा है उस समय पर आधारित जब अंतरजातीय विवाह नहीं हुआ करते थे। खूब पढ़ लेने के बावजूद भी पद्मा के पिता की सोच जातिवाद तक ही सीमित रहती है। उनकी जातिवादी सोच और पद्मा की आधुनिक सोच उन दोनों से क्या करवाती है – जानने के लिए पढ़िए पूरी कहानी –

पद्मा के चन्द्र–मुख पर षोडश कला की शुभ्र चन्द्रिका अम्लान खिल रही है। एकान्त कुंज की कली–सी प्रणय के वासन्ती मलयस्पर्श से हिल उठती, विकास के लिए व्याकुल हो रही है।

पद्मा की प्रतिभा की प्रशंसा सुनकर उसके पिता ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट पण्डित रामेश्वरजी शुक्ल उसके उज्ज्वल भविष्य पर अनेक प्रकार की कल्पनाएँ किया करते हैं। योग्य वर के अभाव से उसका विवाह अब तक रोक रखा है। मैट्रिक परीक्षा में पद्मा का सूबे में पहला स्थान आया था। उसे वृत्ति मिली थी। पत्नी को, योग्य वर न मिलने के कारण विवाह रूका हुआ है, शुक्ल जी समझा देते हैं। साल–भर से कन्या को देखकर माता भविष्य–शंका से कांप उठती हैं।

पद्मा काशी विश्वविद्यालय के कला–विभाग में दूसरे साल की छात्रा है। गर्मियों की छुट्टी है, इलाहाबाद घर आयी हुई है। अबके पद्मा का उभार, उसका रंग–रूप, उसकी चितवन–चलन–कौशल–वार्तालाप पहले से सभी बदल गये हैं। उसके हृदय में अपनी कल्पना से कोमल सौन्दर्य की भावना, मस्तिष्क में लोकाचार से स्वतन्त्र अपने उच्छृंखल आनुकूल्य के विचार पैदा हो गये हैं। उसे निस्संकोच चलती–फिरती, उठती–बैठती, हँसती–बोलती देखकर माता हृदय के बोलवाले तार से कुछ और ढीली तथा बेसुरी पड़ गयी हैं।

एक दिन सन्ध्या के डूबते सूर्य के सुनहले प्रकाश में, निरभ्र नील आकाश के नीचे, छत पर, दो कुर्सियाँ डलवा माता और कन्या गंगा का रजत–सौन्दर्य एकटक देख रही थी। माता पद्मा की पढ़ाई, कॉलेज की छात्राओं की संख्या, बालिकाओं के होस्टल का प्रबन्ध आदि बातें पूछती हैं, पद्मा उत्तर देती है। हाथ में है हाल की निकली स्टैंड मैगजीन की एक प्रति। तस्वीरें देखती जाती है। हवा का एक हलका झोंका आया, खुले रेशमी बाल, सिर से साड़ी को उड़ाकर, गुदगुदाकर, चला गया। "सिर ढक लिया करो, तुम बेहया हुई जाती हो।" माता ने रुखाई से कहा। पद्मा ने सिर पर साड़ी की जरीदार किनारी चढ़ा ली, आँखें नीची कर किताब के पन्ने उलटने लगी।

"पद्मा!" गम्भीर होकर माता ने कहा।

"जी!" चलते हुए उपन्यास की एक तस्वीर देखती हुई नम्रता से बोली।

मन से अपराध की छाप मिट गयी, माता की वात्सल्य–सरिता में कुछ देर के लिए बाढ़–सी आ गयी, उठते उच्छवास से बोली, "कानपुर में एक नामी वकील महेश प्रसाद त्रिपाठी हैं।"

"हूँ" एक दूसरी तस्वीर देखती हुई।

"उनका लड़का आगरा यूनिवर्सिटी से एम.ए. में इस साल फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है।"

"हूँ" पद्मा ने सिर उठाया। आँखें प्रतिभा से चमक उठीं।

"तेरे पिताजी को मैंने भेजा था, वह परसों देखकर लौटे हैं। कहते थे, लड़का हीरे का टुकड़ा, गुलाब का फूल है। बातचीत दस हजार में पक्की हो गयी है।"

"हूँ" मोटर की आवाज पर पद्मा उठकर छत के नीचे देखने लगी। हर्ष से हृदय में तरंगें उठने लगीं।

मुस्कराहट दबाकर आप ही में हँसती हुई चुपचाप बैठ गयी।

माता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गयी है, विवाह के प्रसंग से प्रसन्न हुई है। खुलकर कहा, "मैं बहुत पहले से तेरे पिताजी से कह रही थी, वह तेरी पढ़ाई के विचार में पड़े थे।"

नौकर ने आकर कहा, "राजेन बाबू मिलने आये हैं।"

पद्मा की माता ने एक कुर्सी डाल देने के लिए कहा। कुर्सी डालकर नौकर राजेन बाबू को बुलाने नीचे उतर गया। तब तक दूसरा नौकर रामेश्वरजी का भेजा हुआ पद्मा की माता के पास आया। कहा, "जरूरी काम से कुछ देर के लिए पण्डितजी जल्द बुलाते हैं।"

जीने से पद्मा की माता उतर रही थीं, रास्ते में राजेन्द्र से भेंट हुई। राजेन्द्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पद्मा की माता ने कन्धे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, "चलो, पद्मा छत पर है, बैठो, मैं अभी आती हूँ।"

राजेन्द्र जज का लड़का है, पद्मा से तीन साल बड़ा, पढाई में भी। पद्मा अपराजिता बड़ी–बड़ी आँखों की उत्सुकता से प्रतीक्षा में थी, जब से छत से उसने देखा था।

"आइए, राजेन बाबू, कुशल तो हैं?" पद्मा ने राजेन्द्र का उठकर स्वागत किया। एक कुर्सी की तरफ बैठने के लिए हाथ से इंगित कर खड़ी रही। राजेन्द्र बैठ गया, पद्मा भी बैठ गयी।

"राजेन, तुम उदास हो!"

"तुम्हारा विवाह हो रहा है?" राजेन ने पूछा।

पद्मा उठकर खड़ी हो गयी। बढ़कर राजेन का हाथ पकड़कर बोली, "राजेन, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? जो प्रतिज्ञा मैंने की है, हिमालय की तरह उस पर अटल रहूँगी।"

पद्मा अपनी कुर्सी पर बैठ गयी। मैगजीन खोल उसी तरह पन्नों में नजर गड़ा दी। जीने से आहट मालूम दी।

माता निगरानी की निगाह से देखती हुई आ रही थीं। प्रकृति स्तब्ध थी। मन में वैसी ही अन्वेषक चपलता।

"क्यों बेटा, तुम इस साल बीए हो गये?" हँसकर पूछा।

"जी हाँ।" सिर झुकाये हुए राजेन्द्र ने उत्तर दिया।

"तुम्हारा विवाह कब तक करेंगे तुम्हारे पिताजी, जानते हो?"
"जी नहीं।"

"तुम्हारा विचार क्या है?"

"आप लोगों से आज्ञा लेकर विदा होने के लिए आया हूँ, विलायत भेज रहे हैं पिताजी।" नम्रता से राजेन्द्र ने कहा।

"क्या बैरिस्टर होने की इच्छा है?" पद्मा की माता ने पूछा।

"जी हाँ।"

"तुम साहब बनकर विलायत से आना और साथ एक मेम भी लाना, मैं उसकी शुध्दि कर लूँगी" पद्मा हँसकर बोली।

नौकर ने एक तश्तरी पर दो प्यालों में चाय दी–दो रकाबियों पर कुछ बिस्कुट और केक। दूसरा एक मेज उठा लिया। राजेन्द्र और पद्मा की कुर्सी के बीच रख दी, एक धुली तौलिया ऊपर से बिछा दी। सॉसर पर प्याले तथा रकाबियों पर बिस्कुट और केक रखकर नौकर पानी लेने

गया, दूसरा आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा रहा।

"मैं निश्चय कर चुका हूँ, जबान भी दे चुका हूँ। अबके तुम्हारी शादी कर दूंगा" पण्डित रामेश्वरजी ने कन्या से कहा।

"लेकिन मैंने भी निश्चय कर लिया है, डिग्री प्राप्त करने से पहले विवाह न करूँगी।" सिर झुकाकर पद्मा ने जवाब दिया।

"मैं मैजिस्ट्रेट हूँ बेटी, अब तक अक्ल ही की पहचान करता रहा हूँ, शायद इससे ज्यादा सुनने की तुम्हें इच्छा न होगी।" गर्व से रामेश्वरजी टहलने लगे।

पद्मा के हृदय के खिले गुलाब की कुल पंखड़ियाँ हवा के एक पुरजोर झोंके से काँप उठीं। मुक्ताओं–सी चमकती हुई दो बूँदें पलकों के पन्नों से झड़ पड़ीं। यही उसका उत्तर था।

"राजेन जब आया, तुम्हारी माता को बुलाकर मैंने जीने पर नौकर भेज दिया था, एकान्त में तुम्हारी बातें सुनने के लिए। अगर तुम हिमालय की तरह अटल हो, मैं भी वर्तमान की तरह सत्य और दृढ़।"

रामेश्वरजी ने कहा, "तुम्हें इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया कि तुम कुल–कलंक बनो।"

"आप यह सब क्या कह रहे हैं?"

"चुप रहो। तुम्हें नहीं मालूम? तुम ब्राह्मण–कुल की कन्या हो, वह क्षत्रिय–घराने का लड़का है–ऐसा विवाह नहीं हो सकता।" रामेश्वरजी की साँस तेज चलने लगीं, आँखें भौंहों से मिल गयीं।

"आप नहीं समझे मेरे कहने का मतलब।" पद्मा की निगाह कुछ उठ गयी।

"मैं बातों का बनाना आज दस साल से देख रहा हूँ। तू मुझे चलाती है? वह बदमाश !"

"उतना बहुत है। आप अदालत के अफसर है! अभी–अभी आपने कहा था, अब तक अक्ल की पहचान करते रहे हैं,

यह आपकी अक्ल की पहचान है! आप इतनी बड़ी बात राजेन्द्र को उसके सामने कह सकते हैं? बतलाइए,

हिमालय की तरह अटल सुन लिया, तो इससे आपने क्या सोचा?"

आग लग गयी, जो बहुत दिनों से पद्मा की माता के हृदय में सुलग रही थी।

"हट जा मेरी नजरों से बाहर, मैं समझ गया।" रामेश्वर जी क्रोध से काँपने लगे।

"आप गलती कर रहे हैं, आप मेरा मतलब नहीं समझे, मैं भी बिना पूछे हुए बतलाकर कमजोर नहीं बनना चाहती।"

पद्मा जेठ की लू में झुलस रही थी, स्थल पद्मा–सा लाल चेहरा तम–तमा रहा था। आँखों की दो सीपियाँ पुरस्कार की दो मुक्ताएँ लिये सगर्व चमक रही थीं।

रामेश्वरजी भ्रम मैं पड़ गये। चक्कर आ गया। पास की कुर्सी पर बैठ गये। सर हथेली से टेककर सोचने लगे। पद्मा उसी तरह खड़ी दीपक की निष्कम्प शिखा–सी अपने प्रकाश में जल रही थी।

"क्या अर्थ है, मुझे बता।" माता ने बढ़कर पूछा।

"मतलब यह, राजेन को सन्देह हुआ था, मैं विवाह कर लूँगी– यह जो पिताजी पक्का कर आये हैं, इसके लिए मैंने कहा था कि मैं हिमालय की तरह अटल हूँ, न कि यह कि मैं राजेन के साथ विवाह करूँगी। हम लोग कह चुके थे कि पढ़ाई का अन्त होने पर दूसरी चिन्ता करेंगे।"

पद्मा उसी तरह खड़ी सीधे ताकती रही।

"तू राजेन को प्यार नहीं करती?" आँख उठाकर रामेश्वरजी ने पूछा।
"प्यार? करती हूँ।"
"करती है?"
"हाँ, करती हूँ।"
"बस, और क्या?"
"पिता!"

पद्मा की आबदार आँखों से आँसुओं के मोती टूटने लगे, जो उसके हृदय की कीमत थे, जिनका मूल्य समझने वाला वहाँ कोई न था।

माता ने ठोढ़ी पर एक उँगली रख रामेश्वरजी की तरफ देखकर कहा, "प्यार भी करती है, मानती भी नहीं, अजीब लड़की है।"

"चुप रहो।" पद्मा की सजल आँखें भौंहों से सट गयीं, "विवाह और प्यार एक बात है? विवाह करने से होता है, प्यार आप होता है। कोई किसी को प्यार करता है, तो वह उससे विवाह भी करता है? पिताजी जज साहब को प्यार करते हैं, तो क्या इन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया है?"

रामेश्वरजी हँस पड़े।

रामेश्वरजी ने शंका की दृष्टि से डॉक्टर से पूछा, "क्या देखा आपने डॉक्टर साहब?"

"बुखार बड़े जोर का है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस्म की हालत अच्छी नहीं, पूछने से कोई जवाब भी नहीं देती। कल तक अच्छी थी, आज एकाएक इतने जोर का बुखार, क्या सबब है?" डॉक्टर ने प्रश्न की दृष्टि से रामेश्वरजी की तरफ देखा।

रामेश्वरजी पत्नी की तरफ देखने लगे।

डाक्टर ने कहा, "अच्छा, मैं एक नुस्खा लिखे देता हूँ, इससे जिस्म की हालत अच्छी रहेगी। थोड़ी–सी बर्फ मंगा लीजिएगा। आइस–बैग तो क्यों होगा आपके यहाँ? एक नौकर मेरे साथ भेज दीजिए, मैं दे दूँगा इस वक्त एक सौ चार डिग्री बुखार है। बर्फ डालकर सिर पर रखिएगा। एक सौ एक तक आ जाय, तब जरूरत नहीं।"

डॉक्टर चले गये। रामेश्वरजी ने अपनी पत्नी से कहा, "यह एक दूसरा फसाद खड़ा हुआ। न तो कुछ कहते बनता है, न करते। मैं कौम की भलाई चाहता था, अब खुद ही नकटों का सरताज हो रहा हूँ। हम लोगों में अभी तक यह बात न थी कि ब्राह्मण की लड़की का किसी क्षत्रिय लड़के से विवाह होता। हाँ, ऊँचे कुल की लड़कियाँ ब्राह्मणों के नीचे कुलों में गयी हैं। लेकिन, यह सब आखिर कौम ही में हुआ है।"

"तो क्या किया जाय?" स्फुरित आँखों से, पत्नी ने पूछा।

"जज साहब से ही इसकी बचत पूछुंगा। मेरी अक्ल अब और नहीं पहुँचती। अरे छीटा!"

"जी!" छीटा चिलम रखकर दौड़ा।

"जज साहब से मेरा नाम लेकर कहना, जल्द बुलाया है।"

"और भैया बाबू को भी बुला लाऊँ?"

"नहीं–नहीं।" रामेश्वरजी की पत्नी ने डाँट दिया।

जज साहब पुत्र के साथ बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। इंग्लैंड के मार्ग, रहन–सहन, भोजन–पान, अदब–कायदे का बयान कर रहे थे। इसी समय छीटा बँगले पर हाजिर हुआ, और झुककर सलाम किया। जज साहब ने आँख उठाकर पूछा, "कैसे आये छीटाराम?"

"हुजूर को सरकार ने बुलाया है, और कहा है, बहुत जल्द आने के लिए कहना।"

"क्यों?"

"बीबी रानी बीमार हैं, डाक्टर साहब आये थे, और हुजूर " बाकी छीटा ने कह ही डाला था।

"और क्या?"

"हुजूर" छीटा ने हाथ जोड़ लिये। उसकी आँखें डबडबा आयीं।

जज साहब बीमारी कड़ी समझकर घबरा गये! ड्राइवर को बुलाया। छीटा चल दिया। ड्राइवर नहीं था। जज साहब ने राजेन्द्र से कहा, "जाओ, मोटर ले आओ। चलें, देखें, क्या बात है।"

राजेन को देखकर रामेश्वरजी सूख गये। टालने की कोई बात न सूझी। कहा, "बेटा, पद्मा को बुखार आ गया है, चलो, देखो, तब तक मैं जज साहब से कुछ बातें करता हूँ।"

राजेन उठ गया। पद्मा के कमरे में एक नौकर सिर पर आइस–बैग रखे खड़ा था। राजेन को देखकर एक कुर्सी पलंग के नजदीक रख दी।

"पद्मा!"

"राजेन!"

पद्मा की आँखों से टप–टप गर्म आँसू गिरने लगे। पदमा को एकटक प्रश्न की दृष्टि से देखते हुए राजेन ने रूमाल से उसके आँसू पोंछ दिये।

सिर पर हाथ रखा, पद्मा ने पलकें मूंद लीं, नौकर ने फिर सिर पर आइस–बैग रख दिया।

सिरहाने थरमामीटर रखा था। झाड़कर, राजेन ने आहिस्ते से बगल में लगा दिया। उसका हाथ बगल से सटाकर पकड़े रहा। नजर कमरे की घड़ी की तरफ थी। निकालकर देखा, बुखार एक सौ तीन डिग्री था।

अपलक चिन्ता की दृष्टि से देखते हुए राजेन ने पूछा, "पद्मा, तुम कल तो अच्छी थीं, आज एकाएक बुखार कैसे आ गया?"

पद्मा ने राजेन की तरफ करवट ली, कुछ न कहा।

"पद्मा, मैं अब जाता हूँ।"

ज्वर से उभरी हुई बड़ी–बड़ी आँखों ने एक बार देखा, और फिर पलकों के पर्दे में मौन हो गयीं। अब जज साहब और रामेश्वर जी भी कमरे में आ गये।

जज साहब ने पद्मा के सिर पर हाथ रखकर देखा, फिर लड़के की तरफ निगाह फेरकर पूछा, "क्या तुमने बुखार देखा है?"

"जी हाँ, देखा है।"

"कितना है?"

"एक सौ तीन डिग्री।"

"मैंने रामेश्वरजी से कह दिया है, तुम आज यही रहोगे। तुम्हें यहाँ से कब जाना है? – परसों न?" "जी"

"कल सुबह बतलाना घर आकर, पदमा की हालत–कैसी रहती है। और रामेश्वरजी, डॉक्टर की दवा करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं।"

"जैसा आप कहें।" सम्प्रदान–स्वर से रामेश्वरजी बोले।

जज साहब चलने लगे। दरवाजे तक रामेश्वरजी भी गये। राजेन वहीं रह गया। जज साहब ने पीछे फिरकर कहा, "आप घबराइए मत, आप पर समाज का भूत सवार है।" मन–ही–मन कहा, "कैसा बाप और कैसी लड़की!"

तीन साल बीत गये। पद्मा के जीवन में वैसा ही प्रभात, वैसा ही आलोक भरा हुआ है। वह रूप, गुण, विद्या और ऐश्वर्य की भरी नदी, वैसी ही अपनी पूर्णता से अदृश्य की ओर, वेग से बहती जा रही है। सौन्दर्य की वह ज्योति–राशि स्नेह–शिखाओं से वैसी ही अम्लान स्थिर है। अब पद्मा एम.ए. क्लास में पढ़ती है।

वह सभी कुछ है, पर वह रामेश्वरजी नहीं हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले उन्होंने पद्मा को एक पत्र में लिखा था, "मैंने तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूरी की हैं, पर अभी तक मेरी एक भी इच्छा तुमने पूरी नहीं की। शायद मेरा शरीर न रहे, तुम मेरी सिर्फ एक बात मानकर चलो– राजेन या किसी अपर जाति के लड़के से विवाह न करना। बस।"

इसके बाद से पद्मा के जीवन में आश्चर्यकर परिवर्तन हो गया। जीवन की धारा ही पलट गयी। एक अद्भुत स्थिरता उसमें आ गयी। जिस गति के विचार ने उसके पिता को इतना दुर्बल कर दिया था, उसी जाति की बालिकाओं को अपने ढंग पर शिक्षित कर, अपने आदर्श पर लाकर पिता की दुर्बलता से प्रतिशोध लेने का उसने निश्चय कर लिया।

राजेन बैरिस्टर होकर विलायत से आ गया। पिता ने कहा, "बेटा, अब अपना काम देखो।" राजेन ने कहा, "जरा और सोच लूँ, देश की परिस्थिति ठीक नहीं।"

"पद्मा!" राजेन ने पद्मा को पकड़कर कहा।

पद्मा हँस दी। "तुम यहाँ कैसे राजेन?" पूछा।

बैरिस्टरी में जी नहीं लगता पद्मा, बड़ा नीरस व्यवसाय है, बड़ा बेदर्द। मैंने देश की सेवा का व्रत ग्रहण कर लिया है, और तुम?"

"मैं भी लड़कियाँ पढ़ाती हूँ – तुमने विवाह तो किया होगा?

"हाँ, किया तो है।" हँसकर राजेन ने कहा।

पद्मा के हृदय पर जैसे बिजली टूट पडी, जैसे तुषार की प्रहत पद्मिनी क्षण भर में स्याह पड़ गयी। होश मैं आ, अपने को सँभालकर कृत्रिम हँसी में रँगकर पूछा,

"किसके साथ किया?"

"लिली के साथ।" उसी तरह हँसकर राजेन बोला।
"लिली के साथ!" पद्मा स्वर में काँप गयी।
"तुम्हीं ने तो कहा था–विलायत जाना और मेम लाना।"

पद्मा की आँखें भर आयीं। हँसकर राजेन ने कहा, "यही तुम अंग्रेजी की एम.ए. हो? लिली के मानी?"

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निगम के बढ़ते कदम

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निगम तेजी से कदम बढ़ा रहा है। अपने प्रचालनों को सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के लिए निगम ने विभिन्न प्रणालियों को अपनाया है जिनका विवरण इस प्रकार है –

- **वेअरहाउस मैनेजमेंट सिस्टम (डब्ल्यूएमएस),** एक क्लाउड आधारित एप्लिकेशन है, जिससे विभिन्न भंडारण प्रचालनों को स्वचालित करके देशभर में 390 वेअरहाउसों में शुरू किया गया है।
- गोदामों की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए देशभर में 380 वेअरहाउसों पर **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली** स्थापित की गई है। मोबाइल फोन पर रिमोट व्यूइंग सुविधा के साथ सीसीटीवी कैमरों को अपग्रेड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उपलब्ध कराया गया है।
- निगम की वेबसाइट www.cwcwms.com पर **एक डैशबोर्ड** को निगम के वेअरहाउसों में खाद्यान्नों के सैन्ट्रल पूल स्टॉक को देखने के लिए विकसित किया गया है। डैशबोर्ड में वेअरहाउस डैशबोर्ड, कपेसिटी टोटल डैशबोर्ड इन एमटी, कपेसिटी यूटिलाइजेशन (डब्ल्यूएमएस) इन एमटी, कपेसिटी यूटिलाइजेशन (डब्ल्यूएमएस डिपोजिटर्स) इन एमटी, कमोडिटी डैशबोर्ड (डब्ल्यूएमएस वेअरहाउस) एवं सैन्ट्रल पूल डैशबोर्ड (एफसीआई) शामिल हैं।
- **निगमित कार्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–ऑफिस को लागू कर दिया गया है।** कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच निगम का प्रचालन बाधा रहित सुनिश्चित करते हुए ई–ऑफिस निगम के अधिकारियों की ''वर्किंग फ्रॉम होम'' में सहायता कर रहा है, इसके अलावा, ई–ऑफिस से निगम में पेपरलेस वातावरण बना है जिससे दक्षता बढ़ेगी, निर्णय लेने में तेजी, लागत में बचत और कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी आएगी।
- **निगम की नई वेबसाइट** (cewacor.nic.in) को शुरू कर दिया गया है। सभी विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों के पृष्ठों के साथ नई वेबसाइट को सूचनाप्रद बनाया गया है। साथ ही, वेबसाइट की क्रियाशील प्रकृति उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाती है।
- ग्राहकों को उनके मोबाइल सुविधा के माध्यम से पार्किंग स्थल को दूर से बुक करने एवं उसका प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आईसीपी, पेट्रापोल में **स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल** और ई–पेमेंट गेटवे एकीकरण के साथ उसके मोबाइल एप्लीकेशन को शुरु कर दिया गया है।
- डब्ल्यूएमएस पर यू ट्यूब वीडियो के माध्यम से **ई–लर्निंग,** उपयोगकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन वीडियो से स्वयं सीखने के लिए ई–ऑफिस बनाया गया है। उपयोगकर्ताओं को डब्ल्यूएमएस संचालन के क्षेत्र में जानकारी प्रदान करने के लिए रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी प्रशिक्षित किया गया था।
- **बिल ट्रैकिंग सिस्टम (बीटीएस)** को निगमित कार्यालय और निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू किया गया है ताकि एक मंच के माध्यम से बिलों की मूवमेंट तथा उनके भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सके। यह थर्ड पार्टी

*राजभाषा अनुभाग के सौजन्य से

भुगतान पर सीवीसी दिशा–निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए निगम को सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, बीटीएस विक्रेताओं की सैन्ट्रल रिपोज़िटरी तैयार करने की भी सुविधा देता है।

- **निगम द्वारा शिकायत निवारण पोर्टल (जीआरपी)** को 2020–21 में लॉन्च करने के लिए विकसित तथा पूर्ण रूप से परीक्षित किया गया है, जहाँ शिकायतों को रजिस्टर्ड कराया जा सके। प्रमाणीकरण के कई स्तर, फर्जी शिकायतों को सीमित करते हैं। किसी भी शिकायत के समाधान के लिए लगने वाले समय को जी.आर.पी. कम करती है। इसके अतिरिक्त, यह संपूर्ण प्रक्रिया पेपरलेस है, अर्थात् इस संपूर्ण प्रक्रिया में पेपर का उपयोग नहीं किया जाता और शिकायतकर्ता आसानी से अपनी शिकायतों के वास्तविक समय स्थिति को ट्रैक कर सकता है।
- आगंतुकों को ई–पास जारी करने के लिए निगमित कार्यालय में **विज़िटर मैनेजमेंट सिस्टम (वीएमएस)** स्थापित किया गया है। यह प्रणाली आगंतुकों और अन्य विवरणों का ट्रैक रखती है।
- **सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ पोर्टल** निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है ताकि वे अपनी सुविधानुसार घर से इंटरनेट के माध्यम से सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ ले सकें।

'स्वच्छ भारत'

सुनीता*

आओ प्यारे देशवासियों
गांधी जी के 'स्वच्छ भारत' के सपने को साकार करें।
देश को स्वच्छ बनाना है,
हमें कूड़ा नहीं फैलाना है।

डस्टबिन का प्रयोग करें,
सबको यही सिखाना है।
छोटे बच्चे होते कच्चे,
छुटपन में यही सिखाना है।

सड़कें हों साफ और स्वच्छ,
सभी को एक नियम अपनाना है।
आस–पड़ोस, चारों तरफ
स्वच्छता को अपनाना है।

पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है,
हम सबको पेड़ लगाना है।
स्वच्छ भारत बनाना है,
सरकार के इस संदेश को
घर–घर तक पहुंचाना है।

इसे जन आंदोलन बनाना है,
स्वच्छ रहे भारत हमारा,
धरा पर स्वर्ग बनाना है।

*निजी सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

उठ कर फिर खड़े हो जाइए

निर्भय नारायण गुप्त "निर्भय"*

गिर गए जो आप उठ कर फिर खड़े हो जाइए
जिंदगी की ठोकरों से आप मत घबराइए

रोते–रोते उलझनों मे खुद को मत उलझाइए,
हंसते–हंसते जिंदगी के मसअले सुलझाइए

जिसको पीकर सारी दुनिया होश खो बैठे यहाँ,
अपनी आँखों से वही मदिरा छलकाइए

शाम होते सूर्य भी थक कर सो जाएगा,
आप तब चाँद बन कर आसमां पर छाइए

मौत हो या जिंदगी भजिए हमेशा राम नाम,
नाम की महिमा बहुत है, आप भी दुहराइए

शूल तो चुभते रहे हैं, इनको चुभने दीजिए,
आप फूलों की तरह बस खुशबु ही फैलाइए

दर्द के नगमे सुनाने से भला क्या फायदा,
झूम उठे ये जहां वो गीत "निर्भय" गाइए

*5/49, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा आईजीएमआरआई हापुड़ में आयोजित प्रशिक्षण सुविधाएं

दिनांक 25.10.2012 को केन्द्रीय भंडारण निगम ने आईजीएमआरआई, हापुड के संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सुविधाओं तथा प्रबंधन को लेने तथा खाद्यान्नों एवं अन्य कृषि वस्तुओं के फसल उपरान्त प्रबंधन में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से इसे उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु आईजीएमआरआई, हापुड, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसका आगामी 05 वर्षों की अवधि के लिए 31.05.2018 को नवीनीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम की ओर से विभिन्न प्रकार्यात्मक क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। समझौता ज्ञापन में स्पष्ट है कि केन्द्रीय भंडारण निगम आईजीएमआरआई, हापुड़ को उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित करेगा जिससे खाद्यान्नों के फसल उपरांत प्रबंधन पर प्रशिक्षण के लिए सार्क देशों, पड़ोसी एवं अन्य देशों के विदेशी प्रतिभागी प्रशिक्षण के लिए आकर्षित होंगे।

केन्द्रीय भंडारण निगम ने इस संस्थान में अपने स्वयं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ–साथ आईजीएमआरआई, हापुड़ के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन मई, 2013 से शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आईजीएमआरआई, हापुड की उपलब्ध सुविधाएं नीचे दी गई हैं:–

प्रयोगशाला (पैस्ट नियंत्रण के अधीन)

- भौतिक विश्लेषण प्रयोगशाला
- रसायन विश्लेषण प्रयोगशाला
- उपकरणीय विश्लेषण प्रयोगशाला

संग्रहालय

संस्थान का एक सुव्यवस्थित संग्रहालय है जिसमें ब्लो–अप्स, मैगनीफाइंग लैन्स बॉक्स, पारम्परिक और आधुनिक भंडारण संरचना के डिस्पले मॉडल, कीट–पैस्ट एवं नक्शे इत्यादि के द्वारा खाद्यान्नों की वैज्ञानिक भंडारण के विभिन्न पहलुओं का क्षेत्रवार आकर्षक प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही खाद्यान्नों की क्षति करने वाले चूहों, पक्षियों तथा कीटों के नमूनों का प्रदर्शन किया गया है।

पुस्तकालय

संस्थान का सुविकसित विशाल पुस्तकालय भी है जिसमें कृषि अनुसंधान से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषतः खाद्यान्नों के फसल उपरांत प्रचालनों, अनाज रसायन, कीटनाशक, कीट विज्ञान, खाद्य पदार्थ, मसाले, बीजों, रोग विज्ञान, विपणन और कृषि अभियांत्रिकी आदि की अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध 8500 पुस्तकों और 47 पत्रिकाओं से अधिक विविध पुस्तकें उपलब्ध हैं। आईजीएमआरआई का पुस्तकालय अंतरराष्ट्रीय स्तर की 17 विदेशी पत्रिकाओं तथा 22 ख्याति प्राप्त भारतीय पत्रिकाओं के लिए अंशदान देता है ताकि न केवल भारत अपितु विश्व के अन्य देशों में हो रहे अनुसंधान से संबंधित नई जानकारियां प्राप्त हो सकें ।

आउटडोर भंडारण संरचना यार्ड

आईजीएमआरआई परिसर में आउटडोर भंडारण संरचना यार्ड छात्रावास भवन के सामने है । यार्ड में विभिन्न क्षमताओं की अनेक प्रकार की मैटेलिक (धातु) एवं नॉन–मैटेलिक (गैर धातु) भंडारण संरचनाओं की समृद्ध विरासत है।

छात्रावास

संस्थान के परिसर में एक सुसज्जित छात्रावास है जिसमें 50 प्रशिक्षुओं के रहने की व्यवस्था है तथा इसमें न्यूनतम दरों के भुगतान पर भोजन तथा आवास की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

मनोरंजन के साधन

मनोरंजन के उद्देश्य हेतु एक टी.वी. का कमरा एवं टेबल टेनिस हॉल अलग से रखा गया है। साथ ही एक बैडमिंटन कोर्ट भी खुले आंगन में उपलब्ध है।

*प्रशिक्षण अनुभाग के सौजन्य से

भारत में सार्वजनिक भंडारण

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भंडारण गतिविधियां पहले–पहल कब प्रारम्भ हुई इस बारे में हम निश्चित रूप से किसी तिथि विशेष की घोषणा नहीं कर सकते। फिर भी ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में सूखा, अकाल तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय उपभोक्ता में खाद्यान्न वितरण की भावना को अवश्य आर्थिक गतिविधि मानते हुए खाद्यान्न को एकत्र करके बड़े–बड़े पात्रों में संग्रहित करने की व्यवस्था की गई थी। अन्न संग्रह के इस कार्य का प्रारम्भ 2500 से 2000 ईसा पूर्व से माना जाता है। अग्निरोधी मिट्टी से बने बड़े–बड़े पात्रों को धूप में सुखाया जाता था उनमें गेहूं और चावल भरे जाते थे। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई के समय ऐसे पात्र मिले हैं।

प्राचीन भारतीय साहित्यकार पाणिनी ने अपनी ''अष्टाधायी'' में भंडारण पात्र के विषय में स्पष्ट किया है कि यह 6 फुट ऊंचा बेलनाकार होता था जिसे कौसाला आदि कहते थे।

भारतीय इतिहास में गोदामों के कई संदर्भ मिलते हैं। चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध मंत्री कौटिल्य ने भंडारण कार्यविधि का विस्तार से चित्रण किया है और अपने राज्य में राजा के अन्न भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम प्रभारी के लिए दिशा–निर्देश जारी किए थे। मौर्यकाल में विदेशों से व्यापार के उद्देश्य जलयानों में भी बड़े–बड़े गोदाम बना कर उनमें अनाज भरा जाता था। महाराष्ट्र के पन्हाला में शिवाजी द्वारा बनाया गया खाद्यान्न गोदाम अब भी सुरक्षित है। तमिलनाडू के तंजाबूर एवं तिरुनूर में भी प्राचीन गोदाम सुरक्षित हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–1945) के दौरान अनाज को बमबारी से बचाने के लिए भूगर्भ में गोदाम बनाए गए थे। अर्जेन्टीना में भूगर्मी में बिल की तरह गहरे–गहरे गोदाम बनाए गए थे।

भंडारण

पूर्वी एशिया में वस्तुओं को संग्रह करने के स्थान का आम बोलचाल की भाषा में भाण्डागार अथवा गोदाम कहा जाता है। (मलय) कोडोंग, गिडांगी (तेलगू) तथा किडांगू (तमिल) को मिला कर बना है अर्थात वह स्थान जहां वस्तुएं रखी जाती हैं। डोनाल्ड बोअरसोक्स और डेविड गलोस ने अपने लोजिस्टिकल मैनेजमेंट में मूल्यांकित वस्तुओं के ढेर को सुरक्षित रखने के स्थान को भंडारण कहते हैं।

भंडारण मूलतः कृषि का सहवर्ती है और कृषि व्यवसाय से संबंधित है। यह वस्तुतः एक आर्थिक गतिविधि है और वाणिज्यिक भंडारण को गति देना इसका लक्ष्य है।

भारत में भंडारण प्रक्रिया का प्रारंभ भारत में सार्वजनिक भंडारण की अवधारणा का श्री गणेश लगभग 90 वर्ष पूर्व से आंका जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है और कृषक की स्थिति में सुधार होना चाहिए था परंतु यहां उल्टा हो रहा था। दिन प्रतिदिन बिचौलिए कृषक को कमजोर कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र की बढ़ती ऋण ग्रस्तता ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि अब तक कृषि विपणन का कोई नियमित विधान नहीं बनाया गया था। वर्ष 1928 में रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने अपने प्रतिवेदन में कृषि विपणन की उपयुक्त विसंगतियों का प्रमुखता से उल्लेख किया और लाइसेंस प्राप्त भांडागारों की स्थापना की संस्तुति की तदुपरांत ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए अनेकों आयोग व समितियां बनी। यह महसूस किया गया कि फसलों का वर्गीकरण व मानकीकरण करते हुए उनके विपणन हेतु उपयुक्त बाजार की व्यवस्था की जा सकती है। इसके साथ–साथ वाणिज्यिक बैंक कृषकों को सस्ती दरों पर पर्याप्त ऋण स्वीकृत कर सकते हैं। कृषि उपज के भंडारण एवं विक्रय की सार्वजनिक व्यवस्था भी करना अनिवार्य है ऐसी व्यवस्था पर भी बल दिया गया जिससे कृषकों को अपने भंडारित

*राजभाषा अनुभाग के सौजन्य से

अनाज के बदले भंडारण रसीद जारी की जाए जो उन्हें बैंकों से ऋण दिलाने में सहायक होगी। चूंकि यह नया क्षेत्र था इसलिए न तो निजी व्यवसायी इसमें धन लगाने को इच्छुक थे और कृषकों के हित में उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देना भी लक्ष्य प्राप्ति में बाधक होता, इसलिए केंद्र सरकार व प्रांतीय सरकारों से भांडागार बनाने व अनाज के लदान के लिए परिवहन व्यवस्था भी मुहैया कराने की अपेक्षा की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी देश में भंडारण के सिलसिले में सरकार द्वारा एक नियमित अधिनियम बनाने का सुझाव दिया गया। परंतु इस क्षेत्र में अर्जन की अपेक्षा व्यय अधिक होने के कारण यथा वांछित प्रगति न हो सकी। निजी व्यवसायी तो इस काम से दूर ही रहे। रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद भी पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक भंडारण की सुविधाएं नहीं जुटाई जा सकीं। फलस्वरुप भंडारण के क्षेत्र में एकक केंद्रीय अभिकरण की स्थापना पर बल दिया गया जो भंडारण के क्षेत्र में गंभीरता से कार्य करेगी। ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्व कमेटी ने 1954 में यह परामर्श दिया कि भंडारण की गतिविधियों को तेज करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम का गठन किया जाना चाहिए। कमेटी के प्रस्ताव पर भंडारण की संकल्पना की गई। इस क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए सुझाव दिएः–

1. सहकारी साख का विकास किया जाए।
2. क. सहकारी आर्थिक गतिविधियों पर विशेष अध्ययन एवं प्रक्रम करना।
   ख. संग्रह भंडारण एवं वितरण।
3. ग्रामीण एवं सहकारी बैंक सुविधाओं का विकास तथा
4. कार्मिकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना

ऑल इंडिया सरल क्रेडिट सर्वे कमेटी की सिफारिशों पर संसद ने एक अधिनियम बनाया जिसे 'दी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट (डेवलपमेंट और वेयरहाउसिंग) कॉरपोरेशन अधिनियम 1956' कहा गया। इस अधिनियम में कमेटी की सिफारिशों को विस्तार से शामिल किया गया। इस अधिनियम में सहकारी साख के विकास और सहकारी आर्थिक गतिविधि विशेषकर विपणन एवं प्रक्रम के विकास का प्रावधान किया गया। इसके अलावा संग्रह, भंडारण एवं वितरण का दायित्व भी इसमें शामिल किया गया। तदुपरांत मंत्रालयों के पुनर्गठन के फलस्वरुप भारत सरकार द्वारा जनवरी, 1959 में एक सरकारी विभाग बनाया गया। तब यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय सहकारी मंडल का कार्य सहकारी विभाग देखेगा और भंडारण निगमों का कार्य खाद्य विभाग की देखरेख में होगा। बाद में 1956 का अधिनियम निरस्त किया गया और उसके स्थान पर वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम, 1962 बनाया गया। इसके अंतर्गत पिछले अधिनियम के अंतर्गत गठित केंद्रीय भंडारण निगम एवं राज्य अधिनियम में केंद्रीय भंडार एवं राज्य भंडारण निगम के लिए एक समान थे।

केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगमों की स्थापना

उपयुक्त अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय भंडारण निगम एवं राज्य भंडारण निगम की स्थापना की व्यवस्था की गई। केंद्रीय भंडारण निगम के लिए अंश पूंजी की व्यवस्था केंद्रीय सरकार एवं बैंक, सहकारी समितियों व बीमा कंपनियों आदि के अभिदान से होती है। निगम के शेयरों पर केंद्रीय सरकार द्वारा मूलधन के प्रतिदान एवं नियम न्यूनतम स्तर पर वार्षिक लाभांश के भुगतान की प्रत्याभूति होते हैं। राज्य भंडारण निगम के मामले में अंशपूंजी की व्यवस्था संबंधित सरकारों द्वारा केंद्रीय भंडारण निगम के पूर्व अनुमोदन से की जाती है। इन नियमों की अंशपूंजी की व्यवस्था के केंद्रीय भंडारण निगम एवं राज्य भंडारण निगमों द्वारा समान रूप से करनी होती है। दोनों को ही इस अंशपूंजी में साझेदार होना होता है। अधिनियम के अंतर्गत 02.03.1957 को केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना हुई और जुलाई, 1957 में इसने अपना कारोबार प्रारंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन अब तक 17 राज्य भंडारण निगम की स्थापना हो चुकी है इस अधिनियम के गठन से पूर्व स्थापित भांडागरों को इस अधिनियम के अंतर्गत गठित मान लिया गया। केंद्रीय भंडारण निगम एवं राज्य भंडारण निगम की स्थापना प्रसार विस्तार आधारित थी और नए अधिनियम में केंद्रीय और राज्य भंडारण निगम द्वारा अधिसूचित वस्तुओं, कृषि उत्पाद, कृषि उपस्कर व आदान के भंडारण व परिवहन के कामकाज करने का प्रबंध किया गया। फलस्वरुप निगम के कारोबार के विस्तार हेतु एक महत्वपूर्ण नया मार्ग मिला।

भंडारण निगमों के कार्यकलाप व उद्देश्य

केंद्रीय भंडारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अनुसार केंद्रीय भंडारण निगम अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित कार्य करेगाः

1. गोदाम और भांडागार बनाने के लिए देश–विदेश में

उपयुक्त स्थान अधिग्रहित करना, व्यक्तियों, सहकारी समितियों व अन्य संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित कृषि उत्पाद बीज खाद, उर्वरक, कृषि उपकरण व अन्य अधिसूचित वस्तुओं का भंडारण करना।

2. उपयुक्त पदार्थों के भांडागारों में लाने–ले जाने हेतु परिवहन की व्यवस्था करना।

3. राज्य भंडारण निगम की अंश पूंजी में अभिदान देना।

4. कृषि उत्पाद, बीज, खाद, उर्वरक, कृषि उपस्कर व अन्य अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण, क्रय–विक्रय एवं वितरण हेतु सरकारी अभिकर्ता का कार्य करना।

5. केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी राज्य अधिनियम अथवा केंद्रीय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निगम अथवा कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी के साथ वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 में उल्लेखित उद्देश्य के कार्य निर्माण हेतु संयुक्त उद्यम का गठन करना। इसमें विदेशी कंपनियां अथवा उसकी अनुषंगी कंपनी भी पक्षकार हो सकती है।

6. अनुषंगी कंपनियां स्थापित करना तथा 2001 के अधिनियम में शामिल अन्य कार्य करना। भारत सरकार ने केंद्रीय भंडारण निगम के अनुरोध पर उपयुक्त धारा 11 (च)के अंतर्गत बनाए गए भंडारण निगम 1963 में शामिल निम्नलिखित कार्य करने का दायित्व भी केंद्रीय भंडारण निगम को दे दिया–

क. जमाकर्ताओं के अनुरोध पर भांडागारों के बाहर कृषि उत्पादों अथवा अधिसूचित वस्तुओं के लिए प्रधूमन कार्य करना।

ख. संसद द्वारा पारित अथवा विधान मंडल द्वारा पारित अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम अथवा कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित किसी कंपनी अथवा सहकारी समिति के अनुरोध पर कृषि उत्पाद, खाद, उर्वरक, कृषि उपकरण व अधिसूचित वस्तुओं के भंडारण, क्रय–विक्रय व वितरण कार्य हेतु उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य करना।

ग. इसी प्रकार स्थापित निगमों, कंपनियों अथवा सहकारी समितियों को भंडारण के निर्माण अथवा संबंधित कार्य हेतु परामर्शी सेवाएं प्रदान करना अथवा उनके लिए परियोजनाएं बनाना।

घ. उपर्युक्त संदर्भित वस्तुओं के भंडारण व परिवहन हेतु भांडागार चलाना। इसके अलावा कार्गो, एयर कार्गो, कंटेनर कार्गो एवं तरल कार्गो के भंडारण, हथालन व परिवहन हेतु यथावश्यक उपस्कर व अवस्थापन मुहैया कराना। उपयुक्त अधिनियम की धारा 24 के अनुसार राज्य भंडारण निगम में केंद्रीय भंडारण निगम के परामर्श से उपर्युक्त संदर्भित वस्तुओं का भंडारण हथालन व परिवहन का कार्य करती रहेगी।

भंडारण निगम का सिंहावलोकन

केंद्रीय भंडारण निगम देश के आर्थिक विकास में निर्णायक भूमिका निभाने के साथ–साथ भंडारण सुविधाओं की संतुलित प्रगति सुनिश्चित करने वाली शीर्ष संस्था है। इसने कृषकों के हित को सामने रखकर लगभग 65 वर्ष पूर्व अपना कार्य प्रारंभ किया था।

केंद्रीय भंडारण निगम ने धीरे–धीरे अपने कामकाज का विस्तार किया। अब इसने कृषि क्षेत्र के लिए भांडागारों की स्थापना के बाद सार्वजनिक बांडेड भांडागारों, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सों, कंटेनर फ्रेट स्टेशन आदि की ओर भी कदम बढ़ाए।

विश्व व्यापार संगठन एवं वैश्वीकरण का प्रभाव

विश्व व्यापार संगठन के संरक्षण में विश्व व्यापार उदारता व तत्परता से फैला है। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में काफी सुधार हुए हैं। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारता तथा वैश्वीकरण की नीति से प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र में कारोबार के मार्ग खुले हैं। इसके अलावा प्रशासनिक और कार्यविधिक रुकावटों को हटा लिया गया है तथा कारोबार को सरल बनाने व विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए अनुज्ञप्ति आदि की कानूनी औपचारिकताओं में ढील दी गई, इसमें भंडारण क्षेत्र भी शामिल है। परिणामस्वरूप निजी क्षेत्र के व्यावसायियों के साथ–साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भंडारण व्यवसाय में प्रवेश कर रही हैं। हमें इनसे स्पर्धा करनी हैं।

उपाय

आर्थिक सुधारों और देश–विदेश में मुक्त विपणन और वैश्वीकरण के प्रचलन के फलस्वरुप हमें भंडारण एवं औद्योगिक व्यापार से संबंधित समतुल्य घरेलू उपस्कर एवं संरचनाएं स्थाई रूप से उपलब्ध करानी होंगी। भंडारण क्षेत्र में बढ़ रही स्पर्धा को देखते हुए यह अनिवार्य हो गया है कि हम अपनी बुद्धि पर जोर देते हुए नई–नई योजनाएं व रणनीतियां बनाएं। हमें सामने आई चुनौतियों को सुअवसर व सौभाग्य में बदलना होगा। हमें कृषि/उद्यम व उद्योग क्षेत्र की बदलती हुई जरूरतों और वैश्वीकरण व उन्मुक्त व्यापार को ध्यान में रखते हुए यथावांछित संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। व्यापार विकसित करने वाली नीतियां बनानी होगी। अपने ग्राहकों को अपनी विकसित, उपयोगी व लाभदायक सेवाओं की ओर आकर्षित करना होगा। इस उद्देश्य से उनमें जागृति लानी होगी।

अगर केंद्रीय भंडारण निगम ना होता

देवराज सिंह 'देव'

दो मार्च सन् सत्तावन को गर संसद में गुणगान ना होता।
तो केंद्रीय भंडारण निगम का भारत में उदय/निर्माण ना होता।।
हरित क्रांति के उपरान्त वैज्ञानिक भंडारण ना होता।
कोठी–कुठलों, खत्तियों में सड़ता, अनाज भी बन्द ना होता।।
किसान हमेशा गरीब ही रहता, महाजन से आज़ाद ना होता।
फसलों की बोली लगती रहती, फसल का वाज़िब दाम ना मिलता।।
खलियानों से भण्डारण तक, खाद्य सुरक्षा अभियान ना होता।
खाद्य क्षति को घटा–घटा कर, विदेशों को निर्यात ना होता।।
भारतीय खाद्य सुरक्षा नीतियां अपनाकर, खाद्य सुरक्षा काम ना होता।
खाद्य सुरक्षा करके भारत, आत्मनिर्भर आबाद ना होता।।
पूर्व की भाँति अन्य देशों से, निम्न कोटि का आयात ही होता।
जिससे धन–हानि ही नहीं, नए–नए कीटों का आगमन ही होता।।
यहाँ रोज नए–नए रोग पनपते, बस जन–मानुष नुकसान ही होता।।
गर एफ.ई.एस.एस, पी.सी.एस ना होता, तो कीट नियन्त्रण सेवा ना होती।
भिन्न–भिन्न वस्तुओं का भंडारण, चिन्ताओं से मुक्त ना होता।
अकाल आपदाएं आने पर, भूखमरी का ताण्डव होता।
गर, निगम सेवा में जनहित ना होता, तो केन्द्रीय भंडारण निगम का नाम ना होता।
केन्द्रीय भंडारण एक वैज्ञानिक भंडारण है, इसके बिना निगम "मिनीरत्न" ना होता।।
"देव" सदा आभारी निगम का, बिन सेवा, कल्याण ना होता।
मैं तो शतः शतः प्रणाम करूं, गर निगम ना होता, फिर क्या होता।।

---

*पूर्व भंडारण एवं निरीक्षण अधिकारी, सैन्ट्रल वेअरहाउस, गाजियाबाद

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस और महिला सशक्तिकरण

नम्रता बजाज*

महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही इस दिवस को मनाने के पीछे एक कारण विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करना भी है। अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। साल 1908 में एक महिला मजदूर आंदोलन की वजह से महिला दिवस मनाने की परंपरा की शुरूआत हुई। इस दिन 15 हजार महिलाओं ने नौकरी के घंटे कम करने, बेहतर वेतन और कुछ अन्य अधिकारों की मांग को लेकर न्यूयार्क शहर में प्रदर्शन किया था। एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी, 1909 में मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन के सम्मेलन में इसे अन्तरराष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिलवाना था क्योंकि, उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। धीरे–धीरे यह दिन दुनिया भर में अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में लोकप्रिय होने लगा। इस दिन को अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मान्यता 1975 में मिली, जब संयुक्त राष्ट्र ने इसे एक थीम के साथ मनाने की शुरूआत की। इस साल की थीम "वुमेन इन लीडरशिपः अचिविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड–19 वर्ल्ड" है।

वास्तव में, महिलाओं द्वारा उनकी शक्ति को पहचानने और अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं लेने तथा समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार महिला दिवस के अवसर पर कहा था कि "देश की तरक्की के लिये पहले हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा"। एक बार जब महिला अपना कदम उठा लेती है, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर बढ़ता है।

भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों का हनन करने वाली सोच जैस–दहेज प्रथा, यौन हिंसा, अशिक्षा, भ्रूण हत्या, असमानता, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, कार्य स्थल पर यौन शोषण, बाल मजदूरी, वैश्यावृति, मानव तस्करी आदि को खत्म करना ज़रूरी है। भारत के संविधान में लिखे गये समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है।

महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसे हर परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारित करना चाहिए। ये अत्यंत आवश्यक है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत हों। महिलाओं के उत्थान के लिये एक स्वस्थ परिवार की ज़रूरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता–पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिये महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिये सरकार भी कई सारे कदम उठा रही है, किन्तु इसके लिए समाज और परिवार की सोच में परिवर्तन आना भी बहुत ज़रूरी है।

समाज में महिलाओं के विरुद्ध जो कुरीतियां थीं, उन्हें समाप्त करने के लिए कुछ महान विभूतियों ने कदम उठाए और इस भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आवाज उठाई। राजा राम मोहन राय, आचार्य विनोबा भावे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले आदि ने महिला उत्थान के लिये अपनी आवाज उठाई और कड़ा संघर्ष किया किन्तु अभी भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विचार परिवर्तन और सामाजिक संकीर्णताओं से मुक्ति पाने की आवश्यकता है।

इंडियन वूमन अर्थात भारतीय महिला यानि एक अच्छी बेटी, बहन, माँ, पत्नी इत्यादि की छवि हर व्यक्ति के मन में

*प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

उभरने लगती है। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात् भी हम महिलाओं को सामान्यतः केवल इन्हीं रूपों में देखते हैं। यह भी सही है कि इस दौरान महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से परिवर्तन भी हुए हैं, जैसे पहले भारत में महिलाएँ केवल घरों में रहती थीं। उन्हें घर से बाहर निकलने, पढ़ने–लिखने, खेलने, पुरुषों की तरह बाहर काम करने आदि की अनुमति नहीं थी। भारतीय संविधान में महिला एवं पुरुष दोनों के लिए समान अधिकार होने के बावजूद निरक्षरता और घरेलू तथा भारतीय धार्मिक परंपराओं की वजह से महिलाएँ उन समस्त अधिकारों का सम्पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती थीं। आज भारतीय नारी ने हर स्तर और क्षेत्र में सफलता हासिल की है, उसने विज्ञान, व्यापार, अंतरिक्ष, खेल, राजनीति आदि हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अगर हम शिक्षा के विषय में बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा, महिलाओं में अशिक्षा का स्तर ज़्यादा है किन्तु अगर शिक्षित नारी की तुलना शिक्षित पुरुष से की जाए तो वह उनसे कहीं आगे है।

हम सभी का मानना है कि मां दुर्गा, शक्ति का रूप हैं। इतनी शक्तिमान कि भगवान राम ने भी लंका पर आक्रमण के समय मां दुर्गा की आराधना की। लेकिन आज की महिला क्या शक्तिमयी है? क्या उसका सशक्तिकरण हो चुका है? क्या वह आज दुर्गा बन चुकी है? शायद नहीं, पर उसके पास कुछ अधिकार तो हैं, वह कुछ तो शक्तिमान हुई। यह अधिकार, यह शक्तियां उसे किसी ने दिये नहीं हैं। यह उसने खुद लड़कर प्राप्त किये हैं। आज परिदृश्य बदल ज़रूर गया है परन्तु मानसिक रूप से स्थिति में अभी भी परिवर्तन कुछ खास नहीं है। हम महिला दिवस मनाते हैं, खुश होते हैं और मानते हैं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम और आगे बढ़ गए हैं किंतु कुछेक को छोड़ दें तो आज भी बच्चियों के पैदा होने पर किसी को वो खुशी नहीं होती जो बेटे के पैदा होने पर होती है। आधुनिकता का लबादा ओढ़े हम कह देते हैं कि आजकल तो बेटा–बेटी में कोई फर्क नहीं है, किंतु मन के किसी कोने में हम खुद को ही झुठला रहे होते हैं। कई महिलाओं के मन में तो बेटी को लेकर चाह होती है, परन्तु डर भी होता है। वह नहीं चाहतीं जो कुछ वह सह रही हैं या सह चुकी हैं, वो सब उनकी बेटी भी सहे। समाज में लड़कियों के प्रति जो सोच है, उसका खामियाजा उनकी बेटी भुगते और इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उन्हें बेटी न दे। वास्तव में हम इस दिशा में बातें बहुत बड़ी–बड़ी करते है, पर मानसिकता में, समाज में आज भी हम वहीं के वहीं हैं। आज लड़कियां पढ़–लिखकर बहुत बड़े ओहदे पर नौकरियां कर रही हैं। समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां नारियों ने अपनी क्षमता प्रदर्शित न की हो, यहां तक सेना में भी नारियों ने अपनी जगह बनाई है और हम उसकी सराहना भी करते हैं, पर जब रिश्ते, नाते और समाज का प्रश्न आता है तो उनसे वैसी ही अपेक्षाएं की जाती हैं जैसे पहले की जाती थीं, उन्हें आज की परिस्थितियों के हिसाब से नहीं परखा जाता। उन्हें वह अधिकार नहीं दिए जाते जिसकी वो हकदार हैं। पहले महिलाएं घर–परिवार के कार्यों में व्यस्त रहती थीं किंतु आज वह दोहरी ज़िंदगी जी रही हैं, घर–परिवार के साथ–साथ धन–अर्जन के कार्यों को भी पूरा कर रही हैं। जहां पुरुष की ज़िंदगी में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है, वहीं स्त्री की ज़िंदगी में काम का दोगुना बोझ पड़ गया है, किंतु चुनौतियों का सामना करते हुए भी आज की नारी ने अपनी पहचान बनाई है। आज महिलाओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। इस दिशा में अतंरराष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया जाना एक प्रयास है। हमें यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि यह संसार स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बना है, अतः बिना इन दोनों की भागीदारी और सम्मान के एक सुंदर संसार की कल्पना नहीं की जा सकती।

किरन बेदी, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय आदि अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने अपने–अपने क्षेत्र में नाम कमाया और कई महिलाएं ऐसी हैं जो भले ही बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं किंतु अपने क्षेत्र और स्थान पर उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जो औरों के लिए मिसाल बन गए। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक महिला एक शक्ति है और उसमें सभी कार्य करने की क्षमता है। यदि वह चाहे तो कोई भी कार्य करना उसके लिए मुश्किल नहीं हैं, हर चुनौती का सामना करने की ताकत भगवान ने उन्हें प्रदान की है। महिलाएँ अपने प्रयास और प्रयत्न में पीछे नहीं हैं, किन्तु आवश्यकता है तो बस उन्हें सही अवसर और सहयोग प्रदान करने की।

जीने की प्रेरणा

पियाल चक्रवर्ती*

समय का आकलन करते–करते,"सोच और उपलब्धियों" के बीच कब समय खर्च हो जाता है, यह पता ही नहीं चलता। हम चाहते हैं सपनों को जीना, जिंदगी को अपने सलीके से चलाना। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें जिंदगी का ज्यादा तजुर्बा है, पर हकीकत में जिंदगी अपने आप में ही एक रहस्य है, एक ना सुलझने वाली गाँठ है। जितना हम इसे सुलझाने जाते हैं, उतना ही ये उलझती जाती है। शायद तभी जिंदगी में सुकून की तलाश कर जीना ही सही है। आखिर वही लंबे अरसे तक जहन में बस जाता है, बाकि पल भर के लिए आता है और समय के साथ गुजर जाता हैं। भावनाओं की गहराई में डूबने के बाद कब सपने और हकीकत का फासला मिट जाता है पता ही नहीं चलता... इतने में एक आवाज आई– "राहुल शर्मा के परिवार से कोई है??" मैं उठा और नर्स ने मेरे हाथों में एक लंबी सी पर्ची थमाई और अपनी रूखी सी आवाज में कहा "ये दवाईयां अभी फार्मेसी से ला दीजिये..."

राहुल शर्मा, उम्र 35 साल, मेरा सबसे खास दोस्त। कितने ही सपने साथ में देखे थे, कुछ हकीकत में जिए तो

कुछ समय की गहराई में खो गए। पढ़ाई हो या पतंग उड़ाना, स्कूल से पेट में दर्द का बहाना बताकर छुट्टी लेना या खेलते–खेलते थक कर गुप्ता अंकल के बगीचे से अमरूद चुराना.. सब साथ–साथ। एक साथ कॉलेज गए, एक ही सब्जेक्ट पढ़े, इंडियन मिलिटरी अकादमी की तैयारी भी एक साथ ही की। दोनों का सपना था मिलिटरी में भर्ती होना। हम दोनों एक–दूसरे के सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि एक–दूसरे के प्रेरक भी थे। इंडियन मिलिटरी अकादमी में तीन–तीन बार कोशिश के बाद भी सेलेक्शन नहीं हो पाया पर हमने हार नहीं मानी, हमनें प्रण किया हम आई.ए.एस की तैयारी करेंगे। डट गए दोनों अपने–अपने लक्ष्य की ओर, सब कुछ छोड़कर सिर्फ पढ़ाई को ही अपना साथी बना लिया। ऐसे ही 4 साल बीत गये, हर बार हम पहला पड़ाव तो पार कर लेते थे पर अंतिम पड़ाव को पार नहीं कर पाते। दोनों ही धीरे–धीरे टूट रहे थे पर एक–दूसरे का हौसला बढ़ाते हुये आगे बढ़े और इस बार दोनों ने दूसरे पडाव को भी पार कर लिया। बाकी था इंटरव्यू..... दोनों ने खूब मेहनत की, आखिर में मेरा सेलेक्शन हो गया पर मुझे अपनी खुशी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि मेरा दोस्त राहुल पास नहीं हुआ। मेरे घर वाले बहुत खुश थे, खुशी मेरे अंदर भी थी पर राहुल को लेकर ज्यादा चिंतित था। जिंदगी का कोई भी सफर हमने एक–दूसरे के बिना तय नहीं किया था। आगे कैसे अकेले बढ़ेगा इस सफर पर, कैसा लगेगा, कौन उसका हौसला बढ़ाएगा, यह सोच मुझे अंदर ही अंदर खाये जा रही थी। आखिर में मुझे अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा, राहुल मुझसे मिलने तक नहीं आया इसलिए नहीं कि, वह मेरे लिए खुश नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो अपनी हार का दुख मुझे दिखाना नहीं चाहता था। अकादमी से बहुत सारी चिट्ठियाँ राहुल को लिखीं पर एक का भी जवाब नहीं मिला, वो मुझसे बहुत दूर जा चुका था। छुट्टियों में जब घर आया तो उसके घर गया, पता चला कि उसके पापा के देहांत के बाद वह अपनी माँ को लेकर किसी दूसरे शहर चला गया। मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ चुका था।

देखते ही देखते 07 साल निकल गए। डिप्टी कलेक्टर के पद पर मेरा ट्रांसफर हुआ असम के धुबरी शहर में, मेरा अपना शहर, मेरे अपने लोग। बहुत भावुक हो गया। नौकरी के बाद माँ मेरे साथ ही रही और हमारे पुराने मकान में कोई

*वेअरहाउस सहायक–I, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी

नहीं था, और मैं भी काम में उलझ चुका था जिसके कारण कभी आने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल भी नहीं बदला ये शहर, रास्ते, चौराहे, अस्पताल, कॉलेज सब वैसे के वैसे। बस बदल गए हैं तो यहां के लोग, यहां की आदतें। लोगों को नशे की लत लग चुकी थी, दारू, गाँजा यहाँ तक कि ड्रग्स की भी। हालांकि पूरे देश में ही "नशा" नामक यह दीमक हमारे भविष्य को अंदर ही अंदर खाये जा रहा था, पर अपने बचपन के इस शांतिपूर्ण शहर को इस हालत में देख नहीं पा रहा था। एक कलेक्टर होने के नाते मैंने पहले यही जिम्मेदारी उठाई कि इस शहर को नशे के चुंगल से मुक्त कराना है। गाँजे के सारे ठिकानों पर छापा, दारू के दो नंबरी ठेको को बंद कराया, लाइसेन्स के बिना चलाई जा रही फार्मेसी को भी बंद कराया। पूरी तरह तो नहीं पर धीरे–धीरे इस मुहिम की सफलता भी नजर आ रही थी। मैं भी अपनी बाकी जिम्मेदारियों को निष्ठा पूर्वक निभाने की कोशिश में लग गया। ऐसे ही एक दिन देर रात को काम से अपनी सरकारी बंगले में लौटते हुये मेरे गाड़ी के सामने लड़खड़ाते हुये एक आदमी आ गिरा। मैंने अपने सिक्योरिटी को कहा देखने के लिए तो उसने बोला कोई दारुबाज है, जो अंग्रेजी में कुछ अनाप–शनाप बक रहा है, ये सुन कर मुझे पहले तो हंसी आई पर जब गाड़ी से निकल कर बाहर आया तो उसे देख मेरे आँखों से आँसू निकल आए, मैं अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। वो शराबी कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त राहुल था। गालों में बढ़ी हुई दाढ़ी, लंबे रूखे हुए बाल, अपने होश खोया हुआ मेरा दोस्त मेरे सामने पड़ा हुआ था।

मैंने राहुल को अपनी गाड़ी में लिटाया और अपने साथ ले गया। घर पहुंचते ही उसे नहलाकर कपड़े बदलवाए और सुला दिया। अगले दिन सुबह जूस लेकर मैं खुद उसके कमरे में गया और उसे जगाया। उसे पिछले दिन का कुछ भी याद नहीं आया कहां वो टकराया... कहां हम मिले... वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे अपने होश में जो नहीं था। मुझे देखते ही उसने सर झुका लिया, और उसकी आंखों से आँसू निकल पड़े। मैंने अपने आप को रोका और उसे सीने से लगा लिया, और कहा चल पहले फ्रेश हो ले फिर बैठ के चाय पिएंगे। फ्रेश होकर हम दोनों रीडिंग रूम मे बैठे, चारों तरफ हम दोनों की साथ में खींची गई कई तस्वीरों में हजारों यादें कैद थीं। मैंने पूछा– "कहाँ था इतने दिन, कोई चिट्ठी नहीं, खबर नहीं, क्या कर रहा था और ये क्या हालत बना रखी है अपनी?"

राहुल रोने लगा, बहुत देर के बाद अपने–आप को संभालते हुये उसने बोलना शुरु किया–

"यार मैं थक चुका था लड़ते–लड़ते। तेरे जाने के बाद पापा का देहांत हो गया, माँ को लेकर मैं गुवाहाटी चला गया काम की खोज में। एक कंपनी मे घुस गया और आईएएस की तैयारी भी चालू रखी, पर हालात और नसीब मेरे खिलाफ थे। कुछ दिन बाद माँ को भी स्ट्रोक हो गया, डॉक्टर ने कहा कि बाई पास सर्जरी करवानी पड़ेगी। अपना मकान बेच कर माँ का इलाज चालू किया, इन सबके चक्कर में मेरी पढ़ाई छूट गई। एक साल बाद माँ मुझे छोड़ कर इस दुनिया से चल बसी। मैं अकेला पड़ चुका था। यू. पी.एस.सी के लिए एक चान्स बाकी था, मैंने दो साल तक पढ़ाई की पर उसमें भी मुझे सफलता हासिल न हो सकी, टूट चुका था मैं अपनी इस बार–बार की हार से। वापस लौट के आ गया और टयूशन किया पर सपने पीछा नहीं छोड़ रहे थे। खुद से भागूं या दुनिया से समझ नहीं आ रहा था। इतना अकेला पड़ चुका था कि जीने की ख्वाहिश तक मर चुकी थी। बस और क्या हजारों भटके हुए लोगों की तरह मैंने भी शराब का सहारा ले लिया। देखते ही देखते कब इसकी लत लग गयी पता ही नहीं चला। पहले मैं पिया करता था, अब ये मुझे पीती है। मैं खत्म हो चुका हूँ मेरे सपनों के साथ मेरी जिंदगी भी खत्म होने वाली है, अच्छा हुआ मरने से पहले तुझसे मिल पाया।

यह कहकर वह अपनी आंखों तले आई हुई आँसू की चंद बूंदों को अपने हाथ मे समेटते हुए चुप हो गया। मैं हैरान था, जिंदगी को खुलकर जीने वाला मेरा दोस्त आज जिंदगी से इतना मायूस हो चुका है। मैंने पूछा "अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम फिर से नए सिरे से शुरू करते हैं। तू नहीं कहता था– 'जिंदगी में हार नहीं होती, एक नहीं तो दूसरे सपने भी सजाये जा सकते हैं.... चल यार फिर से जिंदगी को खुलकर जीते हैं, फिर से इसकी चुनौतियों का सामना करते हैं।" वो कुछ वक्त तक चुप रहा, फिर धीरे से कहा– "बहुत देर हो चुकी है यार। मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। बस जब तक उस

ऊपर वाले की दुआ है जिंदा हूँ ।"... ये सुनते ही मैं मानो आसमान से गिर पड़ा। इतने सालों बाद मुझे मेरा दोस्त मिला और भगवान उसे मुझ से फिर से छीन लेना चाहता है। मैं हार नहीं मानना चाहता था। अगले ही दिन मैं राहुल को लेकर चेन्नई चला आया और उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टर भी एक ही बात बोले कि उसकी दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। मैंने अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए किडनी डोनर के लिए। 5 दिन बाद खबर आयी कि एक डोनर मिला है जिसका ग्रुप राहुल से मिलता हैं। मैं देर न करते हुये डोनर से मिला और जल्द ही ऑपरेशन का इंतजाम किया। आज मेरे दोस्त राहुल का ऑपरेशन है.....

पर्ची में लिखी हुई पूरी दवाई मंगवाकर नर्स को दे दी। सोचता हूँ, राहुल के साथ जो भी हुआ, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे ऊंचे सपने या नाकामयाबी से बढ़ती हुई मायूसी..? ये वक्त जिसे हम नसीब कहते हैं या ये समाज जहां हार के बाद इंसान लोगों के तानों से भागता फिरता है? किसे दोष दें?

दरअसल जिंदगी जीने का नाम है, समय से लड़ने का नाम हैं। जब तक हम चुनौतियों से लड़ते हैं, हमें हर पल ये महसूस होता है कि हम जिंदा हैं। ये एहसास ही है जिसे हम जिंदगी जीने का जज़्बा कहते हैं। हम सोचते हैं कि ये ख्वाहिश पूरी हो गयी तो बस, फिर वो मिलने के बाद दूसरी फिर तीसरी मन कभी शांत नहीं होता। क्या इससे अच्छा ये नहीं कि जो पल पास हैं, उसे खुलकर जिएं? कुछ सपने पूरे हो भी गए तो क्या, कुछ नहीं भी हुए तो क्या? हार और जीत हमने बनाए हैं, एहसास दोनों में एक ही हैं। बस हमारे सोच में है कि हम उससे कैसे सामना करें। सब कुछ मिल जाने के बाद भी दिल में कुछ पाने की चाह रह जाती है। वो चाहत ही है जो हमें जीने की प्रेरणा देती है..... ।।

वक्त–ए–रास्तों में कई ख्वाब पनपते हैं
कुछ हकीकत तो कुछ हसरत बन जाते हैं।
पर जिंदगी जीत–हार की मोहताज नहीं,
जहाँ ख्वाब–ए–हकीकत खुशी देती है
तो हसरतें भी "जीने की प्रेरणा" बन जाती हैं।।

पूनम का चांद

जितेन्द्र कुमार*

मेघ ओट से झाँक रहा है
वह पूनम का चांद
कभी निकलता, छुप जाता फिर
वह पूनम का चांद।

मौन डगर है हवा बसंती
आकुल – व्याकुल रात
आसमान में इतराता है
वह पूनम का चांद।

मचल रही हैं सागर की लहरें
थम–थम कर जिस आकर्षण में,
मंद–मंद मुस्काता देखो
वह पूनम का चांद।

फैली है चहुं ओर चांदनी
धरा पर शीतलता है छाई,
आंख – मिचौली खेल रहा है
वह पूनम का चांद।

श्वेत दुग्ध सा सुंदर मुखड़ा
दाग बहुत लगते है सुंदर,
अपने यौवन पर मदमाता
वह पूनम का चांद।

शेष दिवस तो घटता– बढ़ता
आता–जाता रहता है वह,
आज पूर्ण हो और निखरता
वह पूनम का चांद।

मेघ ओट से झाँक रहा है
वह पूनम का चांद ।

*सहायक प्रबन्धक (लेखा), क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई

वेअरहाउस रसीद– एक नेगोशिएबल दस्तावेज

वेअरहाउसिंग विषय से परिचित प्रत्येक व्यक्ति ने 'परक्राम्यता' (नेगोशिएशन) शब्द अवश्य सुना होगा। प्रत्येक व्यक्ति जब अपने दैनिक जीवन में जाने–अनजाने एक अथवा दूसरे ढंग से जब समझौते की वार्ता करता है, तब वह परक्राम्यता की प्रक्रिया से गुजरता है, चाहे वह सब्जी खरीदने जैसा छोटा मामला ही क्यों न हो। परन्तु जब यह प्रक्रिया वेअरहाउस में वस्तुओं को जमा करने अथवा दूसरे शब्दों में भंडारण जैसे विशिष्ट क्षेत्र में सम्पन्न होती है तो उसका अर्थ और आस्था बदल जाती है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि **परक्राम्य विलेख अधिनियम, 1881** में केवल वचन पत्र, विनियम पत्र और चैक की ही चर्चा है। **वेअरहाउस रसीद** का परक्राम्य विलेख का अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। विशिष्ट वस्तुएं प्राप्त होने पर वेअरहाउस कर्मी द्वारा प्रमाणस्वरूप तिथि, तौल और मात्रा के अंकन वाली वेअरहाउस रसीद का परक्राम्य (नेगोशिएबल) दस्तावेज के रूप में शायद प्रभावी ढंग से प्रयोग नहीं हुआ है। यह शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमारे देश में वस्तुओं का आदान–प्रदान विनियम पद्धति के अन्तर्गत काफी समय तक होता रहा। वित्तीय सहायता के लिए किसानों/खेतिहर समुदाय का साहूकारों पर निर्भर रहना इसका दूसरा कारण हो सकता है। वित्तीय संस्थाओं के आगमन और कृषि क्षेत्र के लिए नीतियां बनाने के लिए सरकार के दबाव के फलस्वरूप वेअरहाउस रसीद के महत्व का पता चलता है।

सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार एवं विकास की आवश्यकता महसूस की गई तथा समय–समय पर विभिन्न नीतियां बनाई गई। वेअरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट बनने के फलस्वरूप वेअरहाउस कर्मी द्वारा जारी की जाने वाली वेअरहाउस रसीद को वैध दस्तावेज का दर्जा मिल गया है। वेअरहाउस रसीद में धारक के लिए परक्राम्य (नेगोशिएबल)/अपरक्राम्य (नॉन नेगोशिएबल) रसीद रखने का विकल्प खुला रहता है। भारत के रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक वेअरहाउस कर्मी द्वारा जारी वेअरहाउस रसीद के आधार पर किसानों/खेतिहर/व्यापारियों आदि को ऋण स्वीकृत करते हैं।

समय के अनुसार विश्व आर्थिक परिदृश्य में गहन परिवर्तन हुए हैं। वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था ने न केवल आधारभूत/मैन्युफैक्चरिंग सुविधाओं के सृजन के क्षेत्र में बल्कि सेवा के क्षेत्र में भी विदेशी संस्थाओं को आकर्षित किया है। इसके फलस्वरूप न केवल उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विनियम, प्राधिकरण और अधिनियम बनाने की जरूरत महसूस की गई बल्कि उनके कामकाज की चौकसी करना भी जरूरी समझा गया है।

अतः भारत सरकार द्वारा एक ऐसी वेअरहाउस रसीद की जरूरत महसूस की गई जो कानूनी शक्ति और प्रशासनिक मैकेनिज्म से युक्त हो। वेअरहाउस रसीद जारी करने वाले भंडारण क्षेत्र की गतिविधियों को वैध बनाने की दृष्टि से भंडारण (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2007 बनाया गया है। यह अधिनियम अपने उद्देश्य में कहता है कि फिलहाल देश में वेअरहाउसों द्वारा जारी रसीद को जमाकर्ताओं और बैंकों का विश्वसनीय न्यासवत दर्जा प्राप्त नहीं है क्योंकि यह डर है कि वेअरहाउस कर्मी के छल, कुप्रबंध और जमाकर्ता के दिवालिया होने की स्थिति में ऋण की वसूली संभवतः नहीं हो पाएगी। वेअरहाउस रसीद की परक्राम्यता में आने वाली सभी बाधाओं एवं किसानों तथा अन्य वस्तुओं के जमाकर्ताओं द्वारा उठाई गई परेशानियों को ध्यान में रखते हुए कृषि पदार्थों सहित सभी वस्तुओं के लिए परक्राम्य भंडारण प्रणाली स्थापित करना जरूरी हो गया है।

यह उम्मीद की गई है कि परक्राम्य वेअरहाउस रसीद होने से मैक्रो और माइक्रो दोनों स्तरों पर पर्याप्त लाभ होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लिक्विडिटी बढ़ेगी, वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रक्रिया लागत घटेगी, पूर्ति

*राजभाषा अनुभाग के सौजन्य से

श्रंखला में सुधार होगा, श्रेणीकरण और गुणवत्ता आएगी एवं मूल्य जोखिम प्रबंधन भी बेहतर होगा। इन सबके लिए एक कानून बनाने हेतु अध्ययन कार्य किया गया। प्रथम उद्देश्य यह था कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाया जाए क्योंकि वे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं।

भंडारण (विकास एवं नियमन) नेगोशिएबल अधिनियम, 2007 ने भंडारण प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया है। नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद की परिभाषा इसी अधिनियम की धारा 2 (एम) में दी गई है। वेअरहाउस रसीद में वर्णित वस्तुओं को जमाकर्ता को अथवा उसके आदेश पर सौंपा जा सकता है। इसके पृष्ठांकित करने से इसमें वर्णित वस्तुओं को स्थानांतरित किया जा सकता है और पृष्ठांकिती को उचित अधिकार मिल जाता है ।

वेअरहाउस रसीद को परक्राम्य (नेगोशिएबल) दस्तावेज बनाने के लिए अधिनियम की धारा 11 में दिए गए सभी विवरणों को पूरा करना होगा। अधिनियम की शर्त है कि वेअरहाउस रसीद लिखित में अथवा इलैक्ट्रॉनिक रूप में होनी चाहिए। यह वस्तुओं के प्रति हक का दस्तावेज बन जाएगी बशर्ते इसमें रसीद संख्या, वेअरहाउस पंजीकरण संख्या और उसकी वैधता, माल जमा कराने वाले व्यक्ति का नाम व पता, वेअरहाउस का नाम व पता, वेअरहाउस रसीद की तिथि, प्राप्त वस्तुओं का विवरण जिसकी सुपुर्दगी वेअरहाउस रसीद धारक अथवा उस व्यक्ति की होगी जिसे रसीद पृष्ठांकित की गई है। इसमें भंडारण प्रभार, हैंडलिंग प्रभार, पैकेट बनाने हेतु वस्तुओं का विवरण, उनकी मात्रा, गुणवत्ता, श्रेणी तथा माल जमा करते समय उसका बाजार मूल्य तथा जल्दी नष्ट होने वाली वस्तुएं जिनका तौल आदि नहीं हो सकता है, को छोड़कर वस्तुओं पर जमाकर्ता का निजी मार्का, विभिन्न जोखिमों पर क्षतिपूर्ति करने वाली बीमा कम्पनी का नाम, नेगोशिएबल अथवा नॉन नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद, अग्रिम अदायगी पर वेअरहाउस कर्मी का पुनर्ग्रहणाधिकार और उसके अपेक्षित दायित्व, वेअरहाउस कर्मी अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के दिनांकित हस्ताक्षर, वस्तुओं की घोषित शैल्फ/चट्टा उपयोगिता अथवा लियन एवं वेअरहाउस रसीद की वैधता आदि का उल्लेख होना चाहिए। इस विवरण का उल्लेख न करने पर अथवा इस सिलसिले में भूलचूक होने पर सजा का प्रावधान किया गया है।

वेअरहाउस रसीद की नेगोशिएबिलिटी के बारे में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 में बताया गया है। धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि वेअरहाउस रसीद की **परक्राम्यता सीमित** हो तो वेअरहाउस रसीद को अवैध माना जाएगा। वेअरहाउस कर्मी को वेअरहाउस रसीद की परक्राम्यता अथवा अपरक्राम्यता के बारे में विशेष उल्लेख करना होगा और उसे अपरक्राम्य वेअरहाउस रसीद जारी करने की शक्ति नहीं होगी। उपर्युक्त अधिनियम की उक्त धारा के अन्तर्गत परक्राम्य/अपरक्राम्य वेअरहाउस रसीद जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी निश्चित की गई है अन्यथा वेअरहाउस रसीद धारक के पास जिसने इसे मूल्यवान प्रतिफल के लिए खरीदा है, वेअरहाउस रसीद में अंकित वैसे ही तदनुसार देनदारी निश्चित होती। इस परक्राम्य रसीद की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह उस तिथि तक वैध रहेगी जिस तिथि तक उसमें वस्तुओं की शैल्फ मियाद घोषित की गई है ।

वेअरहाउस रसीद को वस्तुएं प्राप्ति के समय नामित व्यक्ति को अथवा उसी व्यक्ति को अथवा पृष्ठांकित व्यक्ति को उनके आदेशानुसार सुपुर्दगी के मामले में रसीद में दी शर्तों के अनुसार नेगोसिएट किया जा सकता है। जहां पर सुपुर्दगी और स्थानांतरण के पृष्ठांकन द्वारा मूल्यवान प्रतिफल के लिए अथवा वार्ता के लिए आवश्यक है, वहां वेअरहाउस रसीद को पृष्ठांकन के बिना भी स्थानांतरित किया जा सकता है। अतंरिती के पास अंतरित को रसीद पृष्ठांकित करने के लिए दबाव डालने के लिए अधिकार आ जाता है, बशर्ते आशय विपरीत न हो और जब पृष्ठांकन हो जाता तब वार्ता प्रभावी हो जाती है।

भंडारण (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 2007 द्वारा वेअरहाउस रसीद को विनियम बिल, चैक जैसे अन्य परक्राम्य विलेखों के समकक्ष प्रतिष्ठित किया गया है और आने वाले वर्षों में यह ग्रामीण और खेतिहर अर्थव्यवस्था के उत्थान एवं विकास के लिए प्रमुख भूमिका निभाएगी। वस्तुतः वेअरहाउसिंग नियामक प्राधिकरण की स्थापना और इसके कामकाज के फलस्वरूप वस्तु बाजार में काफी परिवर्तन होने जा रहा है।

सतर्क भारत समृद्ध भारत

वरुण भारद्वाज*

सतर्कता का शाब्दिक अर्थ है सतर्क और जागरुक रहना पर यहां जब हम सतर्कता की बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई। भ्रष्टाचार में समावेशित हैं –शक्ति, धन व सरकारी संपदा का दुरुपयोग। वर्तमान में सतर्कता का विषय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सतर्कता के प्रति यह धारणा बनी हुई है कि यह केवल भ्रष्ट कार्मिकों को पकड़ने की मशीनरी है। सतर्कता को महज दंड देने और कार्मिकों को आतंकित करने के लिए नहीं अपितु उन्हें यह समझाने के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है कि संगठन की निर्धारित नियमावलियों, प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के अनुसार अपने कार्यों को संपादित करें और संगठन एवं राष्ट्र की प्रगति में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं।

सतर्कता कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। सतर्कता के मात्र कुछ नियम हैं जिनको सच्चाई व निष्ठापूर्वक निभाने से व्यक्ति तथा राष्ट्र समृद्ध बन सकते हैं। सतर्कता कोई विशेष कार्य–पद्धति नहीं है और न ही किसी विशेष अधिकारी का कार्य अपितु सतर्कता मानव विवेक का ही एक प्रतिबिंब है। जब मनुष्य का हृदय भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो जाता है तब वह अपने विवेक की आवाज को सुन नहीं पाता, और तब शुरू होता है उसका पतन। कहा भी गया है –

जब नाश मनुज पर छाता है,
पहले विवेक मर जाता है।

किसी भी संगठन के लिए सतर्कता का होना नितांत आवश्यक है। यह संगठन को आर्थिक हानियों से बचाती है तथा देश समाज को पतन से बचाकर समृद्धि की ओर ले जाती है। ''सतर्क भारत, समृद्ध भारत'' की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर हमें अपने कार्यों में नैतिकता और सच्चाई के मार्ग पर चलने की संस्कृति अपनानी होगी। हमें उच्च नैतिक आदर्श रखते हुए तथा बुद्धिसंगत निर्णय लेते हुए अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करना होगा।

सतर्कता तथा समृद्धि एक गाड़ी के दो पहिये हैं। यदि एक पहिये में खराबी आ गई तो दूसरा पहिया भी दूर तक गाड़ी खींचने में सक्षम नहीं रहता है अतः दोनों का दुरूस्त रहना देश एवं समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक है। आज भारत जब दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है तब प्रत्येक देशवासी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे सशक्त एवं समृद्ध भारत के निर्माण में यथाशक्ति सहयोग करें। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए समाज तथा अर्थव्यवस्था के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है।

समृद्ध भारत के निर्माण के लिए भ्रष्टाचार का समूल नाश करना पहली शर्त है। समृद्ध भारत की गति और स्वरुप पर जिन तत्वों का प्रभाव पड़ेगा उनमें सत्यनिष्ठा और सतर्कता की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। समृद्ध भारत हमारे प्राचीन नैतिक आदर्शों की नींव पर ही खड़ा होगा जिसके प्रेरक उदाहरण प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास तक पाए जाते हैं। **हमारे देश के राज–चिन्ह्न पर भी मुंडक उपनिषद का आदर्श वाक्य 'सत्यमेव जयते' अंकित है** जिसका अर्थ है 'सत्य की ही विजय होती है।'

समृद्ध भारत की राह में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बाधा है जिसे समाप्त करने के लिए एकीकृत प्रयासों की आवश्यकता है। ये प्रयास व्यक्ति, घर, समाज तथा कार्यालय आदि हर स्तर पर एकजुटता से किए जाएं तभी समृद्ध भारत की अवधारणा मूर्त रुप लेगी। हालांकि सतर्कता अपनाने की दिशा में संगठनात्मक दक्षता सुधार हेतु ई–गवर्नेंस जैसे संस्थागत सुधार अमल में लाए जा रहे हैं। ई–गवर्नेंस से सरकारी व हमारे रोजमर्रा के काम में सरलता, पारदर्शिता, सहजता व कार्यकुशलता बढ़ती जा रही है। सरकारी कार्यालयों की विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के प्रयोग जैसे ई–प्रोक्यूरमेंट, डिजिटल भुगतान तथा जेम पोर्टल से खरीद को अपनाया जा रहा है। अर्थव्यवस्था के संचालन में डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने से भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इस तरह के संस्थागत बदलावों से भ्रष्टाचार के रास्ते बंद होते हैं और देश समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होता है।

*सहायक प्रबंधक (राजभाषा) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

सतर्कता अपनाने के व्यावहारिक उपायों में परिवार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। डॉ अब्दुल कलाम जी ने कहा कि– ''अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा यह दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के तीन सदस्य ये कर सकते हैं– माता, पिता और गुरु।'' हाल ही में **पीएम केयर्स फंड** के विषय पर संसद में बोलते हुए माननीया वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि ''Transparency should start from home''। अतः सतर्कता एवं पारदर्शिता को सर्वप्रथम हमें अपने परिवार से शुरु करना होगा।

समृद्ध भारत के लिए सुव्यवस्थित परिवर्तन एवं पारदर्शिता पर बल देते हुए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना समय की आवश्यकता हो गई है। शिक्षण संस्थानों के साथ–साथ ग्राम सभा स्तर पर भी सतर्कता के दूरगामी लाभ और भ्रष्टाचार के कुप्रभाव के विषय में जागृति पैदा करना जरुरी है क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है। अगर हम यह तय कर लें कि किसी भी काम को अनैतिक तरीके से होने नहीं देंगे और अपने स्तर पर इसके लिए कोशिश शुरु करें तो हमें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। हमें दुष्यंत कुमार जी की निम्न पंक्तियों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है –

''कौन कहता है कि आसमां में
सुराख हो नहीं सकता,
एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो''

वैश्विक महामारी कोविड –19 के दौर में समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सबकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है क्योंकि कोविड –19 से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसके परिणामस्वरुप भारत की विकास दर में तीव्र गिरावट हुई है तो आइये अपनी कार्यप्रणाली में सतर्कता को अपनाकर भ्रष्टाचार रुपी दानव को बाहर निकाल फेकें तथा राष्ट्र एवं संगठन के विकास में अग्रणी भूमिका निभाते हुए समृद्ध भारत के संकल्प को साकार करें। अंत में यही कहना है –

''कोई जागे न जागे मुकद्दर उसका
अपना तो काम है आवाज लगाते रहिए,''

घर तरसता है मेरी शक्ल देखने को....

बिकाश लाल वर्मा*

घर तरसता है, मेरी शक्ल देखने, हूँ मैं उलझा हुआ, जिन्दगी में अभी, गलियाँ तकती हैं, मानो राहें मेरी, हूँ मैं भटका हुआ, जिन्दगी में अभी।

लोग कहते हैं, घर क्यूँ जाते नहीं, अपने किस्से, हमें क्यूँ सुनाते नहीं, क्या कहूँ, खुलके उनसे कि जी, हूँ मैं सिमटा हुआ, जिन्दगी में अभी।

कोई कहता है, तुम कुछ नया देख लो, इस नए से शहर का, समां देख लो, कैसे देखूँ मैं, कुछ भी नया–सा अभी, हूँ मैं अटका हुआ, जिन्दगी में अभी।

मानो, किस्सा नया भी शुरू हो गया, मेरा गैरों से मिलना, शुरू हो गया, पर क्या, मुझको मिलेंगी वो बातें कभी, हूँ मैं सहमा हुआ, जिन्दगी में अभी।

सड़कें चौड़ी हैं, थोड़ी ज्यादा यहाँ, उन पर गाड़ियाँ चलती हैं, ज्यादा यहाँ, कैसे भूलूं, वो सड़कें खाली सभी, हूँ मैं ठहरा हुआ, जिन्दगी में अभी।

शामें अक्सर, अकेली होती यहाँ, बिन थके नींद, करवट में सोती यहाँ, थकते पैरों को, कैसे भूलूं भला, हूँ मैं जकड़ा हुआ, जिन्दगी में अभी।

कौर रोटी का, मानो पुकारे मुझे, खाना खाकर भी, खाना निहारे मुझे, संग मिलकर थे खाते, खाना सभी, हूँ मैं अकड़ा हुआ, जिन्दगी में अभी।

घर तरसता है, मेरी शक्ल देखने, हूँ मैं उलझा हुआ, जिन्दगी में अभी, गलियाँ तकती हैं, मानो राहें मेरी, हूँ मैं भटका हुआ, जिन्दगी में अभी।

*सहायक प्रबंधक (लेखा), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

वज़नदार हैं शब्द......

रेखा दुबे*

इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए,
दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए.......

शब्दों का वज़न तो भाव पर आधारित है एक शब्द मंत्र कहलाता है और एक गाली। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो एकांकी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसे दूसरों के साथ विचार–विमर्श करना ही पड़ता है और इसका सक्षम माध्यम है हमारे शब्द। जन्म के दो वर्ष में हम बोलना सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है इसे सीखने की प्रक्रिया उम्रभर चलती है। शब्द हमें शिष्ट और अशिष्ट की श्रेणी में एकदम खड़ा कर देते हैं। हमें जो काया मिली है, ईश्वर की अमूल्य देन है। लेकिन बाहरी आवरण से ज्यादा आंतरिक गुण व्यक्तित्व को निखारने में अहम भूमिका निभाते हैं।

अक्सर हम सुनते आए हैं कि इस संसार में एक जुबान ही है जिसमें अमृत और विष एक साथ वास करते हैं । किसी का व्यक्तित्व तब तक ही आकर्षक लगता है, जब तक आपने उसकी जुबान न सुनी हो। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी खूबसूरत क्यों न हो लेकिन आपके दिल में प्रवेश करने के लिए आपको.... या यूं कहें हर व्यक्ति को एक मधुर वाणी की आवश्यकता होती ही है। ये जुबान ही है जिससे इंसान मन में उतर जाता है या मन से उतर जाता है। बाहरी आवरणों का प्रभाव बहुत जल्दी चढ़ता है, लेकिन जुबान में मधुरता नहीं तो चेहरे का जादू उतरने में क्षणभर ही काफी है। **शब्दों में अजीब कशिश है, कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाला मिर्च भी बेच देता है।**

हम अपने दैनिक जीवन में कई लोगों के संपर्क में आते हैं। ऑफिस, बस, बस स्टॉप, मैट्रो, रास्ता चलते या फोन पर किसी की मधुर वाणी अनायास ही आपका ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर देती है और एक अजनबी भी अच्छा लगने लगता है। कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी हैं जिन्हें आप अच्छे से नहीं जानते लेकिन फिर भी उनसे नज़र मिलते ही आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और कुछेक को देखकर भी हम अनदेखा कर देते हैं या उससे दूरी बना लेते हैं और आपको कभी इस बात का अफसोस भी नहीं होता कि आपने एक अच्छा दोस्त, सहयोगी या पड़ोसी खो दिया। लेकिन यदि आपकी कड़वाहट से आपका दोस्त आपसे संबंध तोड़ ले तो आपको हमेशा मलाल रहेगा कि अनियंत्रित वाणी ने आपसे एक मित्र को दूर कर दिया। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द न बोलें क्योंकि मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे लेकिन बोले गए शब्द नहीं बदल पाएंगे आप। आपके इर्द–गिर्द किसी के शब्दों का चयन ऐसा होता है कि आप चाहेंगे उससे बात करना, उसका पद, उसकी हैसियत कुछ मायने नहीं रखती, मायने रखता है तो उसका व्यवहार। मेरा मानना है कि पद की अपनी गरिमा होती है लेकिन अगर किसी के पद को लेकर आपने उससे संबंध जोड़े हैं तो पद जाते ही आपका नजरिया उसके प्रति बदल जाता है, लेकिन अगर दूर तक कुछ आपके साथ जाता है तो वह आपका व्यवहार। ये हमारी जुबान ही है जिससे कभी प्यार, कभी क्रोध, कभी क्षमा जैसे रूपों में शब्द निकलकर दूरगामी प्रभाव छोड़ते हैं। शब्द महकते हैं तो लगाव देते हैं और बहकते हैं तो बस घाव ही देते हैं। इतना वज़न है इनमें कि अजनबी को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बनाने की क्षमता रखते हैं। मज़ा तो इसी में है कि आपकी वाणी किसी पर आपका ऐसा प्रभाव छोड़े कि बस वे आपके लिए कह उठें कि........जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम.......

मैं अपना एक अनुभव आपके साथ साझा करती हूं। एक बार मैं अपनी सहेली के ऑफिस गई। हम बात कर रहे थे तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की ने कमरे में प्रवेश किया। मैं उसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाई। उसके जाने के बाद मैंने अपनी दोस्त से थोड़ा मस्ती के मूड

*वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

में कहा यार.....इसके आते ही तुम्हारे ऑफिस में तो बहार आ जाती होगी। बड़ी खूबसूरत है। मेरी दोस्त बोली अगर कुछ देर इसके पास बैठोगी तो दोबारा आना पसंद नहीं करोगी क्योंकि ये बहुत रूखा बोलती है। इसकी जुबान में बिल्कुल मिठास नहीं है। कुछ ही क्षण में मेरी प्रशंसा के सारे मापदंड धराशायी हो गए।

अब आप सोचेंगे कि हमेशा ही मीठा बोलना संभव भी नहीं है। जीवन में इतने उतार–चढ़ाव हैं कि कई बार गुस्सा नाक पर आकर बैठ ही जाता है। हमारा इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता और हम कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे सामने वाले के मन को चोट लग जाती है। **किसी भी व्यक्ति की बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचना जरूरी है। यदि व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो बुरी बात भूल जाएं और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति। कभी–कभी गोली सह ली जाती है, बोली नहीं।**

शब्दों की अति बन जाते हैं अपशब्द,
मन आवेशित हो तो हो जाएं निःशब्द।।

आवेश की स्थिति में घाव दे दिया जाता है लेकिन आवश्यक है कि आप क्रोध शांत होने के बाद अपनी कही बातों पर विचार करें और अपने संबंधों में मधुरता कायम करने के लिए स्वयं की गलती को दिल से महसूस करें और बात करने की पहल भी करें और क्षमा भी मांगे। **कटुता सदैव तीर का ही काम करेगी औषधि का नहीं।** ऐसा न हो कि आप अपने गलत व्यवहार के लिए उसके समक्ष जाने में शर्मिंदगी महसूस करें।

मैं अपना एक और अनुभव बताती हूँ। मेरी एक परिचित से काफी दिनों से मेरी बातचीत नहीं हो पाई थी। एक दिन मुझे पता चला कि उसके किसी करीबी संबंधी की तबीयत खराब है। मैंने हालचाल पूछने के लिए फोन किया तो उसने बड़े ही गलत तरीके से मुझसे बात की। मैंने आज तक इस बात पर लोगों को नाराज़ होते देखा था कि तुमने मेरे दुख में मेरा हाल नहीं पूछा, पहली बार मुझे लगा कि यार मैंने हाल पूछकर बड़ी गलती कर दी। उस दिन के बाद मेरी उससे दोबारा बात नहीं हुई या यूं कहें कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कॉल करके हाल पूछूं। मैंने संबंध बनाए रखने के लिए मैसेज भेजकर हाल पूछा लेकिन उसकी प्रतिक्रिया प्रतिकूल ही रही और उसके बाद मैंने कभी पहल करने की नहीं सोची। कुछ शब्दों ने हमें वाकई दूर कर दिया। एकतरफा रिश्ता कभी परवान नहीं चढ़ता। पहल दोनों तरफ से होनी जरूरी होती है। बेहतर होता है कि जहां विचारों में तालमेल न हो, वहां प्रगाढ़ता न दिखाएं।

धैर्य और संयम से बोली गई बात विद्वता की परिचायक है। क्रोध में आपकी जुबान से निकला एक–एक शब्द दूसरों को कितना मानसिक आघात पहुंचा सकता है, उस समय आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कहा जाता है कि जिस प्रकार कमान से निकला तीर वापिस नहीं आता, उसी प्रकार जुबान से निकला शब्द भी वापिस नहीं आ सकता। अगर इससे एक बार कटुता के बाण चल गए तो चल ही गए। सामने वाला घायल हुए बिना रह नहीं पाएगा और दोषी कौन होगा आपकी जुबान। वाणी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसमें मधुरता और कटुता दोनों ही बाण हैं । ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस बाण का प्रयोग किसी का दिल जीतने के लिए करते हैं या चीरने के लिए।

ऐसे कई उदाहरण आपके जीवन में भी होंगे, जब कोई बेहद अपना आपसे दूर गया होगा और कोई बेगाना आपके जीवन का अहम हिस्सा बना होगा और इन दोनों में अहम भूमिका आपके शब्दों ने ही निभायी होगी। सलीकेदार शब्द बच्चे और बूढ़े दोनों से अपनी अनुचित बात मनवाने की ताकत रखते हैं। मजा तो इसी में है कि आपके पीठ पीछे लोग आपकी बुराई नहीं आपकी मिठास के चर्चे करें और आप वहां न होकर भी अपनी उपस्थिति का अहसास उन्हें करा दें। **किसी को निःशब्द कर देना शब्द की सबसे बड़ी उपलब्धि है।**

शब्द में वो धार हो, जो जिगर के पार हो
आंख का पानी रहे, जीत हो या हार हो
मंजिलों के वास्ते, कोशिश हर बार हो
बोलिए उस बात को, जिसमें कोई सार हो
मैं रहूं या न रहूं,
मेरा जिक्र हर बार हो।।

निगम के अधीनस्थ वेअरहाउस–एक परिचय

भंडारण भारती पत्रिका के अंक–74 में सैन्ट्रल वेअरहाउस पुदुचेरी, कीर्ति नगर, राणा प्रताप बाग, अगरतला (हापानिया) एंव आमिनगाँव का परिचय प्रकाशित किया गया था। इस अंक में सैन्ट्रल वेअरहाउस मोहाली, करनाल तृतीय, शाहजहांपुर तथा गाजियाबाद–1 का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है।

सैन्ट्रल वेअरहाउस – मोहाली

सैन्ट्रल वेअरहाउस, मोहाली (पंजाब) जिला मोहाली के औद्योगिक क्षेत्र फेज 09 में स्थित है। यह वेअरहाउस एयरपोर्ट के नजदीक है।

सैन्ट्रल वेअरहाउस मोहाली में उपलब्ध सुविधाएं :–

- इस वेअरहाउस में 19200 मीट्रिक टन की कवर्ड भंडारण क्षमता उपलब्ध है, जिसमें 100 प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न जमाकर्ताओं द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है।
- यह वेअरहाउस आईएसओ 19001:2015, आईएसओ 14001:2015 व आईएसओ 45001:2018 द्वारा प्रामाणिकता प्राप्त है।
- इस वेअरहाउस में 140 एम.टी. (56 मी.टन) बांडेड भंडारण का स्थान है।
- यह वेअरहाउस सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली से युक्त है।
- वेअरहाउस के चारों ओर वाहनों के पर्याप्त आवागमन का स्थान है। इन स्थानों पर राज्य पुलिस विभाग के होम गार्ड हर समय तैनात रहते है।
- वेअरहाउस का परिसर पूरी तरह से अग्निशामक यंत्रों से युक्त है।
- वेअरहाउस में 60 मीट्रिक टन का एक इलैक्ट्रोनिक धर्म कांटा पूर्ण रूप से चालू है।
- वेअरहाउस में पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध है। वर्तमान समय में वेअरहाउस प्रबन्धक द्वारा ई–ऑफिस में कार्य किया जा रहा है।
- इस वेअरहाउस के सुगमता से प्रचालन हेतु वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यू.एम.एस. व डोस) को लागू किया गया है।
- इस वेअरहाउस में 13490 मी.टन स्थान एफ.सी.आई द्वारा आरक्षित किया गया है व 5560 मी.टन व 140 वर्गमीटर खुला स्थान बिग बास्केट द्वारा आरक्षित किया गया है।
- इस वेअरहाउस में कीट नियंत्रण (पैस्ट कंट्रोल) सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।

सैन्ट्रल वेअरहाउस – करनाल – III

करनाल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर चण्डीगढ़ से 126 कि० मी० की दूरी पर यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहां पर मुख्यतः धान की खेती की जाती है। यह धान उच्च गुणवत्ता वाला होता है और इसका निर्यात विदेशों में किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (एन. डी. आर. आई.) गेहूँ अनुसंधान निदेशालय (डी. डब्ल्यू. आर.), भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई. ए. आर. आई) सहित कई विश्व स्तर के विकास एवं अनुसंधान संस्थान हैं। यहां पर दार्शनिक स्थान कर्ण लेक (झील) तथा हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कॉम्प्लेक्स मधुबन जो पश्चिमी यमुना नहर के किनारे पर स्थित है।

सैन्ट्रल वेअरहाउस, करनाल–तृतीय शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर बजीदा जट्टान रोड पर नई अनाज मंडी के पास स्थित है।

- यह वेअरहाउस दिनांक 01.02.1991 में वेअरहाउस प्रबंधक श्री ऋषि पाल जी के द्वारा 15000 मीट्रिक टन की क्षमता से शुरू किया गया था और आज इस की क्षमता बढ़ कर 72100 मीट्रिक टन हो गई है।
- यह वेअरहाउस 20 एकड़ में स्थापित है
- इस वेअरहाउस की उपयोगिता 100 प्रतिशत है ।
- यह वेअरहाउस आईएसओ 9001:2015, ईएमएस 14001: 2015 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 द्वारा प्रमाणित है ।
- यह वेअरहाउस सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से युक्त है ।
- इस वेअरहाउस के चारों और वाहनों के पर्याप्त आगमन का स्थान है ।
- यहां पर डीजीआर स्पांसर्ड एजेंसी की ओर से गार्ड हर समय तैनात रहते हैं ।
- भंडारण परिसर पूरी तरह अग्निशामक यंत्रों से युक्त है ।
- इस वेअरहाउस में ठेकेदार द्वारा पर्याप्त मात्रा में श्रम शक्ति उपलब्ध रहती है ।
- इस वेअरहाउस में सभी सड़कें आरसीसी की बनी हुई हैं।
- यहां पर धर्मकांटा 100 एमटी का है।
- यह भंडारगृह डब्ल्यूडीआरए के तहत पंजीकृत है।
- इस वेअरहाउस में सारा काम केन्द्रीय भंडारण निगम की "भंडारण प्रबंधन प्रणाली" द्वारा किया जाता है ।
- इस वेअरहाउस में कीट नियंत्रण सेवाएँ भी उपलब्ध हैं।
- इस वेअरहाउस की कार्य प्रणाली से जमाकर्ता संतुष्ट हैं।

सैन्ट्रल वेअरहाउस – शाहजहांपुर

केन्द्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अधीनस्थ सैन्ट्रल वेअरहाउस, शाहजहांपुर जो कृषि उत्पादन मंडी समिति, रोजा, पिन कोड – 242001 में स्थित है। यह वेअरहाउस शाहजहांपुर शहर/नगर पालिका के नजदीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग–24 के द्वारा जिला शाहजहांपुर देश के अन्य प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, बरेली, सीतापुर एवं लखनऊ से जुड़ा हुआ है।

शाहजहांपुर जिले की मुख्य विशेषताएं

शाहजहांपुर जिले में उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं और यह जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं फ्लाइट द्वारा व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित जिला है, जिसकी प्रमुख फसलें, गेहूँ, धान (चावल), दाल, गन्ना, मक्का और मूंगफली तथा बागवानी फसलें, आम और अमरूद हैं। शाहजहांपुर जिला उत्तर प्रदेश के प्रमुख धान उत्पादक जिलों में से एक है। बासमती चावल के लिए कृषि निर्यात क्षेत्र के विकास के लिए चुना गया है।

सैन्ट्रल वेअरहाउस, शाहजहांपुर में उपलब्ध सुविधाएं :

- सैन्ट्रल वेअरहाउस, शाहजहांपुर की 45700 मीट्रिक टन क्षमता है ।
- यह वेअरहाउस सन् 1972 में अस्तित्व में आया ।
- यह वेअरहाउस आईएसओ 9001:2015, ईएमएस 14001:2005 एवं ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणन वेअरहाउस है।
- इस वेअरहाउस में पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध है।
- यह वेअरहाउस सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली से युक्त है।
- वेअरहाउस के चारों ओर वाहनों के पर्याप्त आवागमन का स्थान है। इन स्थानों पर राज्य पुलिस विभाग के होमगार्ड हर समय तैनात रहते हैं।
- वेअरहाउस का परिसर पूरी तरह अग्निशमन के अनुरूप है।
- वेअरहाउस में 60 मीट्रिक टन का एक इलैक्ट्रानिक कांटा पूर्ण रूप से चालू है।
- यह वेअरहाउस डब्ल्यू.डी.आर.ए. के तहत पंजीकृत है।
- इस वेअरहाउस से शाहजहांपुर कृषि उत्पाद मंडी समिति की दूरी 0.5 कि.मी. है।
- इस वेअरहाउस में कीट नियंत्रण (पैस्ट कंट्रोल) सेवाएं भी उपलब्ध हैं।
- इस वेअरहाउस से रेलसाइड वेअरहाउस काम्पलेक्स (आर.डब्ल्यू.सी.) की दूरी 3.5 कि.मी. है।
- इस वेअरहाउस में लाइव लेनदेन करने तथा भंडारगृह के सुगमता से प्रचालन हेतु वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यू.एम.एस.) को लागू किया गया है।
- यह वेअरहाउस किसान विस्तार सेवा योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रशिक्षित करता है।

सैन्ट्रल वेअरहाउस - गाजियाबाद–I

सैन्ट्रल वेअरहाउस, गाजियाबाद–I, प्लाट नं0 सी–1 से 5, इंडस्ट्रियल एरिया, बुलंदशहर रोड, गाजियाबाद में स्थित है और एन.एच.–24 से कुल 02 कि.मी. की दूरी पर है।

क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के अधीनस्थ इस वेअरहाउस का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है :

- सैन्ट्रल वेअरहाउस, गाजियाबाद–I, 5.36 एकड़ जमीन पर बना हुआ है।
- सैन्ट्रल वेअरहाउस, गाजियाबाद–I, वर्ष 1981 में अस्तित्व में आया।
- इस वेअरहाउस में 8856 वर्ग मीटर का कवर्ड भंडारण एवं 3062 वर्ग मीटर का खुला (ओपन) भंडारण उपलब्ध है।
- यह वेअरहाउस कृषि उत्पाद मंडी समिति से 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
- वेअरहाउस के चारों ओर वाहनों के पर्याप्त आवागमन का स्थान है। इन स्थानों पर राज्य पुलिस विभाग के होमगार्ड हर समय तैनात रहते हैं।
- इस वेअरहाउस में पर्याप्त श्रमशक्ति उपलब्ध है।
- वेअरहाउस का परिसर पूरी तरह अग्निशमन के अनुरूप है।
- यह वेअरहाउस सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली से युक्त है।
- वेअरहाउस परिसर में सभी सड़कें बिटुमेन की बनी हुई है।
- इस वेअरहाउस में लाइव लेन–देन करने तथा वेअरहाउस के सुगमता से प्रचालन हेतु वेअरहाउस प्रबंधन प्रणाली (डब्ल्यू.एम.एस.) को लागू किया गया है।
- इस वेअरहाउस ने राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण से एफएसएसएआई का लाइसेंस प्राप्त किया हुआ है।

एहसास

रवि शंकर श्रीवास्तव*

वह जमीर भी क्या जमीर था
जो वक्त के साथ बदल गया।।
वह रूप रंग का जोम था
वह ढलती उम्र सा ढल गया।।
वह खार में खिला गुलाब था
जो सुगंध देकर निकल गया।।
वह सबक कितना अजीज था
जो जहन में आके ठहर गया।।

ये चिराग भी कितना रोशन था
जिसे आंधियों ने बुझा दिया।।
वह संगदिली कितनी अजीज थी
न कुछ कहा गया न कुछ सुना गया।।
वह हमसफर जिसकी तलाश थी
वह भी चलते–चलते ठहर गया।।
उस अब्र में ये कैसा सब्र था
न बरस सका न बदल सका।।

*कनिष्ठ अधीक्षक, सैन्ट्रल वेअरहाउस लखनऊ–I।

क्या उपवास स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ?

सुभाष चंद्र लखेड़ा*

उपवास पर कोई सार्थक चर्चा करने से पहले यह बताना जरूरी है कि हम जो आहार ग्रहण करते हैं, वह हमारे लिए क्यों और कितना जरूरी है? दरअसल, हमें सिर्फ कार्य करने के लिए नहीं, जीवित रहने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। हमारे शरीर को यह ऊर्जा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय यानी मेटाबॉलिज़्म से प्राप्त होती है। जरूरत पड़ने पर हमारा शरीर प्रोटीन से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। शरीर को ये सभी पोषाहार हमारे द्वारा प्रतिदिन खाए और पचाए हुए आहार से प्राप्त होते हैं।

सामान्य अवस्था में हमारे शरीर में उतनी ही ऊर्जा बनती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। फलस्वरूप, हम आहार के माध्यम से यदि आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट, और वसा प्राप्त करते हैं तो उसका कुछ भाग हमारे शरीर में आरक्षित रहता है। सत्तर किलोग्राम भार वाले एक स्वस्थ व्यक्ति के यकृत में लगभग 100 ग्राम ग्लाइकोजन, पेशियों में 400 ग्राम ग्लाइकोजन और वसीय ऊतकों में लगभग 12 किलोग्राम वसा आरक्षित रहती है। जब खून में ग्लूकोज का स्तर कम होने लगता है तो सर्वप्रथम यकृत में आरक्षित ग्लाइकोजन ही अपघटित ग्लूकोज में तब्दील होता है और खून में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है।

बहरहाल, यदि कोई व्यक्ति किसी निश्चित समयावधि के दौरान भूख महसूस करने के बावजूद जल के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की खाद्य वस्तु स्वेच्छा से ग्रहण नहीं करता है तो उसके इस कार्य को उपवास कहा जाता है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि उपवास रखना तथा आहार उपलब्ध न होने पर भूखा रहना, इन दोनों स्थितियों में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत अधिक भिन्नता है। उपवास रखने वाला व्यक्ति आहार ग्रहण न करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है जबकि आहार न मिलने के कारण भूखा रहने वाला व्यक्ति मानसिक दृष्टि से खिन्न और चिंतित रहता है और आहार उपलब्ध होते ही उसे तत्काल ग्रहण करने का प्रयास करता है।

स्वेच्छा से कुछ समयावधि के लिए आहार ग्रहण न करना यानी उपवास रखने का प्रचलन हमारे देश में हजारों वर्षों से है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग उपवास को मानसिक और शारीरिक शुद्धि का अचूक उपाय मानते हैं। अधिकांश चिकित्सा पद्धतियों में कुछ रोगों के उपचार में सदियों से उपवास का उपयोग होता चला आ रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा में विश्वास रखने वाले लोग बीमार शरीर को फिर से समस्थिति में लाने के लिए उपवास को अत्यधिक लाभदायक उपाय मानते हैं। पश्चिमी देशों में आज से कई दशक पूर्व मोटापे के उपचार के लिए उपवास का उपयोग बहुत जोर–शोर से किया जाने लगा था।

सामान्यतयः लोग एक दिन से लेकर सात दिन तक का उपवास रखते हैं। कुछ व्यक्ति धार्मिक वजहों से 28 दिन तक उपवास रखते हैं। दीर्घावधि के उपवास रखने वाले कुछ लोग सात दिनों का उपवास रखते हैं। वे इस अवधि के दौरान शुद्ध जल के अलावा कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं। वास्तव में जैविक दृष्टि से मानव शरीर अपने भीतर आरक्षित ऊर्जा स्रोतों की वजह से लंबी समयावधि के आंशिक अथवा पूर्ण उपवास को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि प्राचीन काल में एक या दो महीने का उपवास रखना कोई दुष्कर कार्य नहीं समझा जाता था।

प्रचलित धारणाओं और विश्वासों के अनुसार हम उपवास के माध्यम से अपने शरीर में जमा हुए हानिकारक पदार्थों से मुक्ति पा सकते हैं। उपवास के दौरान पाचन संबंधी अंगों को आराम मिलता है जबकि शरीर को त्याज्य पदार्थों से मुक्त करने वाले अंग यकृत, गुर्दे, फेफड़े और त्वचा आदि शरीर के आतंरिक वातावरण को फिर से

*सी – 180, सिद्धार्थ कुंज, सेक्टर–7, प्लाट नंबर–17, द्वारका, नई दिल्ली–110075

समस्थिति में लाने के लिए सक्रिय बने रहते हैं। एक प्रसिद्ध विचारक के अनुसार उपवास द्वारा अवचेतन मन को बुरे विचारों से मुक्त करके अच्छे विचारों से भरा जा सकता है। फलस्वरूप, नियम/पूर्वक उपवास करने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से सदैव निरोग बने रहते हैं। कई धर्मों में उपवास को ईश्वर को प्रसन्न करने और उस तक पहुंचने का उपाय भी माना गया है।

बहरहाल, जहां तक उपवास को विज्ञान की कसौटी पर परखने का सवाल है, इस संबंध में सीमित वैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं। हाँ, भूखे व्यक्तियों पर बहुत से वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं। ऐसे सभी अध्ययनों से पता चलता है कि रात्रि में सोने के बाद यदि प्रातः काल से उपवास किया जाए तो धीरे–धीरे आंत में आहार से प्राप्त कोई भी सामग्री अवशोषण हेतु शेष नहीं रहती है। ऐसा होने के बावजूद भी यदि आहार ग्रहण न किया जाए तो शारीरिक रक्त में ग्लूकोज का स्तर गिरने लगता है और संबंधित व्यक्ति को भूख महसूस होने लगती है। आराम के दौरान इस अवस्था में पहुंचने पर ग्लूकोज का उपयोग मुख्य रूप से मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। उपवास की समयावधि बढ़ने के दौरान कंकाल पेशियां ग्लूकोज के बजाए वसा ऊतकों से प्राप्त वसीय अम्लों का उपयोग करने लगती हैं। इस अवस्था में धीरे–धीरे खून में इंसुलिन नामक हॉर्मोन का स्तर कम होने लगता है। प्रारंभ में यकृत अपने ग्लाइकोजन भंडार से ग्लूकोज की पूर्ति करता है। इस भंडार के चुकने से पहले ही यकृत वसा और अमीनो अम्लों से ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। इस क्रिया को' 'ग्लूकोनियोजेनिसिस' कहते हैं। चौबीस घंटे के उपवास के पश्चात् यकृत मुख्य रूप से इस क्रिया के द्वारा ही ग्लूकोज का निर्माण करता है। जब तक शरीर में वसा शेष रहती है, ऊर्जा स्रोत के रूप में शारीरिक प्रोटीनों का उपयोग अपेक्षाकृत धीमी गति से होता है। जब उपवास करने वाले व्यक्ति के शरीर में आरक्षित वसा लगभग समाप्त होने लगती है तो उसके शारीरिक अंगों की प्रोटीन तेजी से अपघटित होने लगती है और वह धीरे–धीरे मौत की तरफ बढ़ने लगता है।

जहां तक उपवास के कारण शारीरिक भार में आने वाली कमी का सवाल है, वैज्ञानिक अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि उपवास के प्रथम दस दिनों में शारीरिक भार में औसतन आठ सौ ग्राम से लेकर एक किलोग्राम प्रतिदिन की दर से भार हानि होती है। इसके बाद यह दो – तीन सौ ग्राम प्रतिदिन की दर से कम होता है। वैसे भार हानि की दर इस तथ्य पर निर्भर करती है कि व्यक्ति का प्रारंभिक भार और स्वास्थ्य कैसा था। उपवास के दौरान संबंधित व्यक्ति की ऊर्जा आवश्यकताओं से भी गिरावट आती है। उसके खून में ऐसे हार्मोनों का स्तर गिर जाता है जो चयापचय (मेटाबॉलिज्म) की दर को बढ़ाते हैं। साथ ही उसके विभिन्न अंगों की ऊर्जा आवश्यकताओं में गिरावट आ जाती है।

बीसवीं सदी के अंतिम दशक में गुजरात में एक से लेकर चार सप्ताह तक का उपवास करने वाले जैन समुदाय के लोगों का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ कि उपवास के दौरान सांस लेने–छोड़ने की रफ्तार बढ़ जाती है जबकि रक्तदाब और हृदय गति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। जिन व्यक्तियों पर यह अध्ययन किया गया था, वे सभी उपवास के दौरान सिर्फ ठंडा किया हुआ उबला पानी पीते रहे।

अब तक किए गए शोध कार्यों से यह भी ज्ञात हुआ है कि अल्पकालिक उपवास रुधिर वाहिकाओं में वसा के जमाव को रोकता है और दिल की बीमारियों से बचाने में सहायक हो सकता है। चार दिनों तक स्वेच्छा से किए उपवास के शारीरिक और मानसिक प्रभावों की सर्वाधिक प्रमाणिक जानकारी स्वीडिश अमेरिकन शरीर क्रिया विज्ञानी आंतोन जुलियस कार्लसन की पुस्तक 'द कंट्रोल ऑफ हंगर इन हैल्थ एंड डिसीज' में दी गई है। इस जानकारी के अनुसार उपवास के प्रथम तीन दिनों तक भूख की अनुभूति बनी रहती है। तत्पश्चात यह क्षीण होने लगती है और उपवास करने वाले व्यक्ति में आहार के प्रति अरुचि पैदा होने लगती है। उपवास के चौथे दिन व्यक्ति को मानसिक तनाव और शारीरिक कमजोरी महसूस होने लगती है। ऐसी स्थिति में यदि उपवास करने वाला व्यक्ति भोजन ग्रहण करना शुरू कर देता है तो यह कमजोरी दो – तीन दिन में दूर हो जाती है और व्यक्ति विशेष अपने को पहले से कहीं

अधिक स्फूर्त और ऊर्जावान महसूस करता है। जिन वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से चार दिन तक उपवास किया था, उनके अनुसार उन्हें बाद में ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी पर्वतीय स्थान पर एक माह तक विश्राम और मनोरंजन करके लौटे हों। अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अल्पकालिक उपवास मानसिक और शारीरिक दृष्टि से लाभकारी है।

बहरहाल, उपवास के संबंध में यह वैज्ञानिकों की एकमत राय है कि लंबे समय के उपवास चिकित्सकों की देखरेख में किए जाने चाहिए। उपवास के दौरान शारीरिक परिश्रम से बचना चाहिए और जब उपवास तोड़ा जाए तो प्रारंभ में ऐसी सभी आहार सामग्रियों से बचना चाहिए जो पाचन तंत्र पर अधिक बोझ डालती हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों में उपवास से होने वाले लाभ संक्षेप में इस प्रकार से हैं:

- उपवास टाइप 2 मधुमेह में लाभदायक पाया गया है। यह ऐसे रोगियों में इन्सुलिन प्रतिरोध को क्षीण करता है। फलस्वरूप, ऐसे रोगियों की इन्सुलिन संवेदनशीलता में वृद्धि होने लगती है और उनका शरीर खून में मौजूद ग्लूकोज का उपयोग बेहतर तरीके से करने लगता है। बहरहाल, टाइप 2 मधुमेह के रोगियों को केवल अल्पावधि के लिए उपवास करना चाहिए। साथ ही उन्हें इस संबंध में अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए।
- उपवास सूजन से जुड़े रोगों से बचाव करने में मददगार है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी इससे लाभ हो सकता है।
- उपवास उच्च रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के स्तर को कम करता है। फलस्वरूप, वैज्ञानिक तरीके से उपवास करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के खतरे में कमी आती है।
- जानवरों पर किए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि बारह घंटे से लेकर चौबीस घंटे तक का उपवास तंत्रिका संबंधी विकारों से बचाव करता है। यह पार्किंसन और अल्जाइमर रोग होने की संभावना को कम करता है।
- यह चयापचय में वृद्धि करता है और शरीर में वसा की मात्रा को कम करके शारीरिक भार को कम करने में मदद करता है।
- सप्ताह में एक बार अथवा तीन दिन की अंतराल पर दो बार उपवास करने से संबंधित व्यक्ति के शरीर में ग्रोथ हॉर्मोन के स्राव में वृद्धि होती है। यह हार्मोन शारीरिक वृद्धि, चयापचय, मोटापा रोकने और पेशियों की शक्ति में वृद्धि में मदद करता है।
- चूहों, खरगोशों और अन्य दूसरे प्रायोगिक प्राणियों पर किए अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि उपवास शरीर को स्फूर्त बनाए रखता है और जीवन की अवधि को बढ़ाता है।
- प्रायोगिक प्राणियों पर किए गए अध्ययनों से ऐसे संकेत भी मिले हैं कि उपवास कैंसर के फैलाव को रोकता है और कीमोथेरपी के प्रभाव में वृद्धि करता है।

बहरहाल, उपवास के अनेकानेक वर्णित संभावित लाभों के बावजूद यह सभी के लिए सही हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए यह खतरनाक भी हो सकता है। यदि आप दीर्घकालिक यानी 24 घंटे या इससे अधिक समय तक का उपवास करना चाहते हैं तो चिकित्सक से परामर्श करना बेहद जरूरी है। बुजुर्गों, किशोरों और सामान्य से कम शारीरिक वजन वाले लोगों को भी अपने डॉक्टर की देख रेख में उपवास करना चाहिए। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो उपवास के दौरान अपने शरीर में जल की कमी न होने दें। सामान्य उपवास के बाद उच्च ऊर्जाधारी खाद्य सामग्री ग्रहण करें। उपवास के दौरान शारीरिक व्यायाम और दूसरे कठिन शारीरिक कार्यों से दूर रहें। दीर्घकालिक उपवास के दौरान चिकित्सा पर्यवेक्षण बेहद जरूरी है अन्यथा यह व्यक्ति विशेष के लिए नुकसानदेह और जानलेवा साबित हो सकता है।

वृक्षारोपण का महत्व

धर्मेन्द्र कुमार*

वृक्षारोपण मूल रूप से पौधों को पेड़ का रूप देने की प्रक्रिया है। वृक्षारोपण से तात्पर्य वृक्षों के विकास के लिए पौधे लगाना और हरियाली फैलाना है। वृक्षारोपण का उद्देश्य वनों को बढ़ावा देना, भू–निर्माण और जल–संरक्षण है। नींबू, नीम, तुलसी, आंवला जैसे वृक्ष चिकित्सा के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। इनकी छाल व पत्तों से अनेक प्रकार की जीवनोपयोगी दवाइयाँ बनती हैं और इनके सेवन से शारीरिक रोग नष्ट होते हैं। बचपन में लकड़ी के पालने में झूलना, बुढ़ापे में उसका सहारा लेकर चलना और जीवन लीला की समाप्ति पर इन्हीं लकड़ियों पर सोना मनुष्य की अन्तिम परिणीति है।

कुदरत करे बस यही गुहार।
पेड़ों को न काटो बार–बार।।

जीवन का आधार है वृक्ष :

वृक्ष स्वयं धूप में रहकर हमें छाया देते हैं। जब तक हरे–भरे रहते हैं, तब तक हमें फल, सब्जियां देते हैं और

सूखने पर ईंधन के लिए लकड़ी देते हैं। वृक्ष कार्बन डाईआक्साइड लेते हैं और मानव को जीवन प्रदान करने वाला ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके बिना मानव जाति का अस्तित्व असंभव है। कार्बन डाईआक्साइड लेने के अलावा वृक्ष सल्फर डाईआक्साइड और कार्बन मोनोआक्साइड सहित कई हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं और वातावरण से हानिकारक प्रदूषण को भी फिल्टर करते हैं, जिससे हमें सांस लेने के लिए ताजा और साफ–सुथरी हवा मिलती है। वाहनों और कारखानों द्वारा उत्सर्जित धुएं के कारण वायु प्रदूषण की बढ़ती मात्रा को केवल वृक्ष लगाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है, इसलिए–

पेड़–पौधे लगाओ, पर्यावरण को बचाओ।।

विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर वृक्षारोपण का महत्वः

विद्यालयों और महाविद्यालयों के साथ–साथ कुछ गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से छात्रों में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण के लिए जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है। सैद्धांतिक ज्ञान की तुलना में व्यावहारिक अनुभव हमेशा अधिक प्रभावशाली होता है। इसके अलावा यदि देश में हर स्कूल और कालेज का प्रत्येक छात्र हर महीने वृक्षारोपण अभियान में हिस्सा लेता है तो हम कई वृक्ष लगाने में सफल होंगे। विद्यालयों, ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं में इससे संबंधित कार्यक्रमों के आयोजन से उन्हें वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

जो देता पेड़ों को पानी वही व्यक्ति
है सच्चा ज्ञानी।।

वृक्ष पक्षी और जंगली जीवन के लिए है वरदान :

पक्षियों के साथ–साथ कई जानवरों के लिए भी पेड़ आवास के रूप में सहायता करते हैं। यह वह जगह है, जहां वे रहते हैं। वनों की कटाई ने पक्षियों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर अग्रसर किया है और कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गई हैं और कई विलुप्त होने की कगार पर हैं। अगर हम जानवरों और पक्षियों के भोजन के स्रोतों को छीन लेते हैं और उनके निवास स्थान को बर्बाद कर देते हैं तो उनके विलुप्त होने का खतरा बढ़ना स्वाभाविक है,

मत काटो इन पेड़ों को इनमें होती है जान।
बिन पेड़ हो जाएगा हमारा जीवन सुनसान।।

*सहायक प्रबंधक (आ.ले.प.), क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

भूदृश्य के लिए वृक्षारोपण का महत्व :

वृक्षारोपण परिवेश को सुशोभित करने का सर्वोत्तम व आसान तरीका है। पेड़ अक्सर सड़क के किनारे, सोसाइटियों में, पार्कों सहित भू–निर्माण के प्रयोजन के लिए शहर में अन्य स्थानों पर लगाए जाते हैं। इससे न केवल जगह सुंदर दिखती है बल्कि गर्मी को कम करने में भी मदद मिलती है। दूरदर्शन, समाचार–पत्रों और सड़क के किनारें बड़े होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा इसका प्रचार किया जा सकता है–

धरती माता करे पुकार,
कम हो बच्चे पेड़ हों हजार।।

वन हमारे मित्र हैं :

वृक्षों के बिना धरती कैसी होगी, यह हम किसी मरुस्थलीय प्रदेश के दर्शन करके सहज ही समझ सकते हैं। वृक्ष हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक हैं। गर्मी की तपती दोपहर में वृक्षों की शीतल छाया का सुख तो वृक्षों से ही प्राप्त हो सकता है। वृक्षों से वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मदद मिलती है। वनों से मानसून का चक्र भी संयमित होता है तथा मृदा के क्षरण पर भी रोक लगती है और जल–संरक्षण भी संभव होता है। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रदान करने वाला वृक्ष है, इसलिए वृक्षों को काटना स्वयं का जीवन नष्ट करने जैसा है–

पर्यावरण की करोगे रक्षा, धरती की होगी सुरक्षा।

भोजन का मुख्य स्रोत हैं :

पेड़–पौधों से हमें फल, सब्जियाँ, अन्न आदि मिलते हैं, जो हमारे भोजन के प्रमुख अंग हैं। न सिर्फ मानव जाति बल्कि पशु–पक्षी भी पेड़–पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।

जल का संरक्षण करते हैं :

पेड़ अपनी छाया के द्वारा जमीन से जल वाष्पीकरण कम करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जिससे जल–संरक्षण (Water conservation) होता है। इसके साथ ही जल का शुद्धिकरण भी होता है। पेड़ जल–संरक्षण में तो सहायक हैं ही, साथ ही तेज तूफान एवं बाढ़ की स्थिति में मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, जिससे मिट्टी के उपजाऊ तत्व बहने से बच जाते हैं, और बाढ़ से बचाव भी होता है।

अच्छी बारिश का प्रमुख कारण हैं :

जिस क्षेत्र में पेड़ पौधों की बहुतायत होती है, वहां अच्छी बारिश होती है, जिससे अच्छी फसल होती है। किसानों को उपज का ज्यादा मूल्य मिलता है। बाजार में पैसा ज्यादा आता है। सूखे से बचाव होकर अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, इसलिए हमें पेड़ काटने में शामिल होने के बजाय पुराने पेड़ों के संरक्षण तथा नये पेड़ लगाने में हमेशा अपना अमूल्य योगदान देना चाहिए, क्योंकि–

चारों तरफ बढ़ाओ जागरूकता,
पर्यावरण है आज की आवश्यकता।।

आयुर्वेद चिकित्सा के आधार स्तम्भ हैं :

आयुर्वेद भारतीय सभ्यता की सदियों पुरानी परम्परा है और जड़ी–बूटियां तथा पेड़–पौधे आयुर्वेद चिकित्सा के आधार स्तम्भ हैं। आयुर्वेद की सभी दवाओं में जड़ी–बूटियों (Herbs) की प्रधानता रहती है। आँवला, हरड़, बहेड़ा, ऐलोवेरा, नीम, जामुन जैसी प्रसिद्ध औषधियां पेड़–पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं।

अर्थव्यवस्था का साधन हैं :

पेड़ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रमुख साधन भी हैं। पेड़–पौधों से फल, सब्जी, अन्न, ईंधन, औषधि तथा अन्य तमाम चीजें मिलती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है और मानव जाति को रोजगार मिलता है। पेड़ लकड़ी, रबड़ आदि जैसा कच्चा माल प्रदान करते हैं, जिससे फर्नीचर, बर्तन, कागज, सजावटी वस्तुओं और ऐसी ही न जाने कितनी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है।

निष्कर्ष: हम कह सकते हैं कि पेड़ जड़ से लेकर शिखा तक हमारे लिए महत्वपूर्ण, लाभकारी और जीवनदायी है। अपना और आने वाली पीढ़ी का जीवन बचाने के लिए वृक्षारोपण करना प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। वृक्षारोपण के इतने अधिक लाभ होने के बावजूद हम अभी भी उसके महत्व को अनदेखा कर रहे हैं। लेकिन अब यह परिस्थिति है कि हम इस बात को महसूस करें, समझें और दूसरों को भी समझाएं कि पेड़ हमारे पर्यावरण के साथ–साथ हमारे सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। हममें से हर एक व्यक्ति को वृक्ष लगाना अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ताकि हम पृथ्वी को अपने जीवित रहने के लिए बेहतर स्थान बना सकें।

पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ।

कौए को उल्लू कैसे बनाएँ?

रोहित उपाध्याय*

शीर्षक पढ़ कर चौंकिए मत। न तो मैं कोई जादूगर हूँ और न ही आपको कोई जादू सिखाने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से आप एक पक्षी को दूसरे पक्षी में बदलने में सफल हो जाएंगें। यहाँ उल्लू बनाने से तात्पर्य कौए को बेवकूफ बनाने से है। आज तक मैं भी कौए को बहुत चालाक और चतुर पक्षी समझता था। आप में से भी बहुत से लोग शायद ऐसा ही समझते होंगे। इसमें न तो आपकी गलती है और न ही मेरी। बचपन से ही हमें यही पढ़ाया और सिखाया गया है कि कौआ एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर पक्षी है। कौए के घड़े में कंकड़ डालकर पानी पीने की कहानी सुनते–सुनाते न जाने कितनी पीढ़ियाँ बीत गईं। इस कथा को हमने अपने जीवन में इस तरह से आत्मसात् कर लिया है कि हमें कौए की चालाकी पर यकीन हो गया है। कौआ जहाँ अपने कर्कश स्वर के लिए बदनाम है, वहीं कोयल अपनी मधुर वाणी के लिए। बचपन में अनेक कविताएं पढ़ी और अपने बड़े बुजुर्गों से भी सीखने को मिला कि हमें भी कोयल जैसा मीठा बोलना चाहिए।

प्रख्यात कवयित्री स्व. महादेवी वर्मा ने भी लिखा है :

डाल हिलाकर आम बुलाता
तब कोयल आती है।
नहीं चाहिए इसको तबला,
नहीं चाहिए हारमोनियम,
छिप–छिपकर पत्तों में यह तो
गीत नया गाती है।

इसी तरह से स्व. सुभद्रा कुमारी चौहान जो अपनी 'झाँसी की रानी' कविता के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, ने भी कोयल पर एक बाल कविता लिखी है। वे कहती हैं:

देखो कोयल काली है पर
मीठी है इसकी बोली
इसने ही तो कूक–कूक कर
आमों में मिश्री घोली
कोयल सच–सच बतलाना
क्या संदेसा लायी हो?
बहुत दिनों के बाद आज फिर
इस डाली पर आई हो

क्या गाती हो किसे बुलाती
बतला दो कोयल रानी
प्यासी धरती देख मांगती
हो क्या मेघों से पानी?

कोयल यह मिठास क्या तुमने
अपनी माँ से पायी है?
माँ ने ही क्या तुमको मीठी
बोली यह सिखलायी है?

डाल–डाल पर उड़ना गाना
जिसने तुम्हें सिखाया है
सबसे मीठे–मीठे बोलो
यह भी तुम्हें बताया है

बहुत भली हो तुमने माँ की
बात सदा ही है मानी
इसीलिये तो तुम कहलाती
हो सब चिड़ियों की रानी

इसी तरह से हिन्दी फिल्म 'बेटा' का एक गीत, जिसमें नायक गाना गाता है 'कोयल–सी तेरी बोली कु कु कु कु' भी बेहद हिट हुआ था। इस तरह की कविताओं और गानों ने हर किसी के मन में कोयल की वाणी के प्रति एक सम्मान पैदा किया है।

वर्ष, 2020 का स्वागत पूरे विश्व ने हर नव वर्ष की तरह ही किया था। हर किसी ने कुछ नया करने की ठानी थी लेकिन ये वर्ष अपने साथ इतनी बड़ी आपदा लेकर आएगा, शायद ही किसी ने कल्पना की होगी?

*प्रबंधक, सीएफएस– मुंद्रा, क्षेत्रीय कार्यालय–अहमदाबाद

वर्ष 2020 ने हर किसी की तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ बदलाव किए। नए साल के पहले सप्ताह में ही मुंबई, क्षेत्रीय कार्यालय, से सीएफएस– मुंद्रा (गुजरात) के लिए स्थानांतरण आदेश मिल गया। आदेश मिलते ही जोर का झटका जोर से ही लगा। मेरे जिन सहकर्मियों ने कभी मुंद्रा में 8–10 वर्ष पहले काम किया था, अपनी तरफ से डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि मुंद्रा एक छोटा–सा गाँव है, जहाँ कोई भी सुख–सुविधा नहीं है। निगमित कार्यालय के आदेश का पालन तो करना ही था। जनवरी माह के उत्तरार्ध में मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने भी कार्यालय के प्रभार से मुक्त कर दिया और फरवरी के पहले सप्ताह में बोरिया–बिस्तर लेकर पहुँच गया भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह–मुंद्रा।

अब असली कहानी शुरू होती है मुंद्रा पहुँचने के बाद 3 फरवरी, 2020 को मैं मुंद्रा पहुंचा और 24 मार्च, 2020 से भारत सरकार ने कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी कि अब सब लोग आपदा में अवसर तलाश करें। सोचा कि प्रधानमंत्री जी को ही गुरु मानकर आपदा में कुछ अवसर ढूंढ लिए जाएँ। एक बार जो फरवरी, 2020 में मुंद्रा आया तो फिर दस महीने बाद नवंबर, 2020 में ही परिवार से मिलने का मौका मिल पाया। जिंदगी की आपा–धापी में पता ही नहीं चला कि न जाने कब बचपन खेल–कूद में बीत गया तथा किशोरावस्था और युवावस्था पढ़ाई में। जवानी घर–गृहस्थी और ऑफिस का काम संभालने में। नौकरी लगने के बाद कुछ ऐसा व्यस्त हुआ कि लगा कि सम्पूर्ण निगम का दारोमदार जैसे मेरे ही मजबूत कंधों पर है। रात को सपने में भी कार्यालय का काम ही दिखाई देता था। कभी–कभी तो लगता था एक रोबोट बन गया हूँ जो सुबह से शाम तक यंत्रवत काम किए जा रहा हो ।

मुंद्रा पहुंचा तो घर–बार और कार्यालय की आपा–धापी सब पीछे छूट गई। न सुबह और शाम की भागदौड़ और न ही कार्यालय में काम का इतना बोझ। यहाँ आकर लगा कि मैं भी कितना मूर्ख था जो सोचता था कि यदि मैं कार्यालय नहीं जाऊंगा तो काम रुक जाएगा। मेरे मुंद्रा आ जाने से मेरी पत्नी, बच्चे और शायद पूरा क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई भी आत्मनिर्भर बन गया था।

संभवतः मेरे लिए यही सही वक्त था आपदा में अवसर ढूंढने का। जहाँ मुंबई में जिंदगी अपनी पूरी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, यहाँ मुंद्रा में जिंदगी की रफ्तार उतनी ही धीमी हो गई। मुंबई की ऊँची–ऊँची इमारतों का स्थान भी छोटे–छोटे घरों ने ले लिया। मुंद्रा गुजरात के कच्छ जिले का छोटा–सा कस्बा है और भूकंप की उच्च संभावना वाले क्षेत्र में आता है। भूकंप की आशंका के चलते दो मंजिल से ऊंचे घर बनाने की अनुमति नहीं है। 26 जनवरी, 2001 को इस क्षेत्र में भूकंप से काफी तबाही हुई थी। यहाँ आने के बाद से भूकंप के बहुत से छोटे–छोटे झटकों को मैं भी महसूस कर चुका हूँ।

अधिक ऊंचे घर न होने से एक लाभ यह भी है कि आप छत से चारों दिशाओं का दृश्यावलोकन कर सकते हैं। मुंबई में न तो कभी घर पर सिर उठाने का मौका मिला और न ही कार्यालय में। अब यहाँ मेरा एकछत्र साम्राज्य था, घर और कार्यालय दोनों जगह मैं ही बॉस। एक बार जो सिर उठाकर देखना शुरू किया तो आसमान के तारे, पंछी और प्रकृति सबका आनंद लेने लगा। मुंबई में घर से न तो कभी सूर्योदय देखा था, न सूर्यास्त। अब मैं पहुँच गया था भारत के सुदूर पश्चिम में, जहां गर्मियों में सूर्योदय होता है लगभग सुबह साढ़े छह बजे के आसपास और सूर्यास्त रात पौने आठ बजे। यहाँ से मुंबई से ज्यादा निकट कराची है। मौसम भी मुंबई जैसा नमी वाला और अधिक वर्षा वाला नहीं है, जमीन रेतीली है। नीम, खजूर, नारियल, बबूल और आम के पेड़ ही दिखाई देते हैं। हालांकि इस साल मुंबई जैसी ही बारिश यहाँ भी देखने को मिली। स्थानीय लोगों से पता चला कि इतनी अधिक बरसात 30–40 वर्ष में पहली बार हुई है। मुंद्रा में कार्यालय जाने से पहले और आने के बाद मेरी सुबह और शाम अक्सर घर की छत पर ही बीतने लगी। छत पर घूमने लगा तो मुझे कई नए अनुभव हुए जिनसे मैं आज तक वंचित था।

मेरे किराए पर लिए गए घर के सामने ही एक वकील साहब का घर है। गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए वह रोज सुबह मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रख देते हैं। जब कभी उस बर्तन में पानी कम रहता था तो मैं इंतजार करता था कि शायद कोई कौआ आएगा और पानी में कंकड़ डालेगा। लेकिन आज एक बरस से अधिक समय बीत जाने पर भी

किसी कौए को पानी में कंकड़ डालकर पानी को ऊपर लाते हुए मैंने नहीं देखा।

एक दिन एक चितकबरा–सा पक्षी दिखाई दिया तो मुझे लगा कि शायद मैंने किसी नए पक्षी की खोज कर ली है। पक्षी आया और उड़ गया लेकिन मैं उसकी फोटो नहीं खींच पाया। फिर रोज सुबह उसी पक्षी का इंतजार रहने लगा। बहुत दिन के इंतजार के बाद फोटो खींचने में कामयाब हो गया। फिर गूगल पर सर्च किया तो पता चला कि यह तो मादा कोयल है। यह मेरे लिए एक नया अनुभव था क्योंकि आज तक तो मैं यही समझता था कि कोयल का रंग काला ही होता है। फिर शुरू हुई मेरी कोयल पर रिसर्च। कोयल के बारे में कई रोचक तथ्य जानने को मिले। नर एवं मादा कोयल के अनेक फोटो खींचे और वीडियो भी बनाए।

कोयल के बारे में पढ़ा तो और भी बहुत–सी नई जानकारियां मिलीं जो मैं मुंबई में शायद ही कभी जान पाता। मेरी जानकारी बेहद सीमित थी। केवल यह जानता था कि कोयल काले रंग की होती है, जब आम पर बौर आता है तो कुहू–कुहू करती है और कौवे के घोसलें में अंडा देती है। बेचारा तथाकथित बुद्धिमान कौवा इन अंडों को अपना समझकर सेता है। अब इसे कौवों की भलमनसाहत कही जाए या बेवकूफी कि इन अंडों से बच्चा निकलने पर वे इन बच्चों को अपना समझकर पालते हैं और फिर यही बच्चे बड़े होकर, फिर से इन कौओं को बेवकूफ बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यह अनुभव किया कि जो कोयल अपनी मीठी बोली के लिए प्रसिद्ध है, वह मीठी बोली नर कोयल की है जो वह मादा को आकर्षित करने के लिए निकालता है। मादा कोयल की आवाज तो कहीं से भी मधुर नहीं होती है। स्वर–कोकिला लता मंगेशकर को ये उपाधि देने वालों को भी शायद यही भ्रांति रही होगी कि हर कोयल की आवाज मधुर ही होती है। फिर उनके समय में इंटरनेट भी नहीं था जिस पर वे खोज पाते कि कुहू–कुहू का मधुर स्वर नर कोयल का है और मादा कोयल न तो काली होती है और न ही मधुर स्वर में गाने वाली।

अक्सर हमें सीख दी जाती है कि किसी की मीठी जुबान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बात नर कोयल पर बिल्कुल सही साबित होती है। इसकी मीठी आवाज पर न जाने कितनी कविताएं, कहानियाँ एवं गीत लिखे गए हैं। इस मीठी जुबान का नुकसान होता है, बेचारे कौवे को।

कई बार मुझे नर और मादा कोयल एक साथ भी बैठे दिखाई दिए। कई बार देखा कि एक पक्षी मादा कोयल के सिर पर बार–बार आकर चोंच मार रहा है। पक्षी का सर थोड़ा सा काला था मानो एक टोपी लगा रखी हो। मैंने इस पक्षी को भी कभी नहीं देखा था। मुझे लगा कि शायद यह पक्षियों की 'एंटी रोमियो पुलिस' है जो कोयल के जोड़े को सामाजिक स्थान पर एक साथ बैठने न दे रही हो । जब इस पक्षी के बारे में इंटरनेट पर ढूँढा तो पता चला कि यह बुलबुल है। जानकारी जुटाने पर पता चला कि कोयल न सिर्फ कौवे के, बल्कि बुलबुल के घोंसले में भी अंडे देती है। यह मेरे लिए बिल्कुल एक नई जानकारी थी। अब मुझे समझ आने लगा था कि बुलबुल ने कोयल को चोंच क्यों मारी थी। फिर बाद में अनेक बार यह दृश्य देखा लेकिन कभी किसी कौवे को कोयल को चोंच मारते हुए नहीं देखा।

आइए जानते है कोयल के बारे में मेरे द्वारा इंटरनेट से जुटाए गए कुछ दिलचस्प तथ्य जिनसे मैं भी अब तक अनभिज्ञ था:

- कोयल अंटार्कटिका के अलावा विश्व के लगभग सभी स्थानों पर पाया जाने वाला पक्षी है।
- कोयल की लगभग 135 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से 21 भारत में मिलती हैं।
- कोयल जमीन पर नाममात्र के लिए ही उतरती है और अधिकांश समय पेड़ पर ही रहती है।
- कोयल सर्वाहारी पक्षी है और कंद–मूल के अलावा कीड़े मकौड़े भी खाती है।
- सबसे छोटी कोयल की प्रजाति लिटिल ब्रान्ज कुक्कू है, जिसकी लंबाई मात्र 6 इंच और वजन लगभग 17 ग्राम होता है।
- सबसे बड़ी कोयल की प्रजाति चोनल बिल्ड कुक्कू है, जिसकी लंबाई 25 इंच और वजन 650 ग्राम होता है।
- कोयल झारखंड का राजकीय पक्षी है।

देखने में सीधे–साधे और मधुर आवाज वाले कोयल प्रजाति के पक्षी बहुत चालाक होते हैं। कोयल न तो कभी अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चों को पालने का काम स्वयं करती है। इसके लिए वे केवल कौवों का ही नहीं बल्कि अपने से छोटे आकार के तमाम पक्षियों जैसी रीड वार्बलर और अन्य पक्षियों के घोंसलों का भी इस्तेमाल करने में नहीं चूकती। कोयल प्रजाति के इस गुण को नीड़ परजीविता कहते हैं। नीड़ परजीविता का अर्थ है अपने बच्चों की देखभाल स्वयं न करके दूसरे से करवाना।

कोयल पक्षियों में नीड़ परजीविता तथा इसमें और इसके बच्चों में चालाकी और बर्बरता जैसी सहज प्रवृत्तियां जैव विकास के दौरान क्यों और कैसे विकसित हुईं, यह अभी भी वैज्ञानिक खोज का विषय है। यह सभी गुण इस जाति के संरक्षण की वजह से भी हो सकते हैं या यह गुण अनुवांशिक भी हो सकता है।

मादा कोयल की तुलना में नर कोयल अधिक खूबसूरत आकर्षक, चमकदार तथा काले रंग की होती है। इनकी आंखें सुंदर लाल रंग की होती हैं। इनकी आवाज काफी कर्णप्रिय सुरीली और मधुर होती है। अपनी मधुर आवाज से मादा कोयल को ये प्रणय के लिए आकर्षित करते हैं। मादा कोयल देखने में कम आकर्षक, धब्बेदार तथा चितकबरी होती है। मादा कोयल की आवाज कर्कश होती है।

मई–जून में कोयल का प्रजनन काल होता है। इस समय नर और मादा कोयल अन्य पक्षियों जैसे कौआ, बुलबुल या रीड वॉर्बलर के घोंसलों को ढूंढते हैं, जिनमें पहले से उन पक्षियों के अंडे हों। जब मादा कौआ अपने अंडे सेती है, तब नर कोयल कौवे पर बार–बार हमला करके उसे डरा–धमका कर अपना घोंसला छोड़ने पर विवश कर देता है और इसी समय कौवे के घोंसले के आसपास छिपी मादा कोयल बहुत चालाकी से अपने एक अंडे को मुंह में दबाए हुए आती है और कौवे के घोसले में अपने अंडे को रख देती है। इस प्रक्रिया में कोयल के अंडे फूट न जाएं, इस कारण इसके अंडों की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने इसके ऊपर के खोल को अन्य पक्षियों के अंडों की अपेक्षा अधिक मजबूत बनाया है। यह भी देखा गया है कि कौवे के घोंसले में अपने एक अंडा रखने के बाद मादा कोयल बहुत चालाकी से कौवे के एक अंडे को अपनी चोंच में दबाकर दूर फेंक आती है। मादा कौवा अपने और कोयल के अंडे में अंतर पहचान नहीं पाती है। इसके बाद मादा कोयल इस घोंसले की तरफ कभी देखने भी नहीं आती है। इसी तरह की चालाकी दिखाते हुए अपने अन्य अंडों को भी मादा कोयल अन्य पक्षियों के घोंसले में रख आती है।

अनजान कौवे न केवल कोयल के अंडे को अपना अंडा समझ कर सेते हैं, बल्कि अंडे से निकले कोयल के बच्चों को अपना मानकर पालन–पोषण भी करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कोयल के अंडे से बच्चे कौवे या रीड वार्बलर पक्षी के अंडों से पहले निकल आते हैं और इसके एक दो दिन बाद कौवे या रीड वार्बलर के बच्चे निकलते हैं। कोयल के बच्चे पैदाइशी ही बर्बर प्रवृत्ति के होते हैं। यह अपने साथ दूसरे अंडे और बच्चों को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते हैं तथा अन्य अंडों तथा बच्चों को अपनी पीठ तथा पिछले पैरों की सहायता से बारी–बारी से ऊपर की ओर धकेल कर बाहर फेंक देते हैं। रीड वार्बलर के बच्चे कोयल के बच्चों से छोटे होते हैं अतः इन्हें बाहर फेंकने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती है। कौवे के बच्चे कोयल के बच्चों की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं इसलिए ये उनको बाहर नहीं फेंक पाते हैं, लेकिन यदि उन अंडों से बच्चे नहीं निकले हैं तो इन अंडों को बाहर फेंकने में ये बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। पौष्टिक आहार मिलने के कारण कोयल के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं तथा कौवे को असलियत पता चलने से पहले ही घोंसला छोड़कर भाग जाते हैं।

इस प्रकार 2020 मुझे यह सिखा कर गया कि कोयल ही कौवे को उल्लू बना सकती है। कोयल द्वारा कौवों को उल्लू बनाने की प्रक्रिया न जाने कब से चली आ रही है और शायद हर साल यूं ही उल्लू बनने और बनाने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।

अचानक

अरविंद मिश्र'

''आज के युग में एक ईमानदार नौकर का मिलना भी किस्मत है दोस्त! घीसू तो मानो इसी का पर्याय है।'' शेखर ने अपने दोस्त सौमित्र से कहा तो घीसू की आँखों के सामने सारा अतीत घूम गया।

चौबीस घंटे में से अठारह घंटे रेलगाड़ियों की छुक–छुक में गुजारने की दिनचर्या के बाद घीसू को छह घंटे का वक्त ही झोपड़ी में काटने को बचता था। सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और पैसेंजर गाड़ियां। हजारों लोग आते, हजारों जाते। कुलीगीरी के पैसे देते और घीसू को वहीं छोड़ जाते। गाड़ियों की रफ़्तार ने आदमी की जिन्दगी को तो रफ्तार दे दी लेकिन, उस रफ़्तार को गतिशीलता देने में कल–पुर्जों की तरह दिन–रात खपकर सहायक बने घीसू जैसे आदमियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता।

घीसू केवल सोने भर के लिए ही घर आता। खाना–पीना सब कुछ स्टेशन पर ही देर–सबेर होता रहता था। बीच–बीच में जब खाली समय मिलता, नींद के झोंके भी वहीं स्टेशन पर ही हो जाया करते। उसकी दोस्ती ट्रेन के डिब्बों से थी, प्लेटफार्म उसका अपना मुकाम था। रेलवे का छोटा–सा स्टाफ और बाकी साथ काम करने वाले लोग उसके हमसफर और अज़ीज थे।

बाप था, जो हाथ ठेला चलाता था। माँ थी तो दूसरों के घर बर्तन साफ करती थी। दोनों ही धीरे–धीरे काल के ग्रास बन गए। अकेला लड़का था चार क्लास तक स्कूल गया था। 12–13 साल की उम्र से ही यह दिन देखने पड़े। नाते–रिश्तेदार सबने एक–एक करके साथ छोड़ दिया। वैसे भी सब 'होती की धोती है'। मामा के यहां गया था तो वहां पर भी मामा की चाय की दुकान में कप–प्लेट धोते–धोते जी ऊब गया था।

कभी कोई नुकसान हो गया, तो गालियां सुनों और मार खाओ। मामा के भी चार बच्चे थे। उन्हें नौकर जैसा रखना भी भारी पड़ने लगा था । मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब यहां घुटन भरी जिंदगी नहीं गुजारूँगा और शहर चला आया भागकर। तब तक मैं सोलह–सत्रह साल का हो गया था, फिर धीरे–धीरे यहां पर आकर जम गया। मुझे क्या करना था बस दो बार खाना ही तो खाना था और रात को सोना था।

शादी के लिए बहुत लोग लगे रहे। कहीं आऊँ, कहीं जाऊँ। काम करूँ, दो–चार दिन, न भी करूँ। भूखा तो नहीं मरूँगा। मरूँगा भी तो किसी के पास नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी पाबंदी होगी कि काम रोज करना ही है, पैसे कमा कर लाना ही है। आटा–दाल, नोन, तेल, सब्जी–भाजी से मैं डरता रहा और फिर फैसला कर लिया कि हम शादी करेगें ही नहीं।

मुझे अपनी आजादी का वह 15 अगस्त का दिन सदा याद रहेगा। बहुत भारी सामान सिर पर रखा और फिर प्लेटफार्म के बाहर निकला। बाई जी और बाबू साहब दोनों–तीनों बच्चे ऑटो रिक्शा में बैठे। झटपट मैंने सामान अंदर किया ही था कि ऑटो चल दिया। 'साहब जी सब सामान रख दिया'' कहते ही हमारे नजर घुमाते ही ऑटो रिक्शा हवा हो गया। उन्हें ना तो मेरी मजदूरी का ध्यान रहा, ना ही अपने एक अदद सामान का, जो ऑटो के बाजू में रखा रह गया था।

*पूर्व अधीक्षक (व्यापार), क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल

दूसरे दिन मेरी मुलाकात तो नहीं हुई पर पता चला कि एक साब स्टेशन पर हड़बड़ाते हुए सभी कुलियों से पूछ रहे थे– 'किसी ने मेरी एक अटैची देखी है' क्योंकि उस दिन शाम का वक्त था इसलिए उन्हें भी शक्ल–सूरत याद नहीं रही होगी कि कौन कुली था, फिर ऊपर से भले मानुष ने जल्दी भी कितनी मचा रखी थी। लोग उनसे पूछते थे–'साब उसमें क्या था' उन्होंने बताया कि–'यही 400–500 और कपड़े–लत्ते थे' लेकिन, साहब के चेहरे के हाव–भाव देख कर लोग अंदाजा लगा चुके थे कि 'बात कुछ वजनदार है।' जब व्यक्ति परेशानी में पड़ जाता है, तब उसे कुछ नहीं सूझता। अजीबो–गरीब एक्टिंग करता है। जिस पर बीतती है, वही जानता है। लोगों के सामने अजूबा–सा बन जाता है। तमाशबीन लोग ऐसे देखने लग जाते हैं, जैसे किसी अजायबघर से कोई प्राणी निकल कर बाहर आ गया हो। इंसान जल्दी–जल्दी चलेगा। झटपट–झटपट पूछेगा। कहीं देखेगा, कहीं चलेगा। आधी बातें किसी एक से करेगा, आधी किसी दूसरे से। उसकी आंखों में खोई हुई वस्तु की छवि ही समायी रहती है। यदि मिल जाए तो जो खुशी होती है उसे केवल वही जान सकता है। लोग हैं कि मजाक करने से भी नहीं चूकते। कहेंगे–'यह तो नहीं है' आदमी कह देगा–'नहीं यह नहीं है, ऐसी ही थी, रंग दूसरा था। हताश होकर वो रेलवे पुलिस थाना गए। वहां बहुत मिन्नतों के बाद किसी की सिफारिश से थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी और आश्वासन लेकर चल दिए कि देखेंगे और ऊपर से उनको खरी–खोटी दस बातें सुना दी। भला पुलिस फरियादी को कहां बख्शती है–'आप कैसे मदहोश आदमी हैं, कल भूल गए थे और आज याद आई ' साब ने कहा–'अरे ! भाई बाहर के लम्बे सफर से हैरान–परेशान आए थे । रात को सो गए सुबह सामान की जरूरत पड़ने पर अटैची भूलने की याद आई, तो सीधे चला आया स्टेशन पर।''

उधर घीसू ने सुबह ही ऑटो वालों से मालूम किया और उस इलाके की ओर उनका घर खोजने निकल पड़ा। कल उसने वह अटैची अपने घर ले जाकर रख ली थी कि आज–कल में आएंगे तो दे दूंगा फिर जाने क्या सूझी और अटैची लेकर साहब को खोजने निकल पड़ा। साब इधर स्टेशन से लौटकर मोहल्ले में पहुंचे तो आसपास के लोग पूछने लगे –'क्या शेखर बाबू कुछ पता चला ?' शेखर जी कहते आ रहे थे–'नहीं, क्या बताएं ?'

उन्होंने अपने घर में जैसे ही प्रवेश किया तो कुली को बैठा देखा और शेखर जी की सूरत ही खिल गई। अटैची उनके ठीक सामने रखी थी। स्वभावतः भोला–भाला घीसू साब को देखे जा रहा था। साब ने अपने पेंट की जेब से अटैची की चाबी निकाली और अटैची खोली उसमें 8–10 हजार रुपए और एक डिब्बे में कुछ सोने–चांदी के गहने व साड़ियां, कपड़े वग़ैरह थे। शेखर जी ने अपना खजाना वापिस पाकर चैन की सांस ली। घरवाले भी 'फूले नहीं समा रहे' थे। वे पत्नी से बोले–अरे! मालती इन्हें चाय नाश्ता तो कराओ। घीसूराम को नाश्ता आ गया और चाय भी आ गई। घीसूराम को मीठी–मीठी बातों में लग रहा था कि उसे इसके बहाने जैसे बरसों से बिछुड़े कोई अपने मिल गए हों। प्रेम का भूखा हर आदमी होता है। अपनत्व की लहर थी शेखर जी की बातों में। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा लिया और कहा–'अरे भाई शुरू करिए नाश्ता। घीसू मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। सालों बाद इतना प्रेम उसे मिला था। घीसू की ईमानदारी से प्रभावित होकर शेखर जी बोले –क्यों तुम यहीं मेरे घर पर काम क्यों नहीं करने लगते ? घीसू बोला–अरे ! साब हम कछु जानत नईंयां, आपके इते काम का कर पाहें।' अरे! जानने की क्या बात है धीरे–धीरे सब आ जाएगा। तुम्हें क्या करना, खाना–पीना, कपड़ा और रहना है। घीसूराम बोला– हाँ ठीक है सरकार लेकिन...नहीं भाई ! तुम पक्का आ ही जाओ, क्यों मालती? ठीक है ना। मालती भी झट से ईमानदार आदमी को देखकर फौरन हाँ कर गई। घीसू ने भी कहा ठीक है साहब, लेकिन, शेखर जी बोले–अरे ! हम कुछ इनाम देते लेकिन अब ईनाम क्या देना जब तुम इसी घर में आ रहे हो। यही तुम्हारा इनाम सही। घीसू बच्चों के गाल पर धीरे से थपकी मारते हुए शेखर जी के पैर पड़ कर, दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करके चल दिया। शेखर जी फिर चलते–चलते बोले–'आ ही जाना भाई दो–चार दिन में सब सामान लेकर' अपना कमरा भी छोड़ दो तुम। सभी बच्चे और मालती भी दरवाजे पर घीसू को छोड़ने बाहर निकल आए। घीसू मन ही मन खुश होता हुआ चला आया स्टेशन पर।

स्टेशन पर किसी को क्या पता। वैसे भी भीड़–भाड़ भरे माहौल में कौन किसकी सुध लेता है। त्यौहारों के मौकों पर तो लोगों का आना–जाना अधिक होता है। प्लेटफार्म खचा–खच भरे रहते हैं। देश के कोने–कोने से यात्री आते–जाते हैं। इस बात के बारे में बिना पूछताछ किए या टिकट देखे, बग़ैर सवारियों को देखे सीधे तौर पर तो पता नहीं चलता कि फलाँ सवारी कहां से आ रही है, कहां उसे जाना है। हां, कुछ चतुर चालाक ऑटो, टैक्सी वाले कुरेद–कुरेद कर, तह तक घुस कर बहुत सारी जानकारी उगलवा लेते हैं। सवारी सीधी, सरल होती है, तो सब बताती जाती है। भला आदमी– आदमी से नहीं बतियायेगा तो फिर किससे बात करेगा। फिर फितरत अपनी–अपनी है। कुली इस पर गौर नहीं करते कि किसने, किसका सामान उठाया–रखा। घीसू ने पहले तो नहीं बताया था, फिर बाद में यहां से जाकर सबको कहानी सुनाई, तो साथी कुलियों ने बताया एक आदमी रिपोर्ट लिखा गया है, वही तो नहीं था। घीसू एक–दो कुलियों के साथ थाने में गया और सब हाल पुलिस को सुना दिया। इतने में पुलिस थाने में शेखर जी का टेलीफोन भी आ गया था। यह पूरी स्टेशन पर चर्चा का विषय बन गया था। सब लोग खुश थे। खाली समय में दिन भर एक–दूसरे को किस्सा सुनाने का दौर चलता रहा। तीन दिन बाद घीसू साफ–धुले कपड़े पहनकर अपनी संदूकची, झोला, बिस्तर आदि सामान ऑटो में रख कर शेखर जी के दरवाजे पर जा पहुंचा। साब–साब की आवाजें लगाईं। सभी ने बाहर निकलकर घीसू को अंदर बुलाया और एक कमरा बता दिया, बाहर वाला। बच्चे खुशी से उछल पड़े थे।

आखिर कई दिनों से घर में इस बात की चर्चा चल रही थी कि कोई अच्छा–सा व्यक्ति कामकाज के लिए मिल जाए। आज घीसू को 8 वर्ष हो गए थे–शेखर जी के यहां काम करते–करते। शेखर जी एक दोस्त के साथ छुट्टी के दिन बैठे–बैठे घीसू से उसकी दास्तां सुनते–सुनते गद्‌गद हो उठे। उसकी तंद्रा टूटी और वह दैनिक काम करने किचन की ओर बढ़ गया।

वेअरहाउसिंग (विकास एवं विनियामक) अधिनियम, 2007 के अधीन वेअरहाउसों का पंजीकरण

31.03.2020 को निगम के कुल 149 वेअरहाउस डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत किए गए हैं जिसका उद्‌देश्य डब्ल्यूडीआरए में पंजीकृत ऐसे वेअरहाउसों द्वारा जारी इलैक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेअरहाउस रसीद (ई–एनडब्ल्यूआर) के आधार पर किसानों एवं अन्य को ऋण की सुविधाओं का लाभ प्रदान करना है।

निगम ने 7 बैंकों अर्थात् सैंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, पूर्व सिंडिकेट बैंक सहित केनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पूर्व आंध्रा बैंक तथा कॉरपोरेशन बैंक एवं आईसीआईसीआई बैंक के साथ करार ज्ञापन (एमओए) भी किया है।

इसके अतिरिक्त, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में निगम के 37 वेअरहाउसों को सब मार्किट यार्ड के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन वेअरहाउसों को ई–नाम (ई–एनएएम) के साथ भी जोड़ा गया था और ये मार्किट यार्ड के रूप में काम करेंगे जहां किसान अपने उत्पाद का भंडारण और बिक्री कर सकते हैं।

मेरी प्यारी साइकिल

हर्ष कुमार गुप्ता*

साइकिल बच्चों से लेकर जवानों और जवानों से लेकर बुजुर्गों तक का पसंदीदा दो पहिया वाहन है। यह यातायात के लिए बहुत ही सुगम और सरल होने के साथ–ही–साथ अच्छी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी अनोखी व अनुपम रचना और विविध बनावट के कारण साइकिल ने हमेशा बच्चों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। उनमें इसे चलाने का मानो जुनून–सा सवार रहता है। मैंने भी बचपन से लेकर आज तक कई तरह की साइकिल चलाई हैं।

मैं एक नौकरीपेशा हूँ। कुछ साल पहले ही मुझे मुंबई महानगर में एक सरकारी कार्यालय में नौकरी मिली है। मेरा अपना कोई दो पहिया या चार पहिया वाहन न होने के

कारण मुझे कार्यालय जाने–आने के लिए लोकल ट्रेन से सफर करना पड़ता है। मुंबई की ट्रेन में आमतौर पर बहुत भीड़ होती है। ट्रेन पकड़ने के लिए बहुत–ही भाग–दौड़ करनी पड़ती है। समय से घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि एक मिनट की भी देरी से ट्रेन छूटने का डर बना रहता है। एक ट्रेन छूटने के बाद अगली ट्रेन में भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भीड़ भरी ट्रेन में मुझे अक्सर एक पैर पर खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती है। मार्च, 2020 में आई कोविड–19 नामक बीमारी से पूरी दुनिया में हाहाकार और डर का माहौल पैदा हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को महामारी का नाम दे दिया है। पूरी दुनिया में इसका प्रकोप फैलता गया और जब यह बीमारी बेकाबू होने लगी तो समय रहते सरकार ने पूरे देश मे लॉकडाउन घोषित कर दिया। अतिआवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें, यातायात के साधन इत्यादि सब कुछ बंद रखने के कड़े आदेश जारी हो गए। लोगों को अपने–अपने घरों में रहने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ा, जिससे कि इस बीमारी की रोकथाम की जा सके।

चूँकि मेरी नौकरी अतिआवश्यक सेवाओं में आती है, इसलिए लॉकडाउन में मुझे अपनी सेवाएं देना जरूरी था। लॉकडाउन से पहले मैं ट्रेन पर निर्भर था। लॉकडाउन के बाद यातायात के सार्वजनिक साधन बंद होने की वजह से मुझे यातायात के दूसरे साधनों पर निर्भर होना पड़ा था, जिसमें मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे–आवागमन के साधनों का समय पर न मिलना, बहुत देर तक बसों के इंतजार में खड़े रहना, समय पर कार्यालय न पहुँच सकना, आने–जाने में पैसे ज्यादा खर्च होना। इसके अलावा स्वास्थ्य का खतरा भी बना रहता था।

इन सब परेशानियों को देखते हुए मैंने अपनी सुविधानुसार साइकिल खरीदने का निर्णय लिया और बहुत सोच–विचार करने के बाद आखिरकार मैंने साइकिल खरीद ही ली। मेरी यह साइकिल ना तो अत्याधुनिक थी और ना ही पुराने जमाने की। एवॉन कंपनी की 26.5 इंच लंबी एक साधारण–सी साइकिल। मेरी साइकिल आर्मी में सेना के जवान द्वारा प्रयोग किये जाने वाले टैंकर जैसे हरे रंग की थी, जो देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। इसकी लंबाई ज्यादा होने की वजह से मैं इसे दूसरी साइकिलों के मुकाबले ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकता था।

हाँ, मेरी अपनी साइकिल। इसके आने के बाद कहीं आने–जाने के लिए दूसरे साधनों पर मेरी निर्भरता खत्म–सी

*कनिष्ठ अधीक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

हो गई। मैं अपनी साइकिल से कार्यालय आता–जाता और घूमता–फिरता। मैं अपनी साइकिल पर बैठकर बड़े ही शान से कार्यालय के लिए निकलता। लोग मेरी साइकिल देखते, तारीफ करते कि बहुत अच्छी साइकिल है, पूछते कि कितने में ली? कहाँ से ली? इत्यादि। मुझे बहुत अच्छा लगता और मैं मन–ही–मन खुश होता। मुझे अपनी साइकिल पर अभिमान होता। रास्तों पर ट्रैफिक जाम में लोग फँसे रहते और मैं अपनी साइकिल को रफ्तार से भगाते हुए एक तरफ से निकालकर आगे निकल जाता। लोग भौंचक्के–से देखते रहते। कई लोग गुस्सा भी करते क्योंकि उन्हें अपनी कार के साइड मिरर से साइकिल के टकराने का डर होता। कई बार तो जल्दी निकलने के चक्कर में मैं फुटपाथ वाले रास्ते पर साइकिल दौड़ा देता जिससे पैदल चलने वाले लोग मुझे टोकते और भला–बुरा बोलते रहते पर मैं अपनी ही धुन में आगे निकल जाता। साइकिल की सवारी करने में मुझे बहुत मजा आता था। इससे मुझे यातायात की अपनी समस्या का बहुत–ही अच्छा और किफायती समाधान मिला था, जो कोविड–19 महामारी के दौर में बहुत जरूरी था। यातायात के सार्वजनिक साधन से मुझे छुटकारा मिल गया था। इससे मैं किसी व्यक्ति या वस्तु के सीधे संपर्क में भी नहीं आता था। मैं अपने समय के हिसाब से घर से निकलता और समय पर कार्यालय पहुँचता था। भीड़–भाड़ वाली ट्रेन में सफर करने और भाग–दौड़ वाली जिंदगी से मुझे छुटकारा मिल गया था। साइकिल की सवारी से मुझे बहुत फायदा हुआ या यूं कहिए–एक पंथ दो काज। कार्यालय आने–जाने में सुविधा होने के साथ ही सुबह और शाम मेरा व्यायाम हो जाता। यही नहीं, प्रदूषण रहित वाहन होने के कारण पर्यावरण को प्रदूषण रहित रखने में सहयोग भी।

आज मुझे अपनी साइकिल की बहुत याद आ रही है। मेरी प्यारी साइकिल कहीं खो गई है जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं अपनी साइकिल की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर सका और इसीलिए शायद किसी ने मेरी साइकिल मेरे घर के दरवाजे से ही चोरी कर ली। आज भी जब मैं कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकलता हूँ तो मेरी नजर उस स्टैंड पर जरूर पड़ती है, जहाँ मैं अपनी साइकिल खड़ी किया करता था। मेरे दिल से एक आह–सी निकल के रह जाती है कि काश ..... मेरी साइकिल मेरे पास होती, काश मैंने अपनी साइकिल संभाल कर रखी होती, काश .....।

मेरी साइकिल थी, बहुत–ही प्यारी,
जिसकी करता था, मैं खूब सवारी।
चुरा ले गया उसे, कोई मुझसे दूर।
ट्रेन से सफर करने को, मैं हूँ मजबूर।।
मेरी प्यारी साइकिल, कहाँ है तू...।
लौटकर आ जा, जहाँ भी है तू.....।।

भूख

राजा सिंह*

गरीब आदमी के लिए
एक तपती जमीन है,

जिसमें –पानी के छींटे
वाष्प बनकर उड़ जाते हैं।।

अंतड़ियों के जंगल में
भूख दावानल की तरह सुलगती है

और कहीं कोई राह न मिलने पर
अपने आप बुझ जाती है।।

और राख हुई अंतड़ियों में
एक चीज सुगबुगाती है
जिन्दा रहने की चाह

मगर भूख वह वफादार पत्नी है,
गरीब आदमी के लिए,
जो उसके मरने के बाद ही
सती हो जाती है।।

*पिता कु0 शब्दिता सिंह प्रबन्धक (स्थापना), क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़

निगमित कार्यालय में आयोजित वार्षिक साधारण बैठक की झलकियां

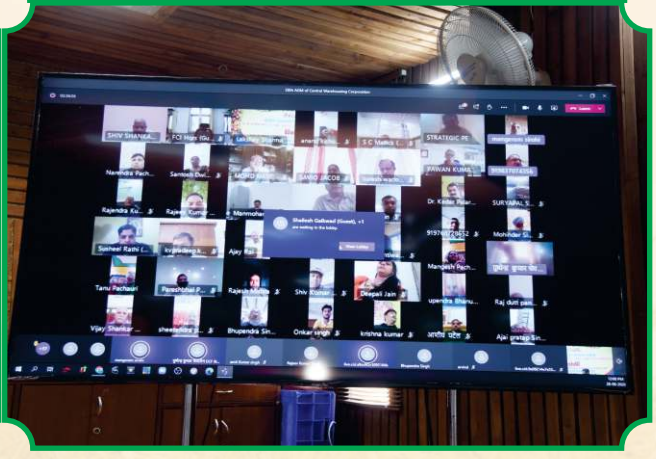

केंद्रीय भंडारण निगम ने भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय भंडारण निगम ने वैज्ञानिक एकीकृत भंडारण सेवाएं प्रदान करने हेतु नेफेड के साथ दिनांक 19 जनवरी, 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर निगम के प्रबंध निदेशक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव तथा नेफेड के प्रबंध निदेशक श्री संजीव कुमार चड्ढा एवं दोनों उपक्रमों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित थे। निगम नेफेड को उनके द्वारा खरीदे गए स्टॉक के समुचित भंडारण, प्रसंस्करण, हैंडलिंग, परिवहन, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, परख, पैकिंग, बीमा आदि के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान करेगा। निगम नेफेड की खाली भूमि में वेअरहाउसिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करेगा तथा दीर्घकालीन लीज आधार पर प्रचालन करेगा। साथ ही निगम नेफेड के लिए किराये पर वेअरहाउस भी लेगा। यह समझौता ज्ञापन नेफेड के प्रचालन की कुल लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, व्यावसायिक मानकों में सुधार करने, खाद्यान्नों की हानि को कम करने, गोदामों के इष्टतम उपयोग के साथ–साथ दोनों संगठनों के लिए व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार में सहायता करेगा।

केंद्रीय भंडारण निगम ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए

केंद्रीय भंडारण निगम ने अपनी सुविधाओं में एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए निजी निवेशकों को मंत्रालय की वित्तीय सहायता योजना के विस्तार हेतु दिनांक 14 जनवरी 2021 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इससे उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में सहायता मिलेगी। इस करार के अनुसार, ऐसे निवेशक जो निगम की ग्रीन फील्ड सुविधाओं में लाइसेंस आधार पर स्थान लेंगे, वे उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु खाद्य, प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विद्यमान वित्तीय सहायता योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसी व्यवस्था से ऐसे निवेशकों को सहायता मिलेगी जो दीर्घकालीन आधार पर निगम के गोदामों में एकीकृत कोल्ड चेन तथा मूल्य संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने की योजना बना रहे हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप शीघ्र खराब होने वाली कृषि उत्पाद की हानि में कमी, कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन, किसानों की आय में वृद्धि एवं रोजगार का सृजन होगा।

निगमित कार्यालय में स्थापना दिवस समारोह की झलकियां

सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार का आईजीएमआरआई प्रशिक्षण संस्थान हापुड़ का दौरा

केंद्रीय भंडारण निगम को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणन की प्राप्ति

केंद्रीय भंडारण निगम भारत में ए.बी.एम.एस. को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। निगम अपनी सभी गतिविधियों में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। ए.बी.एम.एस से संबंधित प्रमाणन निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री प्रणय प्रभाकर ने ग्रहण किया।

निगमित कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

निगमित कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण

निगमित कार्यालय में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रबंध निदेशक द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारीगण शामिल रहे।

निगमित कार्यालय में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन

नराकास (उपक्रम) दिल्ली द्वारा निगम की गृह पत्रिका "भंडारण भारती" को पुरस्कार

यह प्रसन्नता की बात है कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय भंडारण निगम की गृह पत्रिका "भंडारण भारती" को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा वर्ष 2020 के दौरान प्रकाशित श्रेष्ठ गृह पत्रिका की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार नराकास की 19 फरवरी, 2021 को आयोजित वर्चुअल बैठक में प्रदान किया गया।

निगमित कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा संबंधी ई-निरीक्षण

निगमित कार्यालय द्वारा 16–17 फरवरी, 2021 को क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई एवं चेन्नई का राजभाषा संबंधी ई–निरीक्षण एवं विचार विमर्श किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक सहित राजभाषा अधिकारी उपस्थित रहे। निगमित कार्यालय से प्रबंधक (राजभाषा)–I तथा प्रबंधक (राजभाषा)–II शामिल हुए।

उच्च अधिकारियों के लिए विशेष हिंदी कार्यशाला

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में निगमित कार्यालय में दिनांक 20.01.2021 को ''विशेष हिंदी कार्यशाला'' का आयोजन किया गया, जिसमें निगमित कार्यालय के 12 उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में निदेशक (राजभाषा), गृह मंत्रालय तथा उप निदेशक (राजभाषा) ने व्याख्यान दिया। कार्यशाला के उपरांत वर्ष 2019–20 के लिए राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए निगमित कार्यालय के वित्त विभाग को प्रथम, तकनीकी को द्वितीय तथा कार्मिक विभाग को तृतीय पुरस्कार की शील्ड का वितरण निदेशक (कार्मिक) के करकमलों द्वारा किया गया।

निगम में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालयों की गतिविधियां

राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जाँच बिंदु

राजभाषा हिंदी के निरंतर एवं प्रभावी उपयोग के लिए पहले से ही सृजित जांच बिंदुओं को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि निगम में नियमानुसार राजभाषा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित जांच बिंदुओं के अनुसार सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समुचित कार्रवाई की जाए।

1 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन।

2 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों की राज्य सरकारों व व्यक्तियों को भेजे जाने वाले पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएं।

3 हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना।

4 हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराना।

5 लिफाफों पर हिंदी में पते लिखना।

6 सेवा पुस्तिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां।

7 यांत्रिक सुविधाओं/उपकरणों की खरीद।

8 द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री।

9 निगम के कार्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले द्विभाषी फार्म।

10 रजिस्टरों के प्रारूप एवं शीर्षक तथा नामपट्ट आदि को द्विभाषी रूप में तैयार किया जाना।

11 रबड़ की मोहरें,सील, पत्र शीर्ष, विजिटिंग कार्ड, चार्ट इत्यादि द्विभाषी रूप में उपलब्ध कराना।

12 राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम को परिचालित करना/हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना।

13 प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक/हिंदी कार्यशाला का आयोजन।

14 संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को समय पर पूरा करना।

15 लक्ष्यानुसार हिंदी पुस्तकों की खरीद।

16 भारत सरकार द्वारा लागू प्रोत्साहन योजनाएं लागू करना।

17 भर्ती/पदोन्नति परीक्षाओं में हिंदी माध्यम के प्रयोग का विकल्प।

18 लक्ष्यानुसार राजभाषा निरीक्षण।

19 नियमावली, कोड, मैनुअल आदि का द्विभाषी प्रकाशन।

20 अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा में।

21 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की बैठकों में भाग लेना।

22 निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अधीन भारत के राजपत्र में अधिसूचित करवाना/व्यक्तिशः आदेश जारी करना।

23 हिंदी दिवस/हिंदी सप्ताह/हिंदी पखवाड़े का आयोजन।

24 द्विभाषी वेबसाइट।

25 हिंदी पत्राचार में वृद्धि।

26 तिमाही प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन भेजना।

केन्द्रीय भंडारण निगम–कीट नियंत्रण सेवा

केन्द्रीय भंडारण निगम को कीट नियंत्रण व्यवसाय में 64 वर्षों का अनुभव है। भारत सरकार ने दिनांक 23 मार्च 1968 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय भंडारण निगम को अपने गोदामों के बाहर कीट नियंत्रण सेवाओं को चलाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी थी। जिसके बाद से केन्द्रीय भंडारण निगम लगातार किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों आदि के अलावा रेलवे, एयरलाइंस, अस्पतालों, बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों, न्यायालयों, सरकारी व निजी संगठनों को कीट नियंत्रण सेवाएं प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2020 में कोरोना वायरस (कोविड–19) एक वैश्विक महामारी के रूप में उभरकर सामने आयी। केन्द्रीय भंडारण निगम ने पूरे देश में विसंक्रमण का कार्य कर इस महामारी के रोकथाम में अहम भूमिका इस प्रकार निभाई है:

- केन्द्रीय भंडारण निगम ने कोविड–19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगभग 300 संगठनों के 4000 से अधिक स्थानों पर स्वच्छता/कीटाणुशोधन सेवाएं प्रदान की हैं।
- रेलवे, एयरलाइंस, एएआई, अस्पतालों, बैंकों, सार्वजनिक उपक्रमों, न्यायालयों, सरकारी व निजी संगठनों, आवासीय सोसायटी में नियमित रूप से कीटाणुशोधन और कीट नियंत्रण सेवाएं प्रदान की हैं।
- रेलवे यात्रियों के यातायात को स्वच्छ व सुरक्षित बनाने हेतु कुल 19 रेलवे मंडलों में लगभग 350950 रेल कोचों में कीटाणुशोधन का कार्य किया है।
- कोविड–19 के सम्पूर्ण लॉकडाउन के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने हेतु भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसके तहत एयर इंडिया के कुल 5000 से ज्यादा विमानों को विसंक्रमित किया जा चुका है। वर्तमान में देश के 24 हवाई अड्डों पर केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा ए०ए०आई० को कीट नियंत्रण/विसंक्रमण की सेवाएँ दी जा रही हैं।
- अहमदाबाद शहर में बढ़ते मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए अहमदाबाद नगर निगम ने पूरे शहर में फॉगिंग का कार्य केन्द्रीय भंडारण निगम को दिया, जिसके तहत कुल 3,50,000 घरों में यह सेवा प्रदान की गई।

केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं उच्च स्तर की होती हैं जहां सभी रसायनों का उपयोग तय किए गए मापदंडों के अनुसार ही किया जाता है ताकि ग्राहकों की संतुष्टि के स्तर पर कार्य किया जा सके। इसलिए देश की बड़े व नामी–गिरामी संस्थाएं केन्द्रीय भंडारण निगम से ही कीट नियंत्रण/विसंक्रमण की सेवाएँ लेती हैं।

केन्द्रीय भंडारण निगम से कीट नियंत्रण सेवाएँ लेने वाले कुछ प्रमुख ग्राहक हैं – रेलवे, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, सेल, भेल, गेल, कॉनकॉर,एम्स, पावरग्रिड, आईआईएम, आईआईटी, डीएमआरसी, एलिम्को, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, भारतीय स्टेट बैंक, इत्यादि।

केंद्रीय भंडारण निगम

रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली नीति

केंद्रीय भंडारण निगम अपने ग्राहक अनुकूल, कुशल एवं पारदर्शी पद्धति द्वारा वैश्विक मानकों की वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है तथा अपनी सभी गतिविधियों को इस प्रकार कार्य निर्मित करता है ताकि प्रभावशाली ''रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली नीति'' को सुनिश्चित किया जा सके।

रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली नीति (एबीएमएस) में निरंतर सुधार लाने के लिए हम निम्नानुसार प्रयास करेंगे:

- एबीएमएस के जोखिमों की पहचान।
- हमारे संगठन में रिश्वत पर प्रतिबंध।
- सभी लागू विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन।
- बेहतर विश्वास को प्रोत्साहित करना या प्रतिशोध के डर के बिना आत्मविश्वास में भरोसा जागृत करने के आधार पर प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- रिश्वत विरोधी अनुपालन कार्य की स्वतंत्रता तथा प्राधिकार को स्पष्ट करते हुए प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- रिश्वत विरोधी नीति का अनुपालन नहीं करने के परिणाम को स्पष्ट करते हुए प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना।
- सभी कर्मचारियों की भागीदारी और योगदान सुनिश्चित करना।

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,
अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली-110016